BSW – 123

सामुदायिक संगठन

और संचार

समाज कार्य अभ्यास के सामान्य क्षेत्र 4

''शिक्षा मानव को बन्धनों से मुक्त करती है और आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है।''

– इन्दिरा गाँधी

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

''स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण'' की चेयर के अन्तर्गत विकसित कार्यक्रम

"Education is a liberating force, and in our age it is also a democratising force, cutting across the barriers of

caste and class, smoothing out inequalities imposed by birth and other circumstances."

- Indira Gandhi

खंड

4

समाज कार्य अभ्यास के सामान्य क्षेत्र

इकाई 1

परिवार के साथ समाज कार्य

इकाई 2

शैक्षिक स्थापन में समाज कार्य

इकाई 3

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में समाज कार्य

इकाई 4

औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य

इकाई 5

समुदाय के बीच समाज कार्य

इकाई 6

सुधारक स्थापन में समाज कार्य

विशेषज्ञ समिति (मूल)

प्रो. पी.के. गांधी	प्रो. ग्रेशियस थॉमस,	डॉ. जेरी थॉमस	प्रो. ए.आर.खान
जामिया मिलिया	इग्नू, नई दिल्ली	डॉन बास्को	इग्नू, नई दिल्ली
इस्लामिया,	प्रो. ए.पी.बर्नबास	गुवाहटी	
नई दिल्ली	(सेवानिृत्त)	प्रो. सुरेन्द्र सिंह,	डॉ. आर.पी. सिंह
डॉ. डी.के. दास	आई.आई.पी.ए.	कुलपति	इग्नू, नई दिल्ली
आर.ए. कॉलेज ऑफ	नई दिल्ली	महात्मा गांधी काशी	डॉ. ऋचा चौधरी
सोशल वर्क,	डॉ. रंजना सहगल,	विद्यापीठ वाराणसी	डॉ. बी.आर.अम्बेडकर
हैदराबाद	इंदौर स्कूल ऑफ	प्रो. ए.बी. बोस	कॉलेज,

डॉ. पी.डी. मैथ्यू, भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली डॉ. एलेस वड़वुम्मथला, सी.बी.सी.आई.सेण्टर, नई दिल्ली	सोशल वर्क, इंदौर डॉ. रमा वी.बारू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली	(सेवानिवृत्त) सतत् शिक्षा विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली प्रो. के.के. मुखोपाध्याय दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली प्रो. प्रभा चावला, इग्नू, नई दिल्ली

विशेषज्ञ समिति (संशोधन)

प्रो. सुषमा बत्रा समाज कार्य विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली डॉ. आर.आर. पाटिल समाज कार्य विभाग जामियामिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	डॉ. बीना एन्थोनी रेजी अदिति महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली डॉ. संगीता शर्मा धोर डॉ. भीम राव अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	प्रो. ग्रेशियस थॉमस समाज कार्य विद्यापीठ इग्नू, नई दिल्ली प्रो. रोज़ नेम्बियाकिम समाज कार्य विद्यापीठ इग्नू, नई दिल्ली	डॉ. सौम्या समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली डॉ. जी. महेश समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू नई दिल्ली डॉ. सायन्तनी गुइन समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम निर्माण दल (मूल)

इकाई लेखक

इकाई 1	डॉ. हेनरी रोज़ेरिओ, सेकरेड हार्ट कॉलेज, त्रिपत्तुर
इकाई 2	प्रो. अंजली गांधी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली
इकाई 3	प्रो. अशोक सरकार, विश्व भारती, पश्चिम बंगाल
इकाई 4	डॉ. रंजना सहगल, आई एस एस हब्ल्यू, इंदौर
इकाई 5	डॉ. अजीत कुमार, एम एस एस इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क, नागपुर
इकाई 6	डॉ. वी. वी. देवासिया, एम एस एस इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क, नागपुर

विषय संपादक

प्रो. एस. कोहली
जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

कार्यक्रम संयोजक

प्रो. ग्रेशियस थॉमस
इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम संयोजक

प्रो. ग्रेशियस थॉमस
डॉ. आर.पी. सिंह
डॉ. अन्नु जे. थॉमस

संपादक (हिन्दी)

डॉ. आर. पी. सिंह
इग्नू, नई दिल्ली

खंड संपादक

प्रो. ग्रेशियस थॉमस,
इग्नू, नई दिल्ली

इकाई रूपांतरण

श्री जोसेफ वर्गीस
परामर्शदाता, इग्नू, नई दिल्ली

अनुवादक/पुनरीक्षण (हिन्दी)

डॉ. गुलाब झा
राजकीय पी.जी. कॉलेज
नोएडा, उ.प्र.

अनुवाद संयोजक (हिन्दी)

डॉ. आर.पी. सिंह
इग्नू, नई दिल्ली

श्री. रामकिशन
परामर्शदाता,
इग्नू नई दिल्ली

सचिवालय सहायक

सुश्री. माया कुमारी
श्री बलवन्त सिंह

पाठ्यक्रम निर्माण दल (संशोधन)

इकाई लेखक

इकाई 1	डॉ. हेनरी रोज़ेरिओ, सेकरेड हार्ट कॉलेज, त्रिपत्तुर
इकाई 2	प्रो. अंजली गांधी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली
इकाई 3	प्रो. अशोक सरकार, विश्व भारती, पश्चिम बंगाल
इकाई 4	डॉ. रंजना सहगल, आई एस एस हब्ल्यू, इंदौर
इकाई 5	डॉ. अजीत कुमार, एम एस एस इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क, नागपुर
इकाई 6	डॉ. वी. वी. देवासिया, एम एस एस इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क, नागपुर

विषय संपादक

सुश्री स्नेहल दिवेकर
सि.एस.आर.डी.
अहमदनगर
महाराष्ट्र

खंड संपादक

डॉ. सायन्तनी गुइन,
इग्नू, नई दिल्ली

कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम संयोजक

डॉ. सायन्तनी गुइन,
इग्नू, नई दिल्ली

संपादक हिंदी

डॉ. नीतू
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

मुद्रण निर्माण

खंड 4 का परिचय

यह खण्ड 'समाज कार्य अभ्यास के सामान्य क्षेत्र' पर है और इसमें छः इकाइयाँ हैं– प्रत्येक इकाई में समाज कार्य अन्तःक्षेप के विशिष्ट क्षेत्र की चर्चा की गई हैं। यद्यपि समाज कार्य अन्तःक्षेप के अनेक क्षेत्र हैं किंतु हमने भारतीय संदर्भ में मात्र छः अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थापनों का चयन किया है।

इकाई 1, 'परिवार के साथ समाज कार्य' में परिवार समस्याओं की विविधता, परिवार व्यवस्था की गति, समाज कार्य में अन्तःक्षेप की प्रणालियाँ और परिवार से संबंधित ग्रहणशील दृष्टिकोण के बारे में वर्णन किया गया है।

इकाई 2, 'शैक्षिक स्थापन में समाज कार्य' में आपको यू.के., यू.एस.ए. तथा भारत में शिक्षा में समाज कार्य, समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास और कार्यों के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएगी, साथ ही अन्य शैक्षिक स्थापनों में समाज कार्य अभ्यास और समाज कार्य के मानकों का वर्णन करेगी।

इकाई 3, 'स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में समाज कार्य' पर आधारित हैं। इस इकाई में आपको स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का अर्थ, व्यक्ति, समाज तथा रोग और उनके उपचार में शामिल मनोवैज्ञानिक कारकों के रूप में रोगी की संकल्पना तथा स्वास्थ्य देखभाल टीम में समाज कार्य की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

इकाई 4, 'औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य' में आपको उद्योग में समाज कार्य अन्तःक्षेप, उद्योग की सामाजिक जिम्मेदारी, उद्योग में समाज कार्य के विषय क्षेत्र या इसकी संभावनाएँ, औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य प्रणालियों की अनुप्रयोगिता, उद्योग में समाज कार्य का स्थान तथा उद्योग में समाज कार्य की समस्याएँ और परिदृश्य के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाएगी।

इकाई 5, 'समुदाय के बीच समाज कार्य' में सामाजिक व्यवस्था तथा ग्रामीण, शहरी और आदिवासी समुदायों के साथ समाज कार्य के रूप में समुदाय का वर्णन किया गया है।

इकाई 6, 'सुधारक स्थापन में समाज कार्य' में सुधार के संदर्भ में समाज कार्य की विशेषताएँ, सुधार में समाज कार्य के मूल्य, सुधारक स्थापन और समाज कार्यकर्त्ताओं के कार्य, सुधारक स्थापन में समाज केस कार्य सुधारक स्थापन में समाज समूह कार्य एवं पुलिस विभागों तथा न्यायालयों में समाज कार्य परिचय दिया गया है।

ये छः इकाइयाँ आपको भारतीय संदर्भ में समाज कार्य अन्तःक्षेप के प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी के साथ आपके ज्ञान को समृद्ध करने में सहायता करेगी।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 1 परिवार के साथ समाज कार्य

*डॉ. हेनरी रोज़ेरियो

रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 पारिवारिक समस्याओं की बहुलता (विविधता)

1.3 परिवार प्रणाली की गतिकी

1.4 समाज कार्य में अन्तःक्षेपी विधियाँ

1.5 संकलनवादी दृष्टिकोण

1.6 सारांश

1.7 शब्दावली

1.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य आपको परिवार के साथ समाज कार्य व्यवहार करने की जानकारी देना है। इकाई के प्रारंभ में परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याओं की बहुलता के बारे में बताया गया है। इन समस्याओं की गतिकी के बारे में, परिवार एक प्रणाली के रूप में, नजरिये से भी समझाया गया है। अंत में ऐसी विविध अन्तःक्षेपी विधियों की भी विस्तार से जानकारी दी गई है, जो परिवारों के साथ काम करने हेतु समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए उपलब्ध हैं।

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आपः

- परिवार द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याओं की बहुलता को समझ सकेंगे; .
- यह जान सकेंगे कि इन समस्याओं को इस नजरिये से देखना होगा कि परिवार एक प्रणाली है;
- इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज कार्यकर्त्ताओं हेतु उपलब्ध विभिन्न अन्तःक्षेप विधियों का वर्णन कर सकेंगे;
- परिवार को अपनी समस्याओं से निपट सकने योग्य बनाने के लिए एक संकलन उपागम के महत्त्व को समझ सकेंगे; और

* डॉ. हेनरी रोज़ेरियो, सेक्रेड हार्ट कॉलेज, तिरूपत्तुर

- समस्याग्रस्त परिवारों की सहायता करने के लिए स्वयं को उपयुक्त जानकारी, कौशलों और मनोवृत्ति से अभिमुख करने के लिए रुचि विकसित कर सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना

समुदाय में परिवार मूल संस्था होती है। यह वह प्राथमिक समूह है, जिसमें सदस्य जन्म लेते हैं, उनका पालन–पोषण होता है, वे स्वरूप ग्रहण करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और समाज में विभिन्न भूमिकाएँ निभाने और कार्य करने के लिए वहाँ उनका समाजीकरण होता है। अतः यह आवश्यक है कि परिवार की कुशलता बनी रहे। तथापि ऐसी अनेक समस्याएँ और मुद्दे होते हैं, जो कि एक परिवार को प्रभावित करते हैं। इन समस्याओं का स्वरूप बहुलतावादी होता है। परिवार में एक व्यक्ति की समस्या या उन्नति अन्य लोगों को भी प्रभावित करती है। इसीलिए यह मानकर भी चला जाता है कि इन समस्याओं के कारण परिवार में ही निहित होते हैं तथा इन समस्याओं से निपटने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को भी शामिल करना होगा। अतः परिवार को एक प्रणाली के रूप में माना जाता है और परिवार में कोई भी अन्तःक्षेप करते समय इस नजरिये को ध्यान में रखना होगा।

परिवार के साथ समाज कार्य सहायता परिवार को प्रणाली के रूप में देखने के नजरिये पर ही आधारित है। इस व्यवसाय में ऐसी अनेक विधियाँ और कार्यनीतियाँ हैं, जो परिवार की समस्याओं की बहुलता से निपटने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। परिवारों में व्यक्तियों के साथ अलग–अलग कार्य करना भी संभव है और परिवार के सदस्यों के उन समूहों के साथ भी कार्य करने का विकल्प उपलब्ध है, जिनकी समस्याएँ सामान्य हैं तथा ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता करने के लिए समुदाय से संसाधनों का जुटाव करना भी संभव है। समाज कार्य व्यवहार की विभिन्न तकनीकें हैं जैसे परिवार चिकित्सा, संकट अन्तःक्षेप, वैवाहिक परामर्श और विवाह–पूर्व परामर्श जिनका प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

इस इकाई में परिवार की समस्याओं की बहुलता, प्रणाली के रूप में परिवार, और परिवारों के साथ समाज कार्य व्यवहार में संभव अनेक अन्तःक्षेपों के विषय में जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

1.2 पारिवारिक समस्याओं की बहुलता (विविधता)

परिवार में बहुपक्षी समस्याएँ होती हैं। माता–पिता और बच्चों के बीच समस्याएँ होती हैं। बच्चे यह शिकायत कर सकते हैं कि माता–पिता उनके बीच में पक्षपात करते हैं या अति संरक्षण करते हैं और माता–पिता को बच्चों से आज्ञा का पालन न करने की या भावनात्मक प्रकोप की शिकायत हो सकती है। पति–पत्नी के बीच भी कई समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे

बालकों का पालन–पोषण, जीवन शैली और ससुराल वालों के प्रति कर्तव्यों का पालन। कुछ स्थितियों में, परिवारों के सामने कोई बड़ा संकट आ सकता है, जो इसके सदस्यों के बीच किन्हीं समस्याओं के कारण नहीं बल्कि कुछ ऐसी घटनाओं जैसे पति या पत्नी की मृत्यु या नौकरी से अकस्मात छंटनी के कारण हो सकता है। इस प्रकार समस्याओं के बहुल आयाम होते हैं।

चूंकि परिवारों में बहुपक्षी समस्याएँ होती हैं, परिवार के किसी एक सदस्य की समस्याएँ, अन्य सदस्यों को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए एक व्यक्ति की सहायता करने की प्रक्रिया में पूरे परिवार को या कम से कम समस्या से संबंधित सदस्यों को शामिल करना आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, शराबी व्यक्तियों का उपचार करने वाले अधिकांश व्यसन छुड़ाने वाले केन्द्रों में परिवार चिकित्सा सत्रों के दौरान उस व्यक्ति की पत्नी या माता–पिता को भी उपस्थित रहने के लिए कहा जाता है। कुछ स्थितियों में, परिवारों के साथ समाज कार्य के दायरे में परिवार प्रणाली से बाहर जा कर आस–पड़ोस या कुल समुदाय को भी शामिल किया जा सकता है। हम एक ऐसी युवा पत्नी का केस लेते हैं, जिसके पति की एड्स के कारण मृत्यु हो गई और अब उसे तीन बच्चों की देखभाल करनी है। इस परिवार के साथ समाज कार्य करने में कई कार्य शामिल होंगे जैसे परिवार के सभी सदस्यों के एच.आई.वी. परीक्षण के लिए उनके खून की जाँच, माँ के लिए रोज़गार का अवसर उपलब्ध कराने हेतु समुदाय संसाधनों का जुटाव और बालकों के शैक्षिक शुल्कों के लिए आर्थिक सहायता करना। इस प्रकार परिवारों की समस्याएँ बहुपक्षी होती हैं। इनमें से कुछ समस्याओं को आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि भली–भाँति समझाने के लिए इन समस्याओं को श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यथार्थ में ये एक प्रणाली के रूप में परिवार की समस्याओं के रूप में विद्यमान होती है और इसलिए परिवार में सभी को प्रभावित करती है।

परिवार प्रणाली में बच्चों के सामने आने वाली समस्याएँ

- कुछ माता–पिता अपने बच्चों का ज़रूरत से ज्यादा संरक्षण करते हैं और उनमें अत्यधिक आसक्त रहते हैं। ऐसे बच्चे अपने माता–पिता के साथ बंधा हुआ महसूस करते हैं और अपनी वैयक्तिकता खो देते हैं।
- इसके विपरीत कुछ माता–पिता अपने बच्चों से उदासीन रहते हैं। वे उनकी अवहेलना कर सकते हैं या यहाँ तक कि बालकों को नकार भी देते हैं ऐसी स्थिति में बच्चे विमुख और विरक्त हो जाते हैं।

- कुछ माता–पिता बालकों से गाली–गलौज करते हैं या मार–पिटाई करके दंडित करते हैं। जब माता–पिता इस प्रकार से अक्सर दंडित करते हैं तो बच्चे जिद्दी और आक्रामक हो जाते हैं।
- कुछ माता–पिता एक बच्चे की अवहेलना करते हैं और दूसरे से पक्षपात का प्रदर्शन करते हैं। कुछ अन्य माता–पिता इसी के जैसा दूसरा रुग्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वे एक बालक की दूसरे से तुलना करते हैं और इस तरह उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। पक्षपात और तुलना करने का यह व्यवहार बालकों के स्वाभिमान को कम करता है।
- कुछ माता–पिता अत्यधिक अधिकारवादी होते हैं तो कुछ अत्यधिक निर्बंध होते हैं। अत्यधिक अधिकारवाद से तो बालक की स्वतंत्रता व स्वायत्तता दब जाती है वहीं अत्यधिक निर्बंधता से वे अनुशासनहीन और आत्मनियंत्रणहीन हो जाते हैं।
- कुछ बालकों के माता–पिता को उनसे अत्यधिक अपेक्षाएँ होती हैं। वे अपने बच्चों को शिक्षा और जीविका के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति प्राप्त करने के लिए बाध्य करते रहते हैं। ऐसे बालक इस प्रकार के दबाव का सामना नहीं कर पाते और उनमें चिंता और घबराहट पैदा हो जाती है।

परिवार प्रणाली में माता–पिता के सामने आने वाली समस्याएँ

- अनेक माता पिताओं के बालक जिद्दी और आज्ञा का पालन न करने वाले होते हैं। ये बालक परिवार के दिशा–निर्देशों, नियमों और मानदंडों की अवज्ञा करते हैं। उनके माता–पिता निराशा का अनुभव करते हैं। कुछ माता–पिता ऐसे बालकों की मांगों के आगे हथियार डाल देते हैं।
- जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो उनके माता पिताओं को उनसे व्यवहार करने में कठिनाई होती है। यौवनारंभ से जुड़े हुए जैविक परिवर्तन और उससे संबंधित भावनात्मक अस्थिरता और बढ़ती यौन भावनाएँ किशोरों में ''तूफान और तनाव'' उत्पन्न करती हैं। कुछ माता–पिता अपने किशोर बालकों के आकस्मिक भावनात्मक विस्फोटों का सामना नहीं कर पाते।
- अधिकांश किशोर बालक साथी समूह संबंधों को विकसित कर लेते हैं और उनके शौकों, वेशभूषा के तरीकों और रुचियों पर इन साथी समूहों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ये धीरे–धीरे अपने माता–पिता से निर्मुक्त हो जाते हैं। अनेक माता–पिता इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाते और न ही उनके अनुकूल बन पाते हैं।

- कुछ किशोर बालक प्रेमोन्माद के वशीभूत हो जाते हैं और प्रेम संबंध प्रारंभ कर देते हैं। इनमें से कुछ अपने परिवारों को छोड़ कर भाग भी जाते हैं। ऐसे व्यवहारों से परिवार कमजोर हो जाते हैं।
- अति होने पर, कुछ युवा लोग पदार्थ दुरुपयोग के और अनैतिक यौन व्यवहार के शिकार बन जाते हैं। माता–पिता अकस्मात ही संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ हो जाते हैं।
- जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं, विवाह करके अपने स्वयं के परिवार प्रारंभ करने के लिए माता–पिता को छोड़ कर चले जाते हैं तब अनेक माता–पिता खाली घोंसला संलक्षण का अनुभव करते हैं।
- कुछ बच्चे माता–पिता की वृद्धावस्था में उनका परित्याग कर देते हैं। ऐसा कई कारणों से होता है जैसे निर्धनता, ससुराल वालों से तनावपूर्ण संबंध या संपत्ति संबंधी झगड़े। इस अवस्था में माता–पिता को यदि वृद्धों के लिए गृह जैसी सामाजिक सहायता प्रणालियों से कोई सहायता प्राप्त न हो तो उनकी स्थिति बड़ी दुखदाई हो जाती है।

परिवार प्रणाली में पति और पत्नी के बीच समस्याएँ

- कुछ परिवारों में पति पत्नी एक दूसरे से मार पिटाई या गाली गलौज करते रहते हैं। गाली गलौज करना अधिक प्रचलित है और यह भी मार पिटाई के समान चोट पहुँचाता है। इसके कारण अंततः आपसी संचार और संबंध टूट जाते हैं।
- अक्सर पति पत्नी के झगड़े अपनी अपनी रुचियों, धारणाओं, मूल्यों और जीवन की वरीयताओं पर आधारित होते हैं। उनमें से कोई भी अपने विचार दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है। इसके कारण मनोमालिन्य उत्पन्न होता है और कभी–कभी प्रतिशोध की उत्पत्ति भी होती है।
- विवाहेत्तर संबंध और इससे संबंधित संदेह के कारण परिवार में तबाही मच जाती है। एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्रेम और सरोकार भंग हो जाता है। इसके स्थान पर अविश्वास, संदेह, क्रोध का उबाल और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है।
- कोई पति या पत्नी स्थायी यौन समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण वे अपने पति या पत्नी की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के काबिल नहीं रह जाते। यौन समस्याओं से जुड़ी सामाजिक निंदा की आशंका पति अथवा पत्नी को पारिवारिक चिकित्सक या डॉक्टर के पास जाने से रोकती है और इस प्रकार यह

समस्या अनसुलझी रह जाती है। यद्यपि कुछ परिवारों में हो सकता है कि इस समस्या को खोलकर सामने न लाया जाए परन्तु यह किसी अन्य मुद्दे के रूप में उभर सकती है।

संकटग्रस्त परिवार

- कभी–कभार कुछ परिवारों पर संकट का हमला हो जाता है। यह संकट तब और भी तीव्र हो जाता है जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है।
- अपराध करने पर कारावास में दीर्घकाल के लिए बंद किया जाना, परिवार के एकमात्र कमाऊ व्यक्ति की अकस्मात ही नौकरी छूट जाना और बच्चों को नशे की दवाओं की लत लग जाना, कुछ ऐसी संकटपूर्ण घटनाएँ हैं, जो किसी परिवार की स्थिति को डाँवाडोल कर सकती हैं।

बोध प्रश्न I

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) "पारिवारिक समस्याओं की बहुलता'' से क्या अभिप्राय है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.3 परिवार प्रणाली की गतिकी

परिवार एक गतिशील संस्था है। स्वयं को अन्य संस्थाओं में हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में इसमें काफी परिवर्तन हुए हैं। परिवार सिर्फ एक गतिशील संस्था ही नहीं है बल्कि यह तो एक प्रणाली को भी गहन करती है। एक प्रणाली के रूप में परिवार की उप प्रणालियाँ भी होती हैं जैसे पति/पत्नी, माता–पिता और बालक। ये उप–प्रणालियाँ एक दूसरे से आपस में संबंधित होती हैं और लगातार एक दूसरे से परस्पर क्रिया भी करती हैं। इस प्रकार किसी एक प्रणाली में होने वाली समस्या या प्रगति अन्य उप–प्रणालियों पर और समग्र प्रणाली पर भी अपना प्रभाव छोड़ती हैं। परिवार प्रणाली में किसी अन्तःक्षेप की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है।

परिवार प्रणाली में विभिन्न समूह प्रक्रियाएँ होती रहती हैं। परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक लगाव एक ऐसी ही गतिकी है। इस लगाव द्वारा ही परिवार के सदस्यों में एक दूसरे को समझने और स्वीकारने के लिए आदर्श जुड़ाव पैदा होता है। यह लगाव ही दीर्घ काल तक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों, परम्पराओं और मानकों को बनाए रखने के लिए आधार के रूप में काम करता है।

परिवार में देखी जाने वाली दूसरी गतिकी है, इसकी परिवेश के अनुकूल बन जाने की क्षमता। यद्यपि परिवार प्रमुख संस्था रहती है परन्तु यह शिक्षा, व्यवसाय, सरकार, धर्म और मनोरंजन के साथ सह अस्तित्व में रहती है। परिवार के सदस्य किसी न किसी तरह से इन संस्थाओं से जुड़े होते हैं। इस भाँति परिवार अपने परिवेश में हो रहे परिवर्तनों के संबंध में अपने मानकों, प्रचलनों और मूल्यों में संशोधन करना सीखता है।

परिवार में देखी जाने वाली एक अन्य महत्त्वपूर्ण गतिकी है– इसकी स्थिरता और समन्वय। परिवार अपने सदस्यों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य पति, पत्नी या माता–पिता अथवा बालक की एक पूर्व निश्चित भूमिका होती है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिकाएँ, कार्य और दायित्वों के बारे में दूसरे को स्पष्ट जानकारी होती है, परिवार में स्थायित्व बना रहता है। यह स्थायित्व परिवार में समन्वय के लिए बुनियाद का काम करता है।

जब परिवार में, ऊपर वर्णित इन प्रक्रियाओं में आंतरिक और बाह्य घटनाएँ व्यवधान डालती हैं तो परिवार प्रणाली में समस्याएँ आ जाती हैं। कुछ परिवार के सदस्यों में एक–दूसरे से भावनात्मक लगाव समाप्त हो जाता है और वे अलग होने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ परिवार परिवेश के अनुकूल बन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं और वे अलग–थलग हो जाते हैं। कुछ परिवार का स्थायित्व और समन्वय समाप्त हो जाता है और वे निरंतर झगड़ना शुरू कर देते हैं। अंततः परिवारों की क्रिया बिगड़ जाती है और वे अपनी प्रासंगिकता और अस्तित्व का उद्देश्य ही खो बैठते हैं।

यदि परिवारों को उनकी कार्यात्मक स्थिति में वापस लाना है तो उपयुक्त अन्तःक्षेप आवश्यक है। इस अन्तःक्षेप का स्वरूप समग्र होना चाहिए और इसके परिवार के साथ एक प्रणाली के रूप में व्यवहार करना चाहिए। इस संदर्भ में ही, समाज कार्य व्यवसाय की विभिन्न विधियाँ सुसंगत हो जाती हैं क्योंकि ये विधियाँ एक व्यक्ति, समूह और समुदाय के साथ कार्य व्यवहार करती हैं। परिवार प्रणाली की गतिकी ऐसी है कि यह पूरी प्रणाली के साथ कार्य करने वाले एक समेकित दृष्टिकोण को अनिवार्य बनाती हैं। आगे आने वाले अनुच्छेदों में परिवार प्रणाली में समाज कार्य की विभिन्न विधियों को लागू करने की जानकारी दी जाएगी।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) परिवार को एक गतिशील प्रणाली क्यों कहा जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.4 समाज कार्य में अन्तःक्षेपी विधियाँ

1) परिवार व्यवस्था में व्यक्तियों के साथ समाज कार्य

परिवार के साथ कार्य करते समय, समाज कार्यकर्त्ता को कभी–कभी परिवार के केवल किसी एक सदस्य के साथ ही अपनी अंतःक्रिया सीमित करनी पड़ती है। कुछ समस्याएँ जैसे खराब शैक्षिक निष्पादन और बालकों के भावनात्मक विस्फोट या माता–पिता की कुछ व्यवहार संबंधी समस्याएँ जैसे अधिकारवादी होना, अत्यधिक अपेक्षाएँ रखना या अति संरक्षण करना आदि के लिए शायद परिवार की अन्य उप प्रणालियों को शामिल करने की ज़रूरत नहीं हो। वैवाहिक झगड़ों के कुछ मामलों में, पति या पत्नी समाज कार्यकर्त्ता के साथ काम करने के विचार का विरोध कर सकता/सकती हैं। ऐसी स्थितियों में कार्यकर्त्ता को परिवार के एक सदस्य के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि वह समस्या से निपट सके। सहायता की यह प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि इसको सुव्यवस्थित रूप से करना है।

व्यक्तियों के साथ काम करने की अवस्थाएँ

अध्ययन अवस्था

- व्यक्ति पर ध्यान दें। घनिष्ठता विकसित करें। एकाकी संबंध में यह बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- उनकी समस्याओं को सुनें। सक्रिय रूप से सुनें। उनके साथ सहानुभूति रखें।
- नेत्र संपर्क बनाएं रखें। गैर–शाब्दिक संचार और उस व्यक्ति की शरीर शैली को ध्यान से देखें।

- समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक सभी ब्यौरों को एकत्रित करें। इन ब्यौरों में उस व्यक्ति का व्यक्तिगत डाटा, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसके व्यक्तित्व के मनो–सामाजिक पहलुओं पर आवश्यक सूचनाएँ शामिल हों।

समस्या निर्धारण अवस्था

- समस्या, समस्या के प्रारंभ, उसकी आवृत्ति और विस्तार से संबंधित सूचना एकत्र कीजिए।
- समस्याओं से निपटने के लिए असंगत क्षेत्रों में तहकीकात कीजिए। ऐसे गोपनीय मामलों के बारे में उत्सुकता मत प्रदर्शित कीजिए, जो समस्या के निपटाने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।
- जिस समस्या को निपटाना है उसकी या, जो सकारात्मक व्यवहार सीखा जाना है, उसकी पहचान कीजिए। सामान्यतः नकारात्मक व्यवहार को दूर करने की अपेक्षा नवीन सकारात्मक व्यवहार विकसित करना ज्यादा आसान होता है।
- सम्पूर्ण समस्या को मत लीजिए। इसके उस हिस्से को लीजिए, जिसका प्रबंध करना/सुलझाना संभव है, जिसे शीघ्र ही निपटाना है और सबसे बढ़कर, उस पहलू को लीजिए जिसमें सफलता मिलने की काफी संभावना है। सफलता की प्राप्ति से समस्याग्रस्त व्यक्ति में और अधिक जटिल समस्याओं को निपटाने के लिए आत्मविश्वास उत्पन्न होगा।
- नियमित अंतरालों पर उस व्यक्ति को कही गई बातों का सारांश निकालिए। उसकी समस्या के विषय पर ही नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं के बारे में भी सहानुभूति से प्रतिक्रिया कीजिए।

सहायता करने की अवस्था

- विकल्पों की समीक्षा करने के पश्चात् अन्तःक्षेपी विधि का चयन कीजिए। व्यक्ति को प्रोत्साहित कीजिए कि वह भिन्न रूप से विचार करे।
- अन्तःक्षेप को कार्यान्वित कीजिए।
- व्यक्ति को इस योग्य बनाइए कि वह अपनी समस्या को सुलझाने वाले व्यवहार का दायित्व ले सके। नया व्यवहार सीखने से सम्बद्ध चुनौतियों की पहचान करने में या नकारात्मक व्यवहार को छुड़ाने में उसकी मदद कीजिए।
- अड़चनों और हानियों का अंदाज़ा लगाने में उसकी मदद कीजिए।

- उसकी उन्नति को मॉनीटर कीजिए। व्यवहार सूचकों को विकसित कीजिए ताकि वह समय–समय पर अपनी प्रगति को मॉनीटर कर सके।
- अन्तःक्षेप के सभी पहलुओं की समीक्षा कीजिए। यदि अन्तःक्षेप काम नहीं कर रहा है तो अन्तःक्षेप की जाँच कीजिए और उसके कुछ लक्षणों में परिवर्तन कीजिए।

समाप्ति अवस्था

- सहायता प्रक्रिया की समाप्ति सावधानीपूर्वक और धीरे–धीरे करनी चाहिए। निर्णय, उस व्यक्ति से परामर्श करके ही लेना चाहिए, जिसकी आप सहायता कर रहे हैं।
- नए सकारात्मक व्यवहार के विरामों, सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती क्रिया की योजना बना लीजिए।
- जब भी आवश्यक हो, सतत् उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कीजिए।

2) परिवार प्रणाली में समूह के साथ समाज कार्य

अपने बालकों का पालन–पोषण करते समय बहुत से माता–पिता कुछ सामान्य समस्याओं का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार बालकों या पति पत्नी को भी इसी प्रकार की कुछ सामान्य समस्याएँ हो सकती हैं। ऐसी स्थितियों में समूहों में उनकी सहायता करना अधिक लाभप्रद होगा न कि एक एक व्यक्ति की अलग–अलग सहायता करना। उदाहरण के लिए, यदि बहुत से माता पिताओं का एक समूह यह अनुभव करता है कि उन्हें बच्चों की देखभाल के बेहतर तरीके सीखने की ज़रूरत है तो यह अधिक उपयोगी होगा कि उन्हें एक समूह में एकत्रित किया जाए और इस योग्य बनाया जाए कि वे अपनी भावनाओं के बार में खुलकर विचार–विमर्श कर सके और एक दूसरे के अनुभवों से सीख सके। इसी तरह से, जो बालक अपराधी व्यवहारों या चिड़चिड़ेपन एवं बदमिजाज़ी की समस्या के निदान के लिए भेजे गए हैं वे यदि अपनी जैसी समस्या से ग्रस्त अन्य बालकों से भी मिले तो उन्हें बहुत लाभ होगा और वे इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास कर सकेंगे।

इसी संदर्भ में परिवारों के साथ समाज कार्य व्यवहार करते समय समूहों के साथ काम करना महत्त्वपूर्ण बन जाता है। समूहों में मिलने से सदस्यों को सीखने के अनुभव प्राप्त होते हैं, अपने अपने अनुभव को बाँटने के अवसर मिलते हैं, और मिलकर समस्या का समाधान करना संभव हो जाता है। सदस्यों को व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता के मार्गदर्शन में आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाने का अवसर मिल जाता है।

समूह के साथ काम करने की अवस्थाएँ

अध्ययन अवस्था

- सामान्य समस्याएँ, आवश्यकताएँ और अपेक्षाएँ रखने वाले सदस्यों का समूह बनाइए। (उदाहरण के लिए, ऐसे माता पिताओं के समूह, जो बालकों के पालन पोषण के बेहतर तरीके सीखना चाहते हैं)।
- आयु, शिक्षा और व्यवसाय की दृष्टि से एक समान समूह बनाना अधिक उचित होगा।
- बैठने की व्यवस्था आरामदायक हो और बाहर के शोर से ध्यान भंग न हो। ऐसे ब्यौरों का ध्यान रखिए। गोल समूह में बैठना उपयुक्त होगा।
- समूह सदस्यों के साथ विचार–विमर्श कीजिए और उनकी चिंता का मुख्य विषय क्या है, इसका पता लगाइए। उनकी चिंता के आधार पर लक्ष्य तैयार कीजिए।
- लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दीजिए और उनके कार्यों या गतिविधियों में परिवर्तित कीजिए। यदि समूह का लक्ष्य बच्चों के लालन पालन के बेहतर तरीके सीखना है तो इससे संबंधित जानकारी, कौशलों और मनोवृत्तियों के बारे में योजना बनाइए। तत्पश्चात् इस आवश्यकता के आधार पर विषय, प्रसंग, उप प्रसंग और प्रत्येक बैठक के दौरान होने वाली गतिविधियाँ तैयार कीजिए।

सहायता करने की अवस्था

- सामूहिक गतिविधियाँ आयोजित कीजिए। ये गतिविधियाँ लक्ष्य प्राप्ति के महत्त्व के क्रम में व्यवस्थित करनी चाहिए।
- मूलभूत समूह प्रक्रियाएँ जैसे, सहभागिता, हम एवं हमारे की भावना, भावनात्मक सहयोग, संपुष्टि और स्वीकृति को मॉनीटर करके अनुकूल समूह सदस्यता को सुनिश्चित कीजिए।
- सदस्यों को प्रोत्साहित कीजिए ताकि वे अपने विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, दृष्टिकोणों और जानकारी को मुक्त रूप से अभिव्यक्त कर सकें।
- इसके साथ–साथ सदस्यों को प्रभुत्व दिखाने, आलोचना करने और उपदेश देने के व्यवहारों का प्रदर्शन करने की अनुमति मत दीजिए। उन्हें यह समझाइए कि ऐसे व्यवहार करना समूह की क्रियाविधि के लिए हानिकारक होगा।
- नई जानकारी और व्यवहार अर्जित करने के संदर्भ में प्रत्येक सत्र को पिछले और आगामी सत्रों से जोड़ते जाइए। इससे सदस्य नवीन कौशलों को सीख सकेंगे।
- नई जानकारी को व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। आप सदस्यों को गृह सत्रीय कार्य दे सकते हैं।

- उनको इस योग्य बनाइए कि वे नए व्यवहारों को यथार्थ जीवन स्थितियों में प्रयुक्त कर सकें। उनसे कहिए कि वे ऐसे अनुभवों का रिकॉर्ड बना लें।
- सदस्यों के गृह सत्रीय कार्यों की समूह में समीक्षा कीजिए।
- सदस्यों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे समूह शिक्षा के प्रभावों की, माता पिता के रूप में अपने अपने जीवन में भागीदारी करें। उदाहरणार्थ उन माता पिताओं का समूह जो बच्चों का पालन पोषण के बेहतर तरीके सीखने पर काम कर रहा है, अपने बालकों के साथ संबंध के बारे में अपने नवीन अनुभवों की भागीदारी करेगा।
- पुनः आश्वासन के साथ उनको प्रत्युत्तर दीजिए।

समाप्ति अवस्था

- व्यक्तियों को तथा समूह को भी उनकी अपनी अपनी प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि दीजिए। इससे सदस्यों में नए व्यवहार सीखने की अपनी क्षमता के बारे में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा।
- यदि अनुवर्ती क्रिया आवश्यक है तो अनुवर्ती बैठकों की रीति की योजना बनाइए।
- सदस्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि वे कार्यकर्त्ता से या अन्य सदस्यों से संपर्क बनाए रखें क्योंकि हो सकता है कि कभी भावनात्मक सहयोग की जरूरत पड़ जाए।

3) परिवार प्रणाली के लिए समुदाय के साथ काम करना

परिवार का अस्तित्व पृथकता में नहीं बल्कि समुदाय में होता है। समुदाय परिवार के लिए आधारभूत सहयोग पद्धति है। परिवार के सदस्य समुदाय में अन्य संस्थाओं के भी हैं। उदाहरणार्थ, एक परिवार में पिता किसी उद्योग में और माता किसी सरकारी उद्यम में कार्य कर रहे हो सकते हैं। बच्चे किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा वे लोग किसी विशिष्ट धर्म के सदस्य हो सकते हैं और किसी विशिष्ट मौहल्ले पड़ोस के निवासी हो सकते हैं।

परिवार की कुछ समस्याएँ समुदाय में दूसरी संस्थाओं में उनकी भूमिका को प्रभावित करेंगी और इन संस्थाओं की कुछ समस्याएँ परिवार की गतिकी को प्रभावित करेंगी। उदाहरण के लिए, परिवार में पिता जिस उद्योग में काम कर रहा है वह बंद हो सकता है और उसकी नौकरी समाप्त हो सकती है। बेटे के कॉलेज परिसर में उसके द्वारा किए गए अनुशासनहीन व्यवहार के कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। एक दुखपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब किसी निर्धन परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य की किसी

दुर्घटना में मृत्यु हो जाए और परिवार बेसहारा हो कर सड़क पर आ जाए। इन सभी स्थितियों में परिवार को फिर से बनाने और सहायता करने की प्रक्रिया में समुदाय की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे परिवारों की मदद के लिए कार्यकर्त्ता को समुदाय में उपलब्ध संसाधनों को जुटाना पड़ता है। इस तरह के संदर्भ में ही समुदाय के साथ समाज कार्य व्यवहार परिवार व्यवस्था के पक्ष में प्रासंगिक बन जाता है।

समुदाय कार्य में विकल्प

- कुछ परिवारों की एक सामान्य समस्या हो सकती है और समुदाय संसाधनों को जुटा कर इसका समाधान संभव कर सकता है। उदाहरण के लिए, कार्यकर्त्ता कुछ ऐसी गृहणियों के साथ काम कर रहा होता है, जिनकी मुख्य समस्या यह है कि वे कोई नौकरी नहीं कर सकती क्योंकि घर पर उनके छोटे–छोटे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इन महिलाओं को परिवार में अतिरिक्त आय की अत्यंत आवश्यकता है। वे कौशलयुक्त हैं और उनके लिए नौकरी भी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में यदि समुदाय में बालकों के लिए एक दिवस देखभाल केन्द्र (डे केयर सेंटर) चलाने की व्यवस्था कर दी जाए तो यह इन परिवारों के लिए बहुत लाभदायक होगा। इस प्रकार कार्यकर्त्ता का समुदाय संसाधनों को जुटाने का प्रयास बहुत से परिवारों की समस्या को सुलझा देगा।
- ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ परिवार के कमाऊ सदस्य की नौकरी छूट गई है। वह कोई कौशलयुक्त श्रमिक भी नहीं है। ऐसी हालत में कार्यकर्त्ता उस व्यक्ति का समुदाय में किसी व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण संस्था से संपर्क करा सकता है जहाँ वह जीविका कौशलों को सीख सके। बाद में कार्यकर्त्ता ही समुदाय में किसी बैकिंग संस्था से उस व्यक्ति के लिए स्व–रोज़गार ऋण की व्यवस्था करवा सकता है।
- कभी–कभी कार्यकर्त्ता को कुछ परिवारों के ऐसे बालकों की ओर से बोलना होता है, जो या तो अनाथ हैं या जो एकल माता–पिता वाले परिवार से हैं। इन बालकों को बालकों के लिए बनी आवासीय संस्थाओं में प्रवेश और शुल्क में छूट की ज़रूरत पड़ती है। उसके सामने यह स्थिति आ सकती है कि जहाँ बालक अपने ठहरने, प्रशिक्षण के लिए शुल्क दे पाने योग्य नहीं होते या प्रवेश की कसौटी के संदर्भ में उनमें पात्रता नहीं होती। ऐसी स्थिति में, कार्यकर्त्ता बालक को समुदाय में छात्रवृत्ति दिलवाने में या प्रवेश की कसौटी पर समझौते की बातचीत करके निश्चित रूप से प्रवेश दिलवाने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

इन सभी स्थितियों में कार्यकर्त्ता को परिवार के कुछ सदस्यों की सहायता करने के लिए समुदाय के साथ काम करना और इसके संसाधन को जुटाना होता है।

4) संकट अन्तःक्षेप

किसी परिवार में अनपेक्षित रूप से किसी भी रूप में संकट आ सकता है जैसे पति, पत्नी या किसी बालक की मृत्यु, विवाहेत्तर संबंध, पति या पत्नी का लंबे समय के लिए कारावास या परिवार के किसी बालक को नशीली दवाओं का व्यसन होना। किसी परिवार के जीवन में यह एक निर्णायक अवधि होती है। इससे परिवार की स्थिरता और सामंजस्य भंग हो जाता है और परिवार के सदस्यों की सुरक्षा और अस्तित्व दांव पर लग जाता है। इस हालत में न परिवारों को कुछ बाह्य सहायता की जरूरत होती है। संकट अन्तःक्षेप एक ऐसी ही प्रणाली है जिसका समाज कार्य व्यवहार में व्यापक रूप से प्रयोग होता है।

संकट अन्तःक्षेप की अवस्थाएँ

निर्धारण अवस्था

- संकटग्रस्त परिवारों के सदस्यों को इस योग्य बनाइए कि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। यह बहुत जरूरी है।
- संकट के आरंभ होने तथा संकट के कारणों के बारे में सरोकार रखना ज्यादा जरूरी नहीं है। इस पहलू पर ज्यादा समय व्यतीत न करें।
- परिवार पर संकट के प्रभाव का निर्धारण करें। दुष्क्रिया और क्षति की मात्रा और विस्तार का पता लगाइए।
- परिवार के सदस्यों की अहं शक्ति का मूल्यांकन कीजिए। सदस्यों की मूल प्रतिरक्षाओं और सामान्य अनुकूली प्रतिमानों का पता लगाइए।
- आंतरिक, अंतरःपारिवारिक और समुदाय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कीजिए।

अन्तःक्षेप अवस्था

- संकट और उससे निपटने के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करके सदस्यों के संज्ञानात्मक नजरिए को बढ़ाएँ।
- उन्हें इस योग्य बनाएँ कि वे दुःख, आघात और चिंता जैसी अपनी भावनाओं के प्रात जागरूक हों। उन्हें आश्वासन और भावनात्मक सहयोग प्रदान करें।
- वस्तुपरक और आर्थिक सहायता जैसे संसाधन जुटाएँ और पड़ौसियों तथा रिश्तेदारों से सहायता प्राप्त करें। उन्हें इस योग्य बनाएँ कि वे ऐसे संसाधन खुद ही जुटा सके आर उनका प्रयोग कर सकें।

- समायोजन कौशल पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। जिन्दगी का सामना करने के लिए उन्हें नए रवैये और कौशल सिखाएँ।

समाप्ति अवस्था

- संकट से निपटते समय सदस्यों में जो परिपक्वता आ रही है, उसकी ओर इंगित कीजिए। यह संकट अन्तःक्षेप का सकारात्मक परिणाम है।
- जब तक स्वस्थ संतुलन पुनः स्थापित न हो जाए अनुवर्ती क्रिया करते रहें। इससे परिवार को भावी खतरों का वास्तविकता से सामना करने में मदद मिलेगी।

5) परिवार चिकित्सा

परिवार चिकित्सा का उद्देश्य है, पूरे परिवार के लिए जीवनयापन के संतोषजनक तरीके संस्थापित करना। परिवार को एक प्रणाली के रूप में माना जाता है और किसी कुसमायोजित व्यक्ति को परिवार प्रणाली के अंतर्गत उपचार प्रदान किया जाता है। यह माना जाता है कि परिवार में किसी एक व्यक्ति की समस्या इस तथ्य से पैदा होती है कि वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ किस तरह अंतःक्रिया करता है और अन्य सदस्य उसके साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, नशाखोरी, विवाह संबंध का भंग होना और घरेलू हिंसा। इस संदर्भ में, यह आवश्यक होता है कि पूरे परिवार या जो लोग समस्या से सरोकार रखते हैं, उनके साथ काम किया जाए। परिवार चिकित्सा एक ऐसी विधि है, जिसका समाज कार्य व्यवहार में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

कार्यनीति

- संबंध विकसित कीजिए। परिवार प्रणाली का अध्ययन कीजिए।
- यह निर्धारित कीजिए कि परिवार अपनी समस्या स्वयं ही सुलझा सके इस कार्य में क्या बाधा है। परिवार के अंतर्गत् तात्कालिक समस्या को सुलझा भर लेना ही काफी नहीं है।
- परिवार के सदस्यों को सिखाएँ कि वे अपनी नकारात्मक या सकारात्मक भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को खुलकर बताएँ।
- जब भावनाओं की विसंगतियों, शब्दों या कार्यों को नोट किया जा रहा हो, तब अन्तःक्षेप कीजिए।

- सदस्यों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे चिकित्सा के दौरान और बाद में भी अंतःक्रिया करें। यह दर्शाएँ कि सभी सदस्यों के बीच पूर्ण अंतःक्रिया का होना, समस्या को सुलझाने के लिए किस प्रकार आवश्यक है।
- परिवार के सदस्यों की सहायता कीजिए ताकि वे अपनी उन धारणाओं, मूल्यों और अपेक्षाओं पर पुनर्विचार करें जिनको वे काफी समय से मानते आ रहे हैं और जो उनकी समस्या सुलझाने की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं।
- समस्या को सुलझाने के लिए अनेक नए–नए द्वार खोलिए। उनकी सहायता कीजिए जिससे वे अपनी समस्या को सुलझाने के उचित तरीके ढूँढ सकें। परिवार को सिखाएँ कि वे अपनी समस्याएँ स्वयं ही सुलझाएँ।
- परिवार के सदस्यों को यह शिक्षा प्रदान करें कि वे अपने पड़ौसियों से संपर्क रखें और पड़ोस के संसाधनों से मदद लें।

6) वैवाहिक परामर्श

वैवाहिक परामर्श का प्रयोग एक पति और उसकी पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाने के लिए किया जाता है। वैवाहिक झगड़े वस्तुतः किसी भी बात पर हो सकते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र जिनके कारण गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं वे हैं, आर्थिक मामले, बालकों के पालन पोषण के तरीके, ससुराल के लोगों के प्रति कर्तव्यों की पूर्ति न करना, जीविका की माँगों को पूरा कर पाने की अक्षमता, विवाहेत्तर संबंध और यौन समस्याएँ। वैवाहिक झगड़ों के मुख्य कारण हैं पति और पत्नी की एक दूसरे से अवास्तविक अपेक्षाएँ और उनके व्यक्तित्व के लक्षण। इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि उनके संबंधों में स्थायित्व और सामंजस्य बनाए रखने के लिए पति तथा पत्नी दोनों के साथ काम किया जाए। वैवाहिक परामर्श एक ऐसी ही विधि है, जिसका समाज व्यवहार में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

कार्यनीति

- दम्पत्ति के साथ घनिष्ठता बढ़ाएँ।
- पति/पत्नी को समस्या की पहचान कर पाने योग्य बनाने में सहायता कीजिए। उनसे चर्चा कीजिए और बताएँ कि इस समस्या का उनके संबंध पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- दम्पत्ति को उनकी समस्या के कारण समझ सकने योग्य बनाएँ। कभी–कभी ये कारण वैवाहिक इकाई से बाहर के भी हो सकते हैं।

- उनका ध्यान इस बात की और दिलाएँ कि एक परिवार को चलाने में होने वाले रोज़मर्रा के तनावों से निपट पाने की अक्षमता किस प्रकार पति और पत्नी के बीच के संबंधों को नष्ट कर देती है।
- उनकी सहमति से समस्या के उस हिस्से का चयन कीजिए जिसे उसकी तात्कालिकता और प्रबंधनीयता के आधार पर सुलझाया जाना है।
- दम्पत्ति को खुली, सीधी, सार्थक और संतोषजनक बातचीत के कौशल सिखाएँ। दम्पत्ति को इस योग्य बनाएँ कि वह आपकी उपस्थिति में ही अपने विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करे। एक दूसरे से पुनः अंतःक्रिया स्थापित करने में उनकी मदद कीजिए।
- एक दूसरे के प्रति तदनुभूति विकसित करने में उन्हें सक्षम बनाएँ। अपने वैवाहिक जीवन के प्रारंभ में उनमें आपस में जो प्यार और सरोकार था, उसको पुनः जागृत कीजिए।
- उनके परिवार में किन कारणों से तनाव उत्पन्न हो रहा है, यह जानने में उनकी मदद कीजिए और उनको तनाव प्रबंधन की तकनीके सिखाएँ।
- वैवाहिक संबंध के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे आपसी संबंध, यौन संबंध, वफादारी, स्नेह नेतृत्व, एक दूसरे के प्रति दायित्व और परस्पर सहयोग पर काम करें।
- अगले सत्र में आने से पहले उनको 'गृह कार्य' करने के लिए दीजिए।
- परिवार के अंदर (परिवार के बुजुर्ग) और परिवार के बाहर (पड़ोस) में सहायता प्रणाली को सशक्त कीजिए।
- उन्हें इस योग्य बनाएँ कि वे न केवल अपनी समस्या को ही सुलझाएँ बल्कि समस्या सुलझाने के कौशल भी सीखें। इससे भविष्य में बाहरी सहायता पर निर्भर रहने की बजाय उन्हें अपनी समस्याएँ खुद ही सुलझाने में मदद मिलेगी।

7) विवाह पूर्व परामर्श

युवा व्यक्तियों को विवाह से पहले स्थिति निर्धारण की आवश्यकता होती है। विवाह में और विवाह के पश्चात् पारिवारिक जीवन में होने वाली कई समस्याओं की उत्पत्ति विवाह से पहले उस दम्पत्ति द्वारा की गई अवास्तविक अपेक्षाओं और उनके विकृत विचारों के फलस्वरूप होती है। इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि जो युवा व्यक्ति विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं उनके लिए परामर्श सेवाएँ आयोजित की जाएँ। विवाह पूर्व परामर्श एक ऐसी ही विधि है, जिसका समाज कार्य व्यवहार में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

कार्यनीति

- समस्या से जूझ रहे व्यक्तियों को विवाह का लक्ष्य और उद्देश्य, वास्तविक अर्थों में समझने में मदद कीजिए।
- उन्हें उनकी उन अवास्तविक अपेक्षाओं, अपरिपक्व विचार पद्धति, अनुपयुक्त रवैयों से अवगत कराएँ जिन्हें उन्होंने अपने माता–पिता से या जन मीडिया से सीखा है।
- उन्हें अंर्तव्यैक्तिक संबंध, संचार और समस्या समाधान के कौशलों के बारे में प्रशिक्षण दीजिए।
- एक दूसरे के प्रति तथा अपने माता–पिता और ससुराल के सदस्यों के प्रति भी अपने दायित्वों और भूमिका को पहचानने में उनकी मदद कीजिए।
- विवाह में यौन संबंधों के शारीरिक और जैविक आयामों और महत्त्व को समझने में उनकी सहायता कीजिए।
- यौन संबंध तथा इससे जुड़ी हुई समस्याओं जैसे नंपुसकता और ठंडापन के बारे में उनकी अज्ञानता, भय, अपराधभाव, घृणा या चिंता को दूर कीजिए।
- बालकों के साथ परिवार बनाने के महत्त्व के बारे में उन पर प्रभाव डालें। हमारे देश के लिए उपयुक्त लघु परिवार के महत्त्व की विशेष जानकारी दीजिए। परिवार नियोजन की विभिन्न संभावनाओं और विधियों के बारे में सूचित कीजिए।

बोध प्रश्न III

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) परिवार प्रणाली की समस्याओं से निपटने के लिए समूह के साथ काम करने की क्या आवश्यकता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.5 संकलनवादी दृष्टिकोण

परिवार की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई एकल विधि नहीं होती। कोई भी सैद्धान्तिक प्रणाली पूरी तरह से समस्याओं की गतिकी को तथा उससे निपटने के तरीकों को स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाती। अतः एक संकलनवादी दृष्टिकोण विकसित करने की ज़रूरत है। संकलनवादी दृष्टिकोण की विशिष्टता यह है कि इसमें समस्याग्रस्त व्यक्तियों के संदर्भ में सही दृष्टिकोण और तकनीकों का चयन करने के लिए अनेक सिद्धान्तों एवं कौशलों के ज्ञान का प्रयोग किया जाता है।

परिवारों के साथ समाज कार्य व्यवहार विशिष्ट रूप से संकलनवादी दृष्टिकोण के आधार पर काम करता है। इसके स्पष्ट कारण है। परिवार एक प्रणाली है और गतिशील है। इसकी समस्याएँ बहुपक्षीय होती है। इन समस्याओं के कारण और परिणाम समझना जटिल होता है और उनसे निपटना मुश्किल होता है। अतः इसके लिए एक संकलनवादी दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा परिवार प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए विविध विषयों की जानकारी और कौशलों का एक साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है।

समस्या से प्रभावित व्यक्तियों को समस्याओं से निपटने में समाज कार्यकर्त्ता को व्यक्तियों, समूहों और समुदाय के साथ काम करने की समाज कार्य विधियों के किसी सम्मिश्रण का चयन करने योग्य होना चाहिए। उसको ऊपर वर्णित संकट अन्तःक्षेप, परिवार चिकित्सा, वैवाहिक परामर्श और विवाह पूर्व परामर्श जैसी अन्य कार्यनीतियों का भी चयन करने योग्य होना चाहिए।

1.6 सारांश

समुदाय में परिवार मूल संस्था होती है। अतः यह महत्त्वपूर्ण है कि हमें परिवार के साथ काम करने की जानकारी व कौशल प्राप्त हों। इस इकाई में हमने पढ़ा है कि परिवार के सामने आने वाली समस्याएँ बहुपक्षी स्वरूप की होती है। हमने यह भी जाना है कि परिवार एक प्रणाली के रूप में होता है और इसलिए परिवार के किसी एक व्यक्ति की समस्या के निपटान में परिवार प्रणाली के कई अन्य सदस्यों का सहयोग भी शामिल होता है। इसी संदर्भ में ही ''परिवार के साथ समाज कार्य'' नामक इस इकाई में व्यक्तियों, समूहों और समुदाय के साथ काम करने की समाज कार्य विधियों की तथा संकट अन्तःक्षेप, परिवार चिकित्सा, वैवाहिक परामर्श और विवाह पूर्व परामर्श जैसी अन्य कार्यनीतियों की भी जानकारी दी गई है। इससे हमें परिवारों के साथ काम करने की जानकारी मिली है और इस कार्य को करने में रुचि उत्पन्न हुई है। वस्तुतः इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उपागम भी हैं लेकिन वे इस इकाई के

विषय क्षेत्र के अंतर्गत् नहीं आते। अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए आप 'कुछ उपयोगी पुस्तकें' शीर्षक के अंतर्गत् वर्णित पुस्तकों से लाभ उठा सकते हैं।

1.7 शब्दावली

संकलनवादी : अनेक सिद्धान्तों और पद्धतियों से सही उपागम और तकनीकों का प्रयोग करना।

संकट अंतःक्षेप : जब किसी व्यक्ति के समक्ष कोई आकस्मिक आपदा आ जाती है तो उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए तात्कालिक सहायता सुनिश्चित करना।

विवाहपूर्व परामर्श : उन युवा व्यक्तियों को परामर्श देना जिनका शीघ्र ही विवाह होने वाला है।

तदनुभूति : स्वयं को समस्यापीड़ित व्यक्ति की स्थिति में रखना और उसकी समस्याओं एवं भावनाओं को समझना।

घनिष्ठता : सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा संबंध बनाना जो पोषित करने वाला हो और व्यवसायिक भी।

1.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

हर्बर्ट मार्टिन (1988), वर्किंग विद चिल्डरैन एंड देयर फैमिलीज, लायकेम बुक्स इंक, शिकागो।

बुबेन्जेर, डोनाल्ड एल एंड वेस्ट, जॉन डी (1993), काउन्सलिंग कपल्स, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

केप्स, डोनाल्ड (ऍड्स) (1987), द फेमिली थेरेपिस्ट फ्लेमिंग एच. रेवेल कम्पनी, न्यू जर्सी।

जॉन एंटोनी, डी. (1994), स्किल्स ऑफ काउंसलिंग, अनुग्रह पब्लिकेशन्स, नागरकोइल।

प्रशांथम, बी. जे. (1988), इंडियन केस स्टडीज इन थेरेपिटिक काउंसलिंग, क्रिश्चियन काउंसलिंग सेंटर, वेल्लोर।

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) परिवार में बहुपक्षी समस्याएँ होती हैं। बालकों और माता–पिता के बीच समस्याएँ होती हैं। बालकों को माता–पिता से बच्चों के बीच पक्षपात करने और अति सुरक्षा करने की शिकायत हो सकती है और माता–पिता को बालकों से शिकायतें हो सकती हैं कि वे अवज्ञा करते हैं और भावनात्मक विस्फोटों का प्रदर्शन करते हैं। पति

पत्नी के बीच भी बालकों के पालन पोषण, जीवन शैली और ससुराल वालों के प्रति कर्तव्यों जैसे मुद्दों पर समस्याएँ हो सकती हैं। कुछ स्थितियों में, परिवारों के समक्ष अपने सदस्यों के बीच समस्याओं के कारण नहीं बल्कि पति या पत्नी की मृत्यु या किसी की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण बड़ा संकट आ जाता है। इस प्रकार समस्याओं के बहुल आयाम होते हैं। चूँकि परिवारों में समस्याएँ बहुपक्षी होती हैं इसलिए परिवार के किसी एक सदस्य की समस्या, अन्य सदस्यों को भी प्रभावित कर सकती हैं।

बोध प्रश्न II

1) परिवार एक गतिशील संस्था है। अन्य संस्थाओं में हो रहे परिवर्तनों से स्वयं को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में इसमें कई परिवर्तन हुए हैं। परिवार केवल गतिशील संस्था ही नहीं है बल्कि यह एक प्रणाली को भी गठित करती है। प्रणाली के रूप में परिवार की उप प्रणालियाँ भी होती हैं जैसे पति पत्नी, माता–पिता और बालक। ये उप–प्रणालियाँ एक दूसरे से अंतःसंबंधित होती हैं और एक दूसरे से निरंतर अंतःक्रिया भी करती हैं। इस प्रकार किसी एक उप–प्रणाली की समस्या अन्य उप–प्रणालियों और समग्र प्रणाली पर भी अपना प्रभाव डालती है।

बोध प्रश्न III

1) अपने बालकों का पालन पोषण करने में अनेक माता–पिता कुछ सामान्य समस्याओं का सामना करते हैं। इसी भाँति बालकों व पति, पत्नियों की भी कुछ ऐसी समस्याएँ होती हैं, जो सामान्य स्वरूप की होती हैं। ऐसी स्थितियों में एक एक व्यक्ति की समस्या से अलग–अलग निपटने के बजाय समूहों में उनकी समस्याएँ सुलझाने में मदद करना अधिक लाभदायक होगा। उदाहरणार्थ, यदि माता पिताओं का कोई समूह यह सोचता है कि उन्हें बालकों के पालन पोषण की बेहतर विधियों को सीखने की ज़रूरत है तो उन्हें समूह में एकत्रित करके इस योग्य बनाना चाहिए कि वे अपनी चिंताओं को आपरा में बाँटें, अपनी भावनाओं को खुल कर व्यक्त करें और एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकें। इसी संदर्भ में, समूहों के साथ काम करना, परिवारों के साथ समाज कार्य व्यवहार करने में महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 2 शैक्षिक स्थापन में समाज कार्य

*प्रो. अंजली गांधी

रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 शिक्षा में समाज कार्य

2.3 यूनाइटेड किंगडम में विद्यालय समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास और कार्य

2.4 संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यालय समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास और कार्य

2.5 भारत में विद्यालय समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास और कार्य

2.6 विद्यालय समाज कार्य अभ्यास के मॉडल

2.7 अन्य शैक्षिक स्थापनों में समाज कार्य

2.8 सारांश

2.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य आपको शैक्षिक व्यवस्था में समाज कार्य के महत्त्व के बारे में समझाना है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- शैक्षिक क्षेत्र में समाज कार्य के प्रयोग और प्रासंगिकता को समझ पाएँगे;
- यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में विद्यालय समाज कार्य के ऐतिहासिक आधारों का पता लगा सकेंगे;
- शिक्षा में समाज कार्य व्यवहार के मॉडलों को जान सकेंगे; और
- शैक्षिक क्षेत्र में समाज कार्य में वर्तमान प्रवृत्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

शिक्षा, विशेष रूप से विद्यालय शिक्षा को अब मूल मानवाधिकार माना जाता है। शिक्षित लोग अधिक स्वायत्त बन जाते हैं, सूचना के आधार पर अपनी पसंद निर्धारित करते हैं और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाते हैं। वे अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करते

* प्रो. अंजली गांधी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

हैं और अधिक सार्थक जीवन जीते हैं। दूसरी ओर, कम शिक्षित व्यक्तियों को अन्य लोगों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है।

आज के विद्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वहाँ पर विद्यार्थी को पढ़ना, लिखना और शिक्षा प्राप्ति के वे कौशल सिखाए जाएँगे, जो उसकी क्षमता और रुचि के अनुकूल हों। विद्यालय से यह आशा की जाती है कि वह ऐसे युवा व्यक्ति बनाए जिनको जीविका के अवसर प्राप्त हो सकें और जो समाज में लाभप्रद कार्य करें। विषयवस्तु पढ़ाने और व्यक्तित्व विकास करने के इस दोहरे कार्य के लिए यह अपेक्षित है कि बालकों का नामांकन करवाया जाए और विद्यालयी पढ़ाई पूरी होने तक उन्हें विद्यालय में रोके रखा जाए।

विद्यालयी पढ़ाई के मान्यता प्राप्त महत्त्व के बावजूद अनेक बच्चे गरीबी या अन्य कारणों की वजह से विद्यालय में नामांकन नहीं कराते या पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे मामलों में, उन्हें वैकल्पिक माध्यमों जैसे ग़ैर–औपचारिक कक्षाओं या बाद में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उनके लिए भी, शिक्षा का उद्देश्य वही रहता है।

क्या ऊपर वर्णित किया गया शिक्षा का व्यापक लक्ष्य शिक्षकों द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है? शिक्षक को यदि उपयुक्त साधन प्राप्त नहीं हैं, पूरा भोजन नहीं मिलता या वह अस्वस्थ है तो वह ध्यानपूर्वक काम कैसे कर पाएगा? जो माता–पिता दयनीय निर्धनता में जी रहे हैं वे भोजन और वस्त्र की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धि में ही अपनी समस्त ऊर्जा समाप्त कर देंगे। उनके बच्चे संभवतः किसी उद्दीपन, अनुशासन और पोषण के बिना ही विद्यालय में प्रवेश करेंगे। इस तरह का विद्यार्थी विद्यालयी अनुभवों का अधिकतम उपयोग कैसे कर पाएगा? इसके अलावा यह भी हो सकता है कि विद्यालय स्वयं ही समस्या का एक हिस्सा हों। विद्यालयों की नौकरशाही कार्य प्रणाली, बड़े–बड़े कमरे और उतने ही बड़े अध्यापक/शिष्य अनुपात के कारण वैयक्तिक शिक्षा असंभव बन जाती है। यह हो सकता है कि विद्यार्थी को जो विषयवस्तु पढ़ाई जा रही हो वह उसके सामाजिक संदर्भ से संबंध न रखती हो। अध्यापकों को समय सीमा के अंदर ही पाठ्यचर्या पूरी करनी होती है और कठिन परिस्थितियों में पड़े किसी विद्यार्थी की सहायता करने के लिए उनमें न तो ऊर्जा होती है और न ही प्रेरणा। वे ऐसे विद्यार्थी पर समस्यात्मक होने का ठप्पा लगा देते हैं और अनजाने में ही, उसको विद्यालयी पढ़ाई छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

ऊपर उल्लिखित बाधाएँ केवल औपचारिक विद्यालयों तक ही सीमित नहीं हैं। ये अन्य शैक्षिक व्यवस्थाओं जैसे व्यवसायिक संस्थाएँ, ग़ैर–औपचारिक या वयस्क शिक्षा कक्षाओं में भी पाई जाती हैं। इन बाधाओं को कम करने के लिए शिक्षकों के अलावा व्यवसायिकों की भी ज़रूरत पड़ती है, जो शिक्षकों की मदद कर सकें।

शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से विद्यालयों ने अध्यापकों के अलावा व्यवसायिकों से सहायता लेने के महत्त्व को जान लिया है। इन व्यवसायिकों में समाज कार्यकर्त्ता, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, नर्स, वाक् चिकित्सक और विशेष शैक्षिक शामिल हैं। इन सभी ग़ैर–शिक्षण व्यवसायिकों को मिलाकर छात्र विशेषता कहा जाता है। ये अध्यापकों की, शिक्षा के व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करते हैं।

2.2 शिक्षा में समाज कार्य

समाज कार्यकर्त्ता व्यक्तियों की सामाजिक कार्यविधि को उनकी अन्तर्निहित क्षमता के माध्यम से ही बढ़ाते हैं। लोगों की गरिमा और योग्यता में विश्वास रखते हुए वे यह मानते हैं कि लोग कभी–कभी, व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों के कारण असंतुलन की स्थिति में हो सकते हैं। इसलिए, वे व्यक्तियों को उपयुक्त सामाजिक प्रणालियों और संसाधनों से जोड़ कर इस असंतुलन को रोकने और कम करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, वे समाज के सर्वाधिक संवेदनशील सदस्यों की विनाशात्मक सामाजिक प्रभावों से सुरक्षा करते हैं। उनसे जिस कार्य को करने के लिए कहा गया है उस हैसियत से वे संबंध बनाने में और संप्रेषण को सुगम बनाने में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं।

समाज कार्यकर्त्ता की सेवाओं का प्रयोग उन सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, जो लोगों के साथ प्रभावशाली रूप से कार्य करने की इच्छुक हैं। अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं, जेलों, उद्योगों इत्यादि द्वारा समाज कार्यकर्त्ताओं को रोज़गार पर रखा जा रहा है। समाज कार्य व्यवहार के लिए ये गौण व्यवस्थाएँ हैं। दूसरे शब्दों में, इन संस्थाओं में समाज कार्य प्रमुख व्यवसाय नहीं है। यह अन्य व्यवसायों की उनका कार्य करने में मदद करता है।

उद्देश्य

शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व अध्यापकों पर निर्भर करता है। यदि ऐसा है तो शिक्षा के क्षेत्र में समाज कार्यकर्त्ताओं को नियोजित करने का क्या उद्देश्य है? समाज कार्यकर्त्ताओं के कौशलों का प्रयोग शैक्षिक क्षेत्र की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए किया जाता है। विद्यालय–घर समुदाय के संबंध को बनाए रखकर वे शिक्षा के केन्द्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। वे शिक्षण में दखल देने वाली व्यवहारात्मक, आर्थिक, पारिवारिक और शैक्षिक समस्याओं से निपटने में उनकी रोकथाम करते हैं। समस्याओं के दबाव से छुटकारा पाकर विद्यार्थी अपने शिक्षण अनुभवों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाते हैं। संक्षेप में, कहा जा सकता है कि समाज कार्य, शिक्षा में मानवीय कारक को प्रस्तुत करता है।

शिक्षा में समाज कार्य के उद्देश्य को आंशिक रूप से स्पष्ट करने के बाद आइए अब हम कुछ अन्य प्रासंगिक प्रश्नों पर विचार करें। वे मूल्य क्या हैं, जो समाज कार्य अंतःक्षेप को दिशा

निर्देश करते हैं? ज्ञान का आधार, कौशल और वे क्षमताएँ कौन सी हैं, जिनकी समाज कार्यकर्त्ताओं को शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूरत पड़ती है?

मूल्याधार

शिक्षा में समाज कार्यकर्त्ता जिन मूल्यों का व्यवहार करते हैं, वे समाज कार्य व्यवसाय द्वारा माने गए मूलभूत मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। परन्तु शिक्षा में प्रयोग के लिए इन मूल्यों में परिवर्तन भी किया जाता है। मियर्स और अन्य (1996) ने इसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसे थोड़ा बहुत परिवर्तित करके नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

समाज कार्य मूल्य	शिक्षा में समाज कार्य मूल्य
प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और योग्यता को मान्यता देना	प्रत्येक शिष्य को अदभुत विशिष्टताओं युक्त एक व्यक्ति के रूप में महत्त्व दिया जाता है।
आत्म संकल्प का अधिकार	प्रत्येक शिष्य को शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेने और पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।
व्यक्तिगत क्षमता के प्रति सम्मान और इसको प्राप्त करने के लिए उसकी अभिलाषा पूरी करने में सहायता करना	व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना चाहिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए अंतःक्षेप उपलब्ध कराना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होने का अधिकार और इन भिन्नताओं को सम्मान प्रदान करना	प्रत्येक छात्र को, चाहे वह किसी भी जाति या सामाजिक, आर्थिक विशिष्टताओं का है, समान व्यवहार पाने का अधिकार है।

ऊपर उल्लिखित लेखकों की धारणा है कि समाज कार्य मूल्यों का केन्द्र बिन्दु है विद्यार्थी छात्र समाज कार्यकर्त्ता जब भी उसके साथ काम करे चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अन्य सहकर्मियों – अध्यापक, माता पिता, सहपाठी या समुदाय सदस्यों के साथ काम करे उसे ''विद्यार्थी–छात्र के सर्वात्तम हित'' को ध्यान में रखना चाहिए। छात्र की ओर से नैतिक निर्णयन, लागत/लाभ विश्लेषण और कार्य के अपेक्षित परिणाम ठोस निर्णय पर आधारित होना चाहिए। इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है कि ऐसा बालक, जो किसी ग़ैर–सरकारी विद्यालय की पाठ्यचर्या की अतिशय मांगों को पूरा करने योग्य न हो उसकी पड़ौस के किसी ऐसे विद्यालय में भेजने के लिए सहायता करनी चाहिए जिसकी माँगें कम हों। इस मामले में वह बालक अच्छी तरह पढ़ाई कर सकेगा यद्यपि हो सकता है कि उसके माता–पिता उसे ऐसे विद्यालय में भेजने के इच्छुक न हों, जो कम मशहूर हों।

ज्ञान, कौशल और क्षमताएँ

शिक्षा में समाज कार्य का ज्ञान आधार समाज कार्य के ही समान मानव व्यवहार है विशेष रूप से समाज कार्य के संदर्भ में। यह व्यवसाय समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान और औषधि विज्ञान जैसे विषयों से बहुत कुछ ग्रहण करता है। शिक्षा में समाज कार्यकर्त्ता को ऐसे कौशलों की ज़रूरत होती है, जिनके द्वारा वह छात्रों के साथ उनके आयु वर्ग के उपयुक्त कार्य कर सके। उसे उनके शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की भी ज़रूरत पड़ती हैं, जिन क्षमताओं की ज़रूरत होती है उनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार हैः

- समकालीन समाज में शिक्षा के कार्यों की समझा।
- शिक्षा को प्रभावित करने वाले समाजशास्त्रीय मुद्दों का ज्ञान।
- शिक्षा को प्रभावित करने वाले कानूनी और नीतिगत मुद्दों की जानकारी जिसमें लाभवंचित समूहों की श्रेणियों के लिए प्रावधान भी सम्मिलित हैं।
- विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों जैसे गरीबी, हिंसा, एड्स, गृहहीनता, पदार्थ दुरुपयोग, उपभोक्तावाद आदि के बारे में जागरूकता।
- शिक्षा की पद्धतियों पर और समुदाय तथा उनके संबंधों का विश्लेषण करने की योग्यता।
- शैक्षिक संस्थाओं और समुदाय में संरचनाओं और प्राधिकार की श्रेणियों की जानकारी।
- शिक्षा में बाधा डालने वाली स्थितियों को कम करने के लिए अपेक्षित उपयुक्त संसाधनों को ढूँढने और प्रदान करने की क्षमता।
- शिक्षा में समाज कार्य का इतिहास और कार्य व्यवहार के वर्तमान मॉडलों की समझ।
- शिक्षा पद्धति, घर और समुदाय में समाज कार्यकर्त्ता द्वारा निभाई जा सकने वाली बहुल भूमिकाओं की समझ और अनुप्रयोग
- विभिन्न सहभागियों –विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशासक, परिवार, समुदाय और सह–व्यवसायिकों के साथ कार्य करने की योग्यता।
- भिन्न–भिन्न प्रकार के जनसमूहों के साथ प्रभावी रूप से संप्रेषण कर पाने की योग्यता।

समाज कार्यकर्त्ता और शिक्षक

समाज कार्यकर्त्ता और शिक्षक के लक्ष्य समान होते हैं। दोनों का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों में समग्र विकास लाना होता है ताकि वे ऐसे वयस्क बन सके जो उत्पादक हों। समाज कार्यकर्त्ता सर्वाधिक देखभाल करने वाले शिक्षक को भी नवीन उपयुक्त तरीके बता सकता है, जिनसे बच्चों के साथ व्यवहार किया जा सके। इसी प्रकार, अध्यापक भी समाज कार्यकर्त्ता के प्रयोग के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में मूल्यवान शैक्षिक और कक्षा आँकड़े (डाटा) प्रदान कर सकते हैं। इसके बावजूद उनके लक्ष्यों और मूल्यों में संघर्ष हो सकता है। समाज कार्यकर्त्ता एक बालक पर और उसके पर्यावरण पर विशिष्ट रूप से ध्यान केन्द्रित रखता है जबकि शिक्षक के लिए समूह और कक्षा का अनुशासन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः एक शिक्षक को यह बात आसानी से समझ में नहीं आती कि समाज कार्यकर्त्ता एक ऐसे बालक के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है, जो कक्षा में आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है। वे ऐसे माता–पिता के प्रति भी तद्नुभूति नहीं दिखा पाते जो विद्यालय या अपने बालक की शिक्षा के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करते है ऐसा संघर्ष स्वाभाविक है लेकिन इसे खुली बातचीत द्वारा सुलझा लेना चाहिए। समाज कार्य – शिक्षा भागीदारी दोनों ही व्यवसायिकों के लिए व्यवसायिक परिवर्तन प्रस्तुत करती हैं।

इन अवरोधों की परवाह न करते हुए समाज कार्य ने शैक्षिक क्षेत्र में अपने पाँव जमा लिए हैं और यह स्थायी रहेगा। भारत के अतिरिक्त शैक्षिक व्यवस्था में समाज कार्यकर्त्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यू.के., स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान में भी रोज़गार शुदा हैं। उनकी भूमिका उनके देशों की शैक्षणिक प्रणाली की सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में भिन्न भिन्न है।

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) शैक्षिक क्षेत्र में समाज कार्यकर्त्ता का क्या उद्देश्य है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 यूनाइटेड किंगडम में विद्यालय समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास और कार्य

शिक्षा में समाज कार्य को सामान्य तौर पर विद्यालय में समाज कार्य के समानार्थक माना जाता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश समाज कार्यकर्त्ता अन्य शैक्षिक व्यवस्थाओं की तुलना में विद्यालय में काम कर रहे हैं।

भारत में विद्यालय समाज कार्य सेवा की बड़ी महत्त्वपूर्ण स्थिति हैं, जिस व्यवसायिक समाज कार्य को हमने अपनाया है वह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य में विकसित हुआ है। इसी भाँति हमारी विद्यालय प्रणाली भी अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी और इसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए हैं। इन कारकों पर विचार करते हुए यह तर्कसंगत लगता है कि भारत में विद्यालय समाज कार्य पर अध्ययन करने से पहले हमको यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) और संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यालय समाज कार्य के विकास को समझना चाहिए। इसके अलावा, इन दो देशों की विद्यालय समाज कार्य सेवा प्राचीनतम है। अतः इन देशों में विद्यालय समाज कार्य के विकास का पता लगाने से इस क्षेत्र की व्यापक जानकारी प्राप्त होगी। नीचे यू.के. में विद्यालय समाज कार्य के इतिहास की जानकारी दी जा रही है।

उपस्थिति अधिकारियों की नियुक्ति

यू.के. में विद्यालय समाज कार्य को 'शिक्षा कल्याण' के नाम से जाना जाता है और इसका प्रसार शिक्षा कल्याण अधिकारियों (Education Welfare Officers-EWOs) द्वारा किया जाता है।

शिक्षा कल्याण अधिकारियों की सेवाएँ विद्यालय में उपस्थिति अधिकारियों की नियुक्ति के साथ शुरू हुईं। 1880 के शिक्षा अधिनियम ने स्थानीय विद्यालय बोर्डों को उपस्थिति अनिवार्य बनाने के लिए आदेश दिया और उन्हें यह अधिकार दिया कि अनुपस्थिति के लिए वे बालकों और माता पिता दोनों पर अभियोग करें।

इस अधिनियम के फलस्वरूप बड़ी संख्या में विद्यालय उपस्थिति अधिकारियों की नियुक्ति हुई। ये अधिकारी सामान्यतः भूतपूर्व पुलिस या सेना कार्मिक थे और कुछ ने तो सरकारी वर्दी पहनना भी पसंद किया। इन अधिकारियों का उपनाम ''बालक पकड़ने वाले'' या ''विद्यालय बोर्ड व्यक्ति" रखा गया क्योंकि ये पार्कों और खुली जगहों पर उन बालकों पर निगाह रखते और पकड़ते थे, जो विद्यालय नहीं आते।

इन उपस्थिति अधिकारियों को शीघ्र ही यह जानकारी हो गई कि माता पिता की लापरवाही ही बालकों की अनुपस्थिति के लिए उत्तरदायित्व का कारण नहीं थी। बालक गरीबी, अध्यापकों का डर या सहपाठियों के समूह के दबाव संबंधी कारकों की वजह से भी विद्यालय नहीं आते। धीरे–धीरे उनकी अंतःक्षेपी कार्यनीतियाँ, कारणों की ही भाँति बहुपक्षीय हो गई।

1944 का शिक्षा अधिनियम

उपस्थिति अधिकारियों और उनके कार्य को 1944 के शिक्षा अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई। इस अधिनियम द्वारा स्थानीय शिक्षा प्राधिकरणों को यह उत्तरदायित्व दिया गया कि वे अपने क्षेत्र के विद्यालय जाने वाली आयु के सभी बालकों को पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। अतः विद्यार्थियों का स्वास्थ्य निरीक्षण करवाना, निःशुल्क भोजन जहाँ आवश्यक हो वहाँ निःशुल्क डाक्टरी चिकित्सा और अक्षम बालकों को विशेष शिक्षा सहायता उपलब्ध कराने के काम उपस्थिति अधिकारियों के जिम्मे सौंपे गए। जब उपस्थिति अधिकारियों ने ये कल्याण सेवाएँ प्रदान करना प्रारंभ किया तब उन्हें 'शिक्षा कल्याण अधिकारी' के नए नाम से पुकारा जाने लगा।

प्लोडेन समिति

शिक्षा कल्याण अधिकारियों (ई.ओ. डब्ल्यू) के कार्य को ध्यानपूर्वक देखने का काम 1966 में प्लोडेन समिति द्वारा किया गया। शिक्षा कल्याण अधिकारियों का बड़ी संख्या में अध्ययन करने के बाद इस समिति ने यह टिप्पणी दी कि उनका ज्यादा समय विद्यालय उपस्थिति लिपिक के कार्य और अपने क्षेत्र के बालकों को विद्यालय का भोजन और वस्त्र वितरित करने में व्यतीत होता था। यह अनुभव किया गया कि शिक्षा कल्याण अधिकारी घर विद्यालय संपर्क का कार्य ज्यादा नहीं करते। इस काम को करने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्लोडेन समिति ने सिफारिश की कि शिक्षा कल्याण अधिकारियों को समाज कार्य में प्रशिक्षित किया जाए। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि या तो ये अधिकारी समाज कार्य प्रशिक्षण लें नहीं तो उनको कल्याण सहायकों के पद पर पदावनति कर दी जाए। इसके पश्चात् अनेक अधिकारियों ने समाज कार्य प्रशिक्षण लिया।

सीबोहम समिति

सीबोहम समिति की सिफारिश के फलस्वरूप 1971 में सामाजिक सेवा विभाग स्थापित हुआ। इन विभागों की स्थापना प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा स्वास्थ्य, नर्सिंग, कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में उन व्यक्तियों और परिवारों के लिए व्यापक सेवाएँ करना था जिन्हें खतरा होने की संभावना है। इन समाज सेवा विभागों से सेवा प्राप्त करने वाले अधिकतर व्यक्ति विद्यालय से आते हैं। समाज सेवा विभाग ऐसे बालक की देखभाल का जिम्मा लेता है, जिसके माता–पिता या अभिभावक न हों या उसके विकास में बाधा आ रही है या उसकी अवहेलना की जा रही है।

वर्तमान स्थिति

यू.के. में विद्यालय समाज कार्य सेवाएँ अब शिक्षा विभाग और समाज सेवा विभाग द्वारा प्रदान की जा रही हैं। शिक्षा विभाग के शिक्षा कल्याण अधिकारी समाज सेवा विभाग के समाज

कार्यकर्त्ताओं के साथ मिलकर घनिष्ठ रूप से कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, इन अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत् यह सुनिश्चित करें कि माता–पिता अपने बालकों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। ऐसे मामलों में जहाँ उन्हें यह लगता है कि बालक अपने माता–पिता के नियंत्रण से बाहर हैं या उसे देखभाल की ज़रूरत है, तो उनको वे समाज सेवा विभाग की देखरेख में पहुँचा देते हैं।

आज शिक्षा कल्याण अधिकारी समाज कार्य में काफी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त हैं, यद्यपि बहुत से ऐसे भी हैं, जो समाजशास्त्र, सामाजिक प्रशासन, मनोविज्ञान आदि जैसे सामाजिक विज्ञानों में स्नातक उपाधि युक्त हैं। घर, विद्यालय और समुदाय संपर्क का संवर्धन करते हुए शिक्षा कल्याण अधिकारी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। परन्तु विद्यालय उपस्थिति को लागू करना उनके कार्य का प्रमुख अंश रहता है।

इस प्रकार हमने देखा कि यू.के. में विद्यालय समाज कार्य का इतिहास काफी पुराना है। परन्तु फिर भी यह एक व्यापक सेवा के रूप में विकसित नहीं हो पाया। इसके लिए जिन कारणों का हवाला दिया जाता है वे हैं समाज कार्य की मुख्यधारा से शिक्षा कल्याण अधिकारियों का बहिष्कार व्यवसायिक संबंध का अभाव और पर्याप्त निधियों की कमी।

2.4 संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यालय समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास और कार्य

संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्टफोर्ड, बोस्टन और न्यूयॉर्क के विद्यालयों में 1906–07 में विद्यालय समाज कार्य (जिसे शुरू में अतिथि अध्यापक कार्य कहते थे) प्रारंभ हुआ। निजी एजेंसियों और नागरिक संगठनों ने उपस्थिति में सुधार लाने और घर तथा विद्यालय के बीच तीव्र सहयोग लाने के लिए अतिथि अध्यापकों के कार्य को प्रायोजित किया।

मान्यता

विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि हुई जब 1913 में न्यूयॉर्क रोचेस्टर के शिक्षा बोर्ड ने एक प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ता की अतिथि अध्यापक के रूप में नियुक्ति को स्वीकृति दी। इस सरकारी मान्यता के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई हिस्सों में बोर्डों ने अपने विद्यालय में समाज कार्यकर्त्ताओं को नियुक्त किया, जिसके फलस्वरूप अतिथि अध्यापकों का विस्तार प्रसार हुआ।

सेवाओं का प्रसार/विस्तार

कॉमनवेल्थ निधि की सहायता मिलने से 1920 में अतिथि अध्यापक आंदोलन तीव्र गति से विस्तारित हुआ। इस निधि के प्रायोजक किशोर अपचार की समस्या के प्रति चिंतातुर थे। उनका विचार था कि अतिथि अध्यापक विद्यालयों में अव्यवस्था को कम करके किशोर अपचार की रोकथाम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

1921 में कॉमनवेल्थ निधि ने इन बोर्डों को जो अतिथि अध्यापकों को नियुक्त करके निदर्शन परियोजनाएँ आयोजित करने के लिए सहमत थे, उदार अनुदान प्रदान किया। बोर्डों में अतिथि अध्यापक तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए गए थे और इसके साथ यह शर्त रखी गई थी कि यदि निदर्शन अवधि के अंत में इसको उपयोगी पाया गया तो वे सेवा अपने अधिकार में ले लेंगे। अतिथि अध्यापकों की कार्य क्षमता को देखकर बड़ी संख्या में विद्यालय बोर्डों ने उनकी सेवा में नियुक्ति की।

जब अतिथि अध्यापकों की संख्या काफी बढ़ गई तो 1919 में अतिथि अध्यापक राष्ट्रीय संघ का गठन हुआ। इसने प्रकाशनों द्वारा तथा कार्य के उच्च स्तर स्थापित करके महत्त्वपूर्ण योगदान दिए।

केस अध्ययन पर बल

विस्तार के साथ साथ, अतिथि अध्यापकों द्वारा निष्पादित कार्यों के केन्द्र बिन्दु में भी क्रमशः परिवर्तन आया। प्रारंभिक कार्यकर्त्ता तो घर–विद्यालय संपर्क कार्य को सबसे ऊपर प्राथमिकता पर रखते थे जबकि वर्तमान कार्यकर्त्ताओं ने धीरे–धीरे बालकों के साथ केस अध्ययन कार्य की ओर अपना रुख मोड़ा।

यह उपस्थिति कानूनों को लागू करने और मानसिक स्वच्छता आंदोलन के प्रभाव के कारण हुआ। उपस्थिति कानूनों को लागू करने से विभिन्न पृष्ठभूमियों और योग्यताओं से बालक विद्यालय आने लगे। इनमें से कुछ बालक कठिन स्थितियों वाले घरों से आए थे और फलस्वरूप अपने साथ ऐसी समस्याएँ ले कर आए थे जिन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की ज़रूरत थी। दूसरी ओर मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन की लोकप्रियता ने अतिथि अध्यापकों को प्रोत्साहित किया कि वे बालकों में सामाजिक कुसंतुलन की रोकथाम और देखभाल के लिए तकनीकें विकसित करें। इसकी वजह से केस अध्ययन उपागम लोकप्रिय हो गया।

चूँकि अतिथि अध्यापक का काम सामान्य रूप में समाज कार्य और केस अध्ययन के समान हो गया था, अतः 1945 में ''राष्ट्रीय अतिथि अध्यापक संघ'' का नाम बदल कर ''अमरीकी विद्यालय समाज कार्यकर्त्ता संघ" हो गया। 1955 में यह निकाय संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान "राष्ट्रीय समाज कार्यकर्त्ता संघ" (National Association of Social Workers (NASW) में मिल गया।

सेवा में परिवर्तन

1960 के दशक से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने कई ऐसे कानून पारित किए, जिनके प्रति विद्यालय समाज कार्य सेवा को प्रतिक्रिया करनी थी। 1965 के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम ने निर्धन परिवारों के बालकों हेतु विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित

किया। 1972 के आपात् विद्यालय सहायता अधिनियम ने प्रवासी बालकों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य हेतु कार्यक्रमों के लिए अनुदान प्रदान किए। सभी विकलांग बच्चों हेतु शिक्षा अधिनियम 1975 ने उन राज्यों को सहायता प्रदान की जिन्होंने विकलांग बच्चों को सक्षम बालकों के साथ नियमित शैक्षिक व्यवस्था में समेकित करने के कार्यक्रमों को अपनाया।

उपर्युक्त विकासों के मद्देनज़र विद्यालय समाज कार्यकर्त्ता केवल केस अध्ययन कार्य करने तक ही नहीं रुक सकते थे। इस कार्य के अलावा उनसे यह भी अपेक्षा की गई कि वे विद्यालय प्रणाली में ऐसे परिवर्तन लाने पर विशेष ध्यान दें जिससे प्रवासी, विकलांग और निर्धन बच्चों को लाभ पहुंचे। जैसे–जैसे नई चुनौतियाँ उभरती हैं, विद्यालय समाज कार्यकर्त्ता उनके प्रत्युत्तर में उपर्युक्त सेवाएँ प्रदान करते हैं। वे अब विद्यार्थियों के अधिकारों, हिंसा के मुद्दों. एच. आई.वी./एड्स पदार्थ दुरुपयोग और लिंग पर आधारित भेदभाव पर काम करते हैं। विद्यालय समाज कार्यकर्त्ता अब पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्यों (बालक, विद्यालय परिवार और पर्यावरण) की दिशा में कार्य की ओर बढ़ रहे हैं।

वर्तमान स्थिति

प्राचीन इतिहास और व्यवसायिकता के कारण विद्यालय समाज कार्यकर्त्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्यालयों में दृढ़ रूप से स्थापित हैं। वे 'विद्यार्थी सेवा' का अभिन्न अंग हैं। अल्पतम राष्ट्रीय स्तर और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय समाज कार्यकर्त्ता संघ (एन ए एस डब्ल्यू) ने विद्यालय समाज कार्य सेवाओं के लिए स्तरों की एक सूची बनाई (एन ए एस डब्ल्यू, 1992)। राष्ट्रीय समाज कार्यकर्त्ता संघ द्वारा प्रकाशित एक जर्नल ''शिक्षा में समाज कार्य'' विद्यालय समाज कार्य के क्षेत्र में जानकारी का प्रसार करने के लिए ही विशिष्ट रूप से समर्पित है।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) यू.के. और संयुक्त राज्य अमेरिका की विद्यालय समाज कार्य सेवाओं के बीच अंतर बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

2.5 भारत में विद्यालय समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास और कार्य

भारत में यू.के. और संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति एक सामान्य विद्यालय पद्धति नहीं है। यहाँ पर विद्यालयों का अनुक्रम विद्यमान है, जो इस प्रकार हैः

- अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन देने वाले विशिष्ट विद्यालय
- उच्च मध्यम वर्ग और धनी वर्गों के लिए ग़ैर–सरकारी विद्यालय
- केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उद्यम और रक्षा स्टाफ के बालकों के लिए विद्यालय
- ग्रामीण क्षेत्रों में कम शुल्क वाले ग़ैर–सरकारी विद्यालय
- निम्न मध्यम वर्ग और निर्धन वर्गों के लिए सरकारी और नगर पालिका विद्यालय
- विद्यालय की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले और ग़ैर प्रवेशकों के लिए ग़ैर–औपचारिक कक्षाएँ।
- अक्षमताओं वाले बालकों के लिए विशेष विद्यालय

मोटे तौर पर इन विद्यालयों को दो सामान्य श्रेणियों में बाँटा जा सकता है – ग़ैर–सरकारी विद्यालय और सरकारी विद्यालय। उच्च मध्यम वर्ग और इससे ऊँचे वर्ग के लोग अपने बालकों को ग़ैर–सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। निम्न आर्थिक वर्गों के लोग अपने बालकों को सरकारी और नगरपालिका के विद्यालयों में भेजते हैं। अतः भारत में ऐसा व्यापक विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम विकसित नहीं हो पाया जो सभी बालकों का प्रबंध कर सके।

तार्किक रूप से तो समाज कार्यकर्त्ताओं का आगमन सबसे पहले सरकारी विद्यालयों में होना चाहिए था। निर्धनता से संबंधित समस्याओं से भरपूर इन विद्यालयों को समाज कार्य अंतःक्षेप से अधिक लाभ पहुँचता। परन्तु इन अपेक्षाओं के विपरीत सामाजिक कार्यक्रम सबसे पहले ग़ैर–सरकारी विद्यालयों में प्रारंभ हुआ।

ग़ैर–सरकारी विद्यालय क्यों?

उपर्युक्त विकास के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैंः

1) जब भारतीय विद्यालयों में विद्यालय समाज कार्यकर्त्ताओं का आगमन होना था उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यालय समाज कार्यकर्त्ता जिस प्रमुख विधि को व्यवहार में लाते थे वह थी केस अध्ययन। ऐसे मॉडल को निजी विद्यालयों के लिए ज्यादा उपयुक्त पाया गया क्योंकि यह उच्च, मध्यम और धनी वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करता है।

2) कम नौकरशाही होने के कारण विद्यालय समाज कार्य प्रयोग के प्रति प्राइवेट (निजी) विद्यालय ज्यादा ग्राही (ग्रहणशील) थे। जब विद्यालयों में समाज कार्यकर्त्ताओं की उपयोगिता का प्रदर्शन हुआ तभी नगर पालिका विद्यालयों में समाज कार्य कार्यक्रम लाया गया।

इसलिए विद्यालय समाज कार्य के विकास को दो भागों में विभक्त किया गया है (क) प्राइवेट (निजी) विद्यालय (ख) नगरपालिका विद्यालय।

क) प्राइवेट (निजी) विद्यालय

महाराष्ट्र में आगमन

समाज शिक्षा के प्रसार और संसाधन एजेंसियों द्वारा समाज कार्यकर्त्ताओं की तलाश के फलस्वरूप समाज कार्य के कई कालेज विद्यालयों में अपने विद्यार्थियों को नौकरी दिला पाए। काशी विद्यापीठ, वाराणसी पहला संस्थान था जिसने 1958 में स्थानीय विद्यालय क्षेत्र कार्य एजेंसी के रूप में प्रयोग किया। आगामी वर्ष में नारी निकेतन और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज), मुम्बई ने विद्यालय में नौकरी नियुक्ति की संकल्पना प्रारंभ की। मुम्बई में नौकरी नियुक्तियों से कुछ विद्यालयों में समाज कार्यकर्त्ताओं को रोज़गार मिला, लेकिन वाराणसी में ऐसा नहीं हुआ।

कारवे सामाजिक विज्ञान संस्थान ने 1964 में महाराष्ट्र अभिभावक शिक्षक संघ की पूणे शाखा को अपने संबद्ध प्राइवेट विद्यालयों में विधायी नियुक्तियाँ स्वीकार करने का आग्रह किया। इस नौकरी नियुक्ति से कुछ विद्यालयों में समाज कार्यकर्त्ताओं की नियुक्तियाँ भी हुईं। इन प्रयोगों से महाराष्ट्र में अनेक विद्यालयों में समाज कार्यकर्त्ता सामने आए।

दिल्ली में आगमन

दिल्ली में विद्यालय में समाज कार्यक्रम से परिचित कराने का श्रेय भारतीय प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ता संघ (आई ए टी एस डब्ल्यू) की दिल्ली शाखा को जाता है। 1969 में भारतीय प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ता संघ ने उन्हीं कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉमनवेल्थ फंड द्वारा किए गए थे।

इस प्रदर्शन की मेजबानी करने वाले विद्यालय ने समाज कार्यकर्त्ता के वेतन का खर्च वहन किया जबकि भारतीय प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ता संघ ने प्रमुख लागत अपने सिर पर ली। यह सहमति हुई कि सफल प्रदर्शन के बाद विद्यालय कार्यक्रम की कुल लागत को वहन करेगा। कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन 'कार्यान्वयन समिति' को करना था। इस समिति के सदस्य समाज कार्य शिक्षक और व्यवहारविद थे। उन्होंने कार्यकर्त्ताओं को मार्गदर्शन देने, फंड एकत्रित करने अभिभावक–शिक्षक बैठकों को संबोधित करने और सेमिनार आयोजित करने के

कार्यों को जारी रखा। उन्होंने दिल्ली में विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाया। शीघ्र ही अन्य प्रमुख नगरों के निजी विद्यालय भी समाज कार्यकर्त्ताओं को नियुक्त करने लगे।

निष्पादित कार्य

इन विद्यालयों में आने वाले बच्चों की मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति उनके परिवार करते थे। अतः विद्यालयों से अपेक्षा की जाती थी कि वे विद्यार्थियों की भावी भूमिकाओं के लिए उनका अधिकतम विकास और इष्टतम रूप से तैयार करें। इन अपेक्षाओं के चलते, ये विद्यालय उन विद्यार्थियों के प्रति विशेष रूप में दिलचस्पी लेने लगे जिनमें क्षमताएँ व सामर्थ्य तो था लेकिन वह पूर्णतः उपेक्षित था। कुछ विद्यालयों में तो यह भी महसूस किया गया कि उनके बच्चे समाज की वास्तविकताओं से अनभिज्ञ थे। उन्होंने अपने बच्चों को इन वास्तविकताओं से परिचित कराने के प्रयास किए। इन सोच–विचारों से समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण हुआ। इनमें से प्रमुख कार्यों का वर्णन नीचे दिया गया है:

1) कार्यकर्त्ताओं का मुख्य कार्य, समस्याग्रस्त बच्चों की सहायता करना होना चाहिए। उन्हें संवेगात्मक पक्षों, सीखने, हमउम्र अभिभावक बच्चे और अध्यापक–बच्चे के बीच संबंध से जुड़ी समस्याओं पर प्रमुख रूप से काम करना चाहिए। शहर के बदलते हुए परिदृश्य और बच्चों पर इसके प्रभाव के फलस्वरूप नई नई चुनौतियाँ उभर रही हैं। अतः समाज कार्यकर्त्ताओं को इन समस्याओं से दिन–प्रतिदिन निपटना पड़ रहा है। ये समस्याएँ हैं बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, हिंसा, पदार्थ का दुरुपयोग, लिंग व यौन मुद्दे। कुछ समाज कार्यकर्त्ता जीविका/व्यवसाय संबंधी परामर्श देने का काम भी करते हैं।

2) प्राइवेट विद्यालयों के कार्यकर्त्ता, उन विद्यालयों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पाद कार्य (Socially Useful and Productive Works-SUPW) में भी संलग्न हैं। वे अस्पतालों में, विकंलागों के विशेष विद्यालयों में, गाँव शिविरों के जरिए ग्रामवासियों के साथ और इसी तरह की गतिविधियों में अपने विद्यालय के बच्चों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे कार्य का उद्देश्य तर्क व सोचने की योग्यता, नेतृत्व के गुणों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति विकसित करना है।

3) कुछ प्राइवेट विद्यालय, अपने विद्यालयों में अक्षम बच्चों को एकीकृत शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। विद्यालय समाज कार्यकर्त्ता अक्षम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, बिना भेदभाव के उन्हें विकास के लिए अवसर प्रदान कराने में मदद

करते हैं। ज़रूरत के आधार पर वे विकलांग बच्चों के तथा सक्षम बच्चों के माता–पिता के साथ समाज कार्य अंतःक्षेप का दायित्व भी लेते हैं। अध्यापकों को सहायता प्रदान करते हैं और अक्षम बच्चों के आर्थिक पुनर्वास के लिए बाहरी एजेंसियों के साथ सम्पर्क करते हैं।

ख) नगर पालिका विद्यालय

प्रारंभ

हमारे देश के नगर पालिका विद्यालय स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाते हैं और शहरी निर्धन बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। इन विद्यालयों में आने वाले अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं, जिनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता और वे पहली पीढ़ी है, जो पढ़ने के लिए विद्यालयों में आ रही है और विद्यालय संबंधी गतिविधियों (कार्यों) व अन्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उनके पास धन का अभाव होता है। अतः कई बच्चे समस्याएँ व्यक्त करते हैं जैसे विद्यालय बीच में ही छोड़ देने की उच्च दर अनुपस्थितता, निम्न स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धि, खराब स्वास्थ्य इत्यादि। ऐसे विद्यालयों से आशा की जाती है कि वे विद्यालय की उपस्थिति व धारण क्षमता को सुधारने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक कार्यनीतियाँ विकसित करें। दो नगरपालिका निकायों – वृहत् मुम्बई नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम का दायित्व लेकर उपर्युक्त चुनौती का जबाव दिया। इसके विस्तृत ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

मुम्बई के नगरपालिका विद्यालयों में समाज कार्यकर्त्ताओं का प्रवर्तन (आगमन)

जैसा कि पहले बताया जा चुका है समाज कार्य के कॉलेज (दि कॉलेज ऑफ सोशल वर्क), निर्मला निकेतन को प्राइवेट विद्यालयों में समाज कार्य सेवाओं को प्रारंभ करने का अनुभव था। अब इसे नगर पालिका विद्यालयों में नामांकित स्लम बच्चों की दुर्दशा की चिंता थी। इन्होंने देखा कि इन बच्चों की दुर्दशा को दूर करने का सर्वोत्तम तरीका था इन समाज कार्य कार्यक्रम के जरिए एकीकृत सेवाएँ प्रदान करना। इन सेवाओं के विद्यालय, घर और समुदाय के बीच घनिष्ठ सहलग्नता प्रदान करनी चाहिए, जो कि प्राइवेट विद्यालयों में नहीं था। सेवाओं को प्रभावशाली होने के लिए इसे विद्यालय के माहौल, पढ़ाने के तरीके और विषयवस्तु पर भी ध्यान देना चाहिए।

इन विचारों के फलस्वरूप नगर पालिका विद्यालयों में समाज कार्य विद्यार्थियों की नियुक्ति की गई। इस सेवा की उपयोगिता के सफल प्रदर्शन के परिणामस्वरूप नगर पालिका विद्यालयों में 1971 और 1973 में दो समाज कार्यकर्त्ता नियुक्त किए गए। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष (1979) में इस कार्यक्रम को और बढ़ावा व सुदृढ़ता मिली जब इसे और पन्द्रह स्थानों में

बढ़ाया/विस्तृत किया गया। समझौते के अनुसार नगर निगम ने समाज कार्य कार्यक्रम के प्रबंधन व पर्यवेक्षण का दायित्व अपने ऊपर लिया। यह कार्यक्रम व्यवसायिकों और विधायी समाज कार्यकर्त्ताओं की सहायता से समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा कार्यान्वित किया जाना था।

निष्पादित कार्य

विद्यालय समाज कार्य द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

1) समाज कार्यकर्त्ताओं ने विद्यालय बीच में छोड़ देने को रोकने के कार्य को प्राथमिक कार्य के रूप में लिया। प्रत्येक कक्षा के संबद्ध अध्यापकों को उन बच्चों के नाम बताने को कहा गया, जो पिछले 10–15 दिनों से कोई सूचना दिए बिना विद्यालय नहीं आ रहे थे। समाज सेवा इकाई के प्रतिनिधि ऐसे बच्चों के घर गए और उसे व्यक्तिसापेक्ष मदद की अर्थात् जिस बच्चे को जैसी मदद की ज़रूरत थी, उसकी मदद की। इस सेवा में बच्चे को वापिस विद्यालय जाने के लिए विद्यालयी सामग्री (वर्दी, पुस्तकें इत्यादि) से लेकर विशिष्ट चिकित्सा देखभाल या वित्तीय सहायता करना शामिल था।

2) विद्यालय छोड़ने की उच्चतम दर पहली कक्षा के बच्चों में देखी गई। यह अनुभव किया गया कि नगर पालिका विद्यालय में आने वाले अधिकांश बच्चों को 'बालवाड़ी' और नर्सरियों का अनुभव नहीं होता। पाठ्यचर्या और अध्यापन की औपचारिक संरचना से भयभीत बच्चे विद्यालय आना छोड़ देते हैं। इसकी अनुक्रिया में, समाज कार्यकर्त्ताओं ने पहली कक्षा में दाखिला लेने से बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करने हेतु कुछ हफ्तों का विद्यालय तत्परता कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यक्रम में शिल्प, गीत और अन्य सामूहिक गतिविधियों में स्थान दिया गया। जब बच्चों में औपचारिक शिक्षा के लिए अनिवार्य कौशल व मनोवृत्तियाँ विकसित हो गई तो पहली कक्षा में बीच में ही विद्यालय छोड़ने की दर में अत्यधिक कमी आई।

3) अत्यधिक भीड़भाड़ वाले झोंपड़–पट्टियों में रहने वाले अधिकांश नगर पालिका विद्यालयों के बच्चों को घर में पढ़ाई करने की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती। स्थान का अभाव, अपर्याप्त रोशनी और माता–पिता द्वारा मार्गदर्शन न मिल पाना कुछ प्रमुख कारक हैं। समाज कार्यकर्त्ताओं ने सायंकालीन अध्ययन कक्षाओं की व्यवस्था की। नगर पालिका विद्यालय के अध्यापक के पर्यवेक्षण में, विद्यार्थी गृह कार्य को पूरा करते और सूचनाप्रद पुस्तकें पढ़ते। समाज कार्यकर्त्ताओं ने माता–पिता के साथ बैठकें, सांस्कृतिक कार्यक्रम या बच्चों में प्रतिस्पर्धा आयोजित करके अध्ययन कक्षाओं को समर्थन प्रदान कराया।

4) नगर पालिका विद्यालयों में विशेष रूप से वरिष्ठ विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित विज्ञान प्रयोगशालाओं में पर्याप्त साज–सामान नहीं होता। समाज कार्यकर्त्ता स्थानीय कालेजों के साथ मिलकर इसकी व्यवस्था करते हैं ताकि ये छात्र उनकी अपनी प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकें। इन कॉलेजों के विद्यार्थियों को विद्यालयी बच्चों को विज्ञान के प्रयोगों में सहायता करने के लिए स्वयंसेवी के रूम में नामांकित भी किया जाता है।

5) ये समाज कार्यकर्त्ता चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए (शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने के लिए) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित करने में मदद करते थे। इन कक्षाओं का मुख्य ध्यान उन बच्चों पर होता था जिन्होंने या तो विद्यालय में दाखिला ही न लिया हो या जिन्होंने किसी कारणवश विद्यालय छोड़ने का निर्णय लिया हो। इन कक्षाओं में समाज कार्यकर्त्ता पाठ्यक्रम बनाने, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ तैयार करने और शिक्षण में मानसिक स्वास्थ्य घटकों को शामिल करने में अध्यापकों की सहायता की। उन्होंने माता–पिता के साथ भी घनिष्ठ रूप से काम किया ताकि शिक्षा के कार्य के लिए वे उनका समर्थन जुटा सकें।

6) विद्यालयों के प्रति आकर्षण का संवर्धन करने और विद्यालयों की क्षमताओं को बनाए रखने में और बच्चों को समाज विरोधी गतिविधियों से दूर रखने के लिए कुछ मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विद्यार्थी समाज कार्यकर्त्ताओं पर अत्यधिक विश्वास रखते हुए समाज कार्यकर्त्ताओं ने ग्रीष्म मनोरंजन, दिवस शिविर या वार्षिक मेले भी आयोजित किए।

उपर्युक्त कार्यों के दायित्व ने वृहद मुम्बई नगर पालिका के विद्यालयों ने समाज कार्य कार्यक्रम की सक्षमता को सिद्ध कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, अब वह निर्मला निकेतन भागीदारी के बिना विद्यालय सामाजिक कार्यक्रम स्वयं चलाता है।

एन डी एम सी विद्यालयों में समाज कार्यकर्त्ताओं का आगमन

वृहद मुम्बई नगर पालिका की भाँति नई दिल्ली नगर पालिका समिति (एन डी एम सी) अपने विद्यालयों में प्रचलित विद्यालय छोड़ दने की उच्च दर से चिन्तित थी। इसके अलावा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे। यह दुर्भाग्य है कि न तो दिल्ली के समाज कार्य शिक्षक, न ही एन डी एम सी के अधिकारी मुम्बई में नगर पालिका विद्यालयों के लिए पहले से विकसित व्यापक विद्यालय सामाजिक कार्यक्रम से अवगत नहीं थे। इसलिए एन डी एम सी मुम्बई में अपने दूसरे पक्ष के अनुभवों का सहारा नहीं ले सकी।

एन डी एम सी के शिक्षा अधिकारी को कार्यान्वयन समिति के कार्य से परिचित कराया गया और उन्होंने विद्यालय समाज कार्यकर्त्ताओं की उपयोगिता को स्वीकार किया। उन्हीं के प्रयास के कारण, 1975 में एन डी एम सी के विद्यालयों में 15 समाज कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति की गई। इन कार्यकर्त्ताओं को विद्यार्थी कल्याण कार्यकर्त्ताओं के रूप में नियुक्त किया गया। इनका प्रमुख कार्य विद्यालय के बीच में छोड़ देने को रोकना और एन डी एम सी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापकता को प्राप्त करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक कार्यकर्त्ता को एक विशिष्ट क्षेत्र सौंपा गया और कार्यकर्त्ताओं को एन डी एम सी के वरिष्ठ शिक्षक के पर्यवेक्षण में रखा गया।

निष्पादित कार्य

उद्देश्यों के अनुसार विद्यार्थी कल्याण कार्यकर्त्ताओं के कार्य निम्नानुसार थेः

1) विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के लिए विद्यार्थी कल्याण कार्यकर्त्ताओं ने अपने–अपने क्षेत्र का वार्षिक सर्वेक्षण किया। नामांकन योग्य बच्चों का पता लगा लेने के बाद, विद्यालयों में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाणपत्र, शपथ पत्र उपलब्ध करा कर और विद्यालयों में माता–पिता के साथ जाकर प्रवेश कार्य में उनकी सहायता की। उन्होंने एन डी एम सी से पाठ्यपुस्तकों, वर्दी, छात्रवृत्ति इत्यादि के रूप में प्रोत्साहन भी दिलवाए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पाँच वर्षों की अवधि में एन डी एम सी के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में लगभग सभी बच्चे नामांकित हो गए।

2) विद्यालय को बीच में छोड़ देने को रोकने के लिए मुम्बई में कार्यकर्त्ताओं की भाँति ये भी उन बच्चों के घरों में गए जिनके बच्चे पिछले 8–10 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे थे। प्राप्त निर्देशों के अनुसार कोई भी अध्यापक किसी भी बच्चे का नाम नहीं काट सकता था। यह केवल तभी संभव था जब कल्याण अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि विद्यालय में बच्चे को वापिस लाने के लिए कोई भी प्रभाव नहीं डाला जा सकता। बच्चे को विद्यालय वापिस लाने के लिए बच्चे व उसके परिवार को प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाती थी। इस तरह चार वर्षों के भीतर विद्यार्थी कल्याण कार्यकर्त्ता बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने और विद्यालय छोड़ने की समस्या को नियंत्रित करने में सफल रहे। विद्यार्थी कल्याण कार्यकर्त्ताओं के प्रयास प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और विद्यालय छोड़ने को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। हालाँकि सीमित दृष्टिकोण और अपेक्षाओं के कारण यह सेवा एक व्यापक कार्यक्रम में विकसित नहीं हो सकी।

2.6 विद्यालय समाज कार्य अभ्यास के मॉडल

ऊपर विद्यालय समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास में हमें विद्यालयों में समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा किए गए कार्य की झलक भी मिली। समाज कार्य सेवा का लक्ष्य विद्यालय के प्रकार, लक्ष्य की जन समूह और उभरती सामाजिक चुनौतियों के साथ भिन्न होता जाता है। परिणामस्वरूप विद्यालय समाज कार्य सेवा में विभिन्न मॉडल विकसित हुए (सैद्धांतिक विवरण जो यह समझने में मदद करता है कि प्रक्रिया कैसे करती है)। एल्डरसन (1972) ने विद्यालय समाज कार्य के चार मॉडल प्रस्तुत किए जिनमें कास्टिन (1975) ने एक और मॉडल जोड़ दिया।

परम्परागत क्लीनिकल मॉडल

विद्यालय समाज कार्य में यह व्यापक रूप से लागू किया जाता है। यह प्रत्येक विद्यार्थी विशेष और उनके कार्य में बाधा डालने वाली सामाजिक व भावात्मक समस्याओं पर केन्द्रित है। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विद्यालय के अनुभव का अधिकतम प्रयोग करने योग्य बनाना है। इसके अतर्गत विद्यालय को दोषरहित माना गया है और प्रत्येक विद्यार्थी से उम्मीद की जानी है कि वह विद्यालय की स्थितियों में स्वयं को समायोजित करे।

विद्यालय समाज कार्य का यह मॉडल ऊपरी, मध्यम और धनी वर्ग के लोगों की ज़रूररों को पूरा करने वाले विद्यालयों के लिए उपयुक्त है। भारत में प्राइवेट विद्यालयों ने इसी मॉडल को अपनाया है।

विद्यालय परिवर्तन मॉडल

इसका मुख्य केन्द्र विद्यालय की खराब काम करने वाली परिस्थितियों, उसकी नीतियों और व्यवहारों (प्रक्रियाओं) पर हैं। जो विद्यार्थी के खराब निष्पादन का कारण है या उसके आकर्षण को कम करते हैं उन्हें बदलने के लिए यह प्रोत्साहित यह करता है।

वृहद मुम्बई के नगर निगम के विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम की कुछ विशेषताएँ इसी मॉडल की है। पहली कक्षा के लिए विद्यालय तत्परता कार्यक्रम और समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा किए जाने वाले मनोरंजनात्मक कार्यक्रम इसी दावे का समर्थन करने वाले उदाहरण हैं।

सामुदायिक विद्यालय मॉडल

यह मॉडल घनिष्ठ विद्यालय समुदाय संबंध का समर्थक है। इसका लक्ष्य सुविधावंचित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय कार्यक्रम विकसित करना है। कार्यकर्त्ता समुदाय की एक वंचना को उन स्थितियों को कम करने का प्रयास करता है, जो शिक्षा में बाधक होती है। यह किशोर अपचार, विद्यालय छोड़ने की उच्च दर इत्यादि समस्याओं से निपटने के लिए उपयुक्त है।

वृहद मुम्बई नगर निगम के समाज कार्य कार्यक्रम में इसी मॉडल की कुछ विशेषताएँ हैं। अध्ययन कक्षाओं का आयोजन ग़ैर–औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और व्यवसायिकों की नियुक्त इसी दिशा के उदाहरण हैं।

सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल

इस मॉडल के अन्तर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के एक हिस्से के रूप में देखा जाता है अर्थात् परिवार विद्यालय और समुदाय, जो सभी परस्पर मिलकर काम करते हैं और सभी को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। समाज कार्यकर्त्ता की मुख्य भूमिका विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच संचार और संयोजनों को बढ़ावा देना है।

भारत में प्राइवेट नगरपालिका विद्यालयों का विद्यालय सामाजिक कार्यक्रम इस मॉडल की विशेषताओं को निरूपित करता है।

विद्यालय–समुदाय शिष्य मॉडल

इसका मुख्य ध्यान शिष्यों के समूह पर केन्द्रित होता है और विद्यालय समुदाय संबंध का अंतक्रियात्मक पद्धति में बदलाव करने शिक्षण अवसरों का प्रयोग करने में उनकी सहायता करता है। विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम का लक्ष्य विद्यालय या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है बल्कि ऐसे विद्यार्थी समूह का पता लगाना है, जो कम उपलब्धि, कामचोरी (आलसी), विद्यालय को छोड़ने, अनुपस्थिति रहने की समस्याएँ दर्शाता है।

नई दिल्ली नगरपालिका के विद्यालयों द्वारा विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम में इसी मॉडल का अनुसरण किया जाता था। समाज कार्यकर्त्ता का लक्ष्य वह निश्चित शिष्य समूह होता था जिन्होंने विद्यालय में नामांकन न कराया हो या जिनके विद्यालय को छोड़ने की संभावना हो।

2.7 अन्य शैक्षिक स्थापनों में समाज कार्य

समाज कार्यकर्त्ता की योग्यताओं/क्षमताओं का प्रयोग केवल औपचारिक विद्यालय व्यवस्था में ही नहीं किया जा सकता बल्कि विकलांगों के विशेष विद्यालयों, आवारा बच्चों के ग़ैर–औपचारिक कक्षाओं या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों जैसे शैक्षणिक व्यवस्थाओं में इनकी क्षमताओं को प्रयोग में लाया जा सकता है। हालाँकि प्रत्येक विद्यार्थी की ज़रूरतें और उसकी सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर समाज कार्यकर्त्ता के उद्देश्य में भिन्नता होती है।

अक्षम व्यक्तियों की सहायता करने वाले समाज कार्यकर्त्ता में अक्षमताओं का विशेष ज्ञान और उन विद्यार्थियों के अधिकारों के संबंध में विधान (कानून) की जानकारी होना आवश्यक है। उसे विद्यार्थी के सामाजिक और विकास संबंधी जानकारी तैयार करने से लेकर अध्यापकों व अभिभावकों को सहायता व संसाधन उपलब्ध कराने का काम करना पड़ सकता है ताकि विद्यार्थी शिक्षा से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। आवारा बच्चों की ग़ैर–औपचारिक कक्षाओं

से जुड़े समाज कार्यकर्त्ता को इन बच्चों से संबद्ध विशेष मुद्दों से निपटने का काम भी करना पड़ सकता है। हो सकता है बच्चे के पास पर्याप्त भोजन, वस्त्र और सहायक परिवेश का अभाव हो। इसके अतिरिक्त विशेष शिक्षण ज़रूरतों, हिंसा की चुनौतियों, अपराध या यौन दुरुपयोग से भी निपटना पड़ सकता है।

प्रौढ़ (वयस्क) विद्यार्थियों की विशेष ज़रूरतें होती हैं। वे जिन सामाजिक वास्तविकताओं व मुद्दों का सामना कर रहे हैं, उनके अनुरूप शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने के लिए अध्यापक समाज कार्यकर्त्ता की मदद माँग सकता है। कार्यक्रम में पोषण शिक्षा के प्रावधान से लेकर माता–पिता के प्रभावी पालन–पोषण के तरीकों के लिए कौशल विकास शामिल हो सकता है।

बोध प्रश्न III

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) समुदाय विद्यालय मॉडल क्या है? भारत में किस विद्यालय ने समाज कार्य कार्यक्रम विद्यालय ने इस मॉडल का अनुसरण किया?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.8 सारांश

शिक्षा का लक्ष्य मात्र पढ़ाना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थी को समाज में भली–भाँति व उचित ढंग से काम करने के लिए तैयार करना है। शिक्षा के ऐसे व्यापक उद्देश्य शिक्षक अकेले ही अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए शैक्षणिक संस्थाएँ विशेष रूप से विद्यालय, अन्य व्यवसायिकों पर निरंतर आश्रित रहने लगे हैं। एक ऐसा ही व्यवसाय है समाज कार्य।

समाज कार्यकर्त्ता अपने प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मूल्यों, ज्ञान व समाज कार्य व्यवसाय के कौशलों को शिक्षा में स्थान देता है।

यू.के. और संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य सेवा सबसे प्राचीन है। उपस्थित व यह स्कूल सम्पर्क इसके प्रारंभिक घटक थे। समाज के साथ शैक्षिक व्यवस्था में समाज कार्य सेवा

विभिन्न मॉडलों के रूप में विकसित हए। भारत में विद्यालय समाज कार्य के कुछ साहसी प्रयोग भी किए गए।

समाज कार्यकर्त्ताओं की उपयोगिता के सफल प्रदर्शन के बाद से विश्व भर के अनेक विद्यालय उनकी सेवाएँ ले रहे हैं। हालाँकि, समाज कार्यकर्त्ता की दक्षता का प्रयोग अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में किया जा सकता है।

2.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

एल्डरसन, जे.जे. (1972), "मॉडल्स ऑफ स्कूल सोशल प्रैक्टिस'' इन रोज़मेरी एंड फ्रान्क एफ. एम. (सम्पा.) दी विद्यालय इन दी कम्युनिटी, एन ए एस डब्ल्यू, पृष्ठ 57–74।

कास्टिन (1975), 'स्कूल सोशल वर्क प्रैक्टिसय ए न्यू मॉडल, सोशल वर्क, खंड 20 अंक 21, पृष्ठ 135–139।

गांधी, ए. (1990), 'स्कूल सोशल वर्क, दी इमर्जिंग मॉडल्स ऑफ प्रैक्टिस इन इंडिया, कॉमनवैल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

मीअर्स, पी.ए., वांशिगटन, ओ. आर एंड वेल्स बी.एल. (1996), 'सोशल वर्क सर्विस इन विद्यालयस', एलन एंड बेकन, बोस्टन।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स (1962), एन ए एस डब्ल्यू स्टैण्डर्ड फॉर विद्यालय सोशल वर्क सर्विस, वाशिंगटन, डी.सी.।

2.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

समाज कार्यकर्त्ता शिक्षा में मानवीय कारक को प्रस्तुत करता है। विद्यालय, घर और समुदाय संपर्क को बनाये रखते हुए वह शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। ऐसा करते हुए वह शिक्षार्थी के शैक्षिक अनुभवों को अधिकतम स्तर तक लाने में सहायता करता है।

बोध प्रश्न II

यू.के. में विद्यालय समाज कार्य सेवाएँ अब शिक्षा विभाग और समाज सेवा विभाग द्वारा प्रदान की जा रही हैं। शिक्षा विभाग के शिक्षा कल्याण अधिकारी समाज सेवा विभाग के समाज कार्यकर्त्ताओं के साथ मिलकर घनिष्ठ रूप से कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, इन अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत् यह सुनिश्चित करें कि माता–पिता अपने बालकों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। ऐसे मामलों में जहाँ उन्हें यह लगता है कि बालक अपने माता–पिता के नियंत्रण से बाहर हैं या उसे देखभाल की ज़रूरत है तो उनको वे समाज सेवा विभाग की देखरेख में पहुँचा देते हैं।

आज शिक्षा कल्याण अधिकारी समाज कार्य में काफी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त हैं, यद्यपि बहुत से ऐसे भी हैं, जो समाजशास्त्र, सामाजिक प्रशासन, मनोविज्ञान आदि जैसे सामाजिक विज्ञानों में स्नातक उपाधि युक्त हैं। घर, विद्यालय और समदाय संपर्क का संवर्धन करते हए शिक्षा कल्याण अधिकारी विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं। परन्तु विद्यालय उपस्थिति को प्रवर्तित करना उनके कार्य का प्रमुख अंश रहता है।

बोध प्रश्न III

यह मॉडल घनिष्ठ विद्यालय–समुदाय संबंध का समर्थक है। इसका लक्ष्य, सुविधावंचित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय कार्यक्रम विकसित करना है। कार्यकर्त्ता समुदाय की एक वंचना की उन स्थितियों को कम करने का प्रयास करता है, जो शिक्षा में बाधक होती है। यह किशोर अपचार, विद्यालय छोड़ने की उच्च दर इत्यादि समस्याओं से निपटने के लिए उपयुक्त है।

वृहद मुम्बई नगर निगम के समाज कार्य कार्यक्रम में इसी मॉडल की कुछ विशेषताएँ हैं। अध्ययन कक्षाओं का आयोजन, ग़ैर–औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और व्यवसायिकों की नियुक्त इसी दिशा के उदाहरण हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 3 स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में समाज कार्य

*प्रो. अशोक सरकार

रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल के अर्थ

3.3 व्यक्ति के रूप में रोगी की संकल्पना

3.4 रोग और उनके उपचार में निहित सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक

3.5 स्वास्थ्य देखभाल दल (टीम) में समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका

3.6 सारांश

3.7 शब्दावली

3.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

इस इकाई का लक्ष्य उन विचारों की जानकारी देना है, जिनका प्रयोग समाज कार्यकर्त्ता द्वारा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में किया जाता है। यह आपमें ऐसी आदतें भी डाल सकता है और स्वास्थ्य देखभाल संस्था व समुदाय में रोगियों के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने (व्यवहार करने) के लिए दिशा भी निर्धारित कर सकता है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल के अर्थ में अंतर जान सकेंगे;
- व्यक्ति के रूप में रोगी की संकल्पना का वर्णन कर सकेंगे;
- रोगों और उनके उपचार को प्रभावित करने वाले प्रमुख मनो–सामाजिक कारकों का वर्णन कर सकेंगे; और
- स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में समाज कार्यकर्त्ता की भूमिकाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बता सकेंगे।

3.1 प्रस्तावना

समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं को कुछ कारणात्मक अभिकर्त्ताओं (कारकों) और व्यक्तियों के बीच अंतःक्रियाओं के परिणाम के रूप में देखा जाता है, जिनका माध्यम पर्यावरणी स्थितियाँ

* प्रो. अशोक सरकार, विश्व भारती, पश्चिम बंगाल।

होती हैं। दूसरे शब्दों में, जनसंख्या विस्फोट, बेरोज़गारी, गरीबी, अज्ञानता, वृद्धावस्था, रहन सहन की अस्वच्छ स्थितियाँ, खराब आवास (घर), खराब पोषण, आहार संबंधी असंगत (परस्पर विरोधी) आदतें, सफाई सुविधाओं का निम्न स्तर, सुरक्षित पेय जल का अभाव इत्यादि के संदर्भ में सामाजिक पद्धति की अपक्रिया खराब स्वास्थ्य के कारण हैं। इस प्रकार, यह माना जाता है कि खराब स्वास्थ्य सामाजिक विसंतुलन का लक्षण मात्र है। आयुर्विज्ञान ने यह माना है कि रोग का ठीक होना या अच्छा स्वास्थ्य औषधि के अनुप्रयोग का परिणाम है। कई सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गलतफहमी है कि स्वास्थ्य का संबंध उपचार से है जबकि यह अच्छे स्वास्थ्य की पूर्व शर्त नहीं है। प्रो. इमराना कादिर मानते है कि लोगों की सजगता, प्रबल (प्रभावी) वर्गों की संस्कृति व शक्ति (सत्ता) स्वास्थ्य की संकल्पना को प्रभावित करती हैं और स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए रास्ता बनाती हैं।

इस तरह यह स्पष्ट है कि सामाजिक शक्तियाँ या कारक जनसमुदाय के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। समाज कार्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में सामाजिक कारकों को किस प्रकार मान्यता मिली, इसका एक विशिष्ट इतिहास है। इस संबंध में सबसे पहले, 1880 के आसपास इग्लैण्ड में प्रयास किया गया जब शरण स्थल (आश्रम) के लिए काम करने वाले स्वयंसेवियों के समूह ने अस्पताल से छुट्टी प्राप्त रोगियों के घरों के दौरे करने शुरू किए। 1895 में, इग्लैण्ड में सर चार्ल्स लॉक की चैरिटेबल अस्पतालों द्वारा दी जाने वाले ड्रग्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए लेडी अल्मोना द्वारा रोगियों के घरों में दौरे किए जाने के संबंध में सिफारिश ने चिकित्सा समाज कार्य को प्रारंभ करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सन् 1900 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में, नर्सों ने अस्पताल से छुट्टी प्राप्त रोगियों को गृह स्तर की देखभाल प्रदान करने के लिए घरों के दौरे करने शुरू किए। इससे स्वास्थ्य में सामाजिक कारकों का मूल्य सामने आया। (पता चला), 1902 में, डा. चार्ल्स एमरखान ने, बीमारी में सामाजिक पहलुओं के महत्त्व का मूल्यांकन किया। उनका मत था कि चिकित्सा के विद्यार्थियों को धर्मार्थ (चैरिटी) या एजेंसियों में स्वयंसेवियों के रूप में काम करना चाहिए और रोगियों की सामाजिक–आर्थिक व भावात्मक स्थितियों का अध्ययन करना चाहिए। वस्तुतः 1905 में, जब डॉ. रिचर्ड सी. केबोट ने बोस्टन में मैसेच्यूसेरस जनरल अस्पताल में चिकित्सा समाज कार्य विभाग स्थापित किया, तभी स्वास्थ्य में सामाजिक कारकों के वास्तविक महत्त्व को समाज कार्य व्यवसाय में औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। इसके बाद से ही स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, बीमारी व उपचार से जुड़े सामाजिक कारकों को समझने और व्यापक रोगी देखभाल में सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न अस्पतालों में प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति की

गई। भारत में, स्वास्थ्य देखभाल में प्रथम समाज कार्यकर्त्ता 1946 में मुम्बई के जे.जे. अस्पताल में और फिर उसके बाद 1950 में दिल्ली के लेडी इर्विन अस्पताल में रखा गया। इस इकाई में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में समाज कार्य करने के लिए अपेक्षित विभिन्न मुद्दों को समझने का प्रयास किया गया है।

3.2 स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल के अर्थ

स्वास्थ्य

हमारे समाज में 'स्वास्थ्य' को अधिकांशतः नज़रअंदाज किया जाता है, स्वास्थ्य के प्रति हम ध्यान नहीं देते और जब तक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत (आंशिक रूप से) क्षतिग्रस्त नहीं होता तब तक हम स्वास्थ्य के महत्त्व को पूरी तरह नहीं समझ पाते। पारंपरिक रूप से, संकीर्ण अर्थ में 'रोग का अभाव' ही स्वास्थ्य की परिभाषा है। विभिन्न शब्दकोशों में स्वास्थ्य' के अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं, ये अर्थ परम्परागत संकल्पना की तुलना में बेहतर हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार 'स्वास्थ्य शरीर, मन या आत्मा के तंदरूस्त (ठीक–ठाक) होने, विशेष रूप से शारीरिक रोग या पीड़ा से मुक्त होने की स्थिति है।' ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार 'शरीर या मन का तंदरूस्त होना स्वास्थ्य है; वह स्थिति जिसमें इसके कार्य उचित रूप से और सक्षमतापूर्वक किए जाते हैं।'

विज्ञान की उन्नति से कुछ समय में स्वास्थ्य की संकल्पना व्यक्तिगत सरोकार से हटकर विश्वव्यापी सामाजिक लक्ष्य के रूप में विकसित हुई है। ये परिवर्तनशील संकल्पनाएँ हैं जैव–चिकित्सा संकल्पना, पारिस्थितिक संकल्पना, मनो–सामाजिक संकल्पना, समग्र संकल्पना इत्यादि। जैव–चिकित्सा संकल्पना में, यदि व्यक्ति रोग मुक्त है, उसे कोई रोग नहीं है तो उसे स्वस्थ माना जाता है। इसके अंतर्गत् मानव शरीर को एक मशीन के रूप में देखा गया और मशीन के अयोग्य (दुर्बल) होने का परिणाम रोग होता है। डॉक्टर इस मशीन की मरम्मत करता है और औषधि (दवा खाना) उसका अंतिम सुझाव होता है। परिस्थिति विज्ञानियों ने स्वास्थ्य को मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच गतिक संतुलन के रूप में परिभाषित किया है और इन दोनों कारकों के बीच सही तालमेल का न होना अर्थात् कुसमायोजन बीमारी है। मनो–सामाजिक संकल्पना में स्वास्थ्य संबद्ध व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। समग्र संकल्पना ऊपर वर्णित तीनों संकल्पनाओं का संगुटीकरण (मिश्रण – conglomeration) है। इसके अनुसार उद्योग, कृषि, पशु पालन, आवास, शिक्षा, लोक निर्माण, संचार जैसे समाज के सभी क्षेत्र स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation - WHO) द्वारा दी गई 'स्वास्थ्य की परिभाषा सर्वमान्य है और उसका परिप्रेक्ष्य भी व्यापक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (1948) के अनुसार 'स्वास्थ्य वह स्थिति है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तीनों रूपों से स्वस्थ होता है। केवल रोग का न होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता।''

यहाँ शारीरिक घटक शरीर से, मानसिक घटक मन से और सामाजिक घटक समूचे सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित हैं। इसलिए, यह सुस्पष्ट है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को आकार देने व उसे परिभाषित करने में इन सभी क्षेत्रों के कारकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। हालाँकि अर्थ के संदर्भ में देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा सकारात्मक है, लेकिन फिर भी कई शिक्षाविदों या शोधकर्त्ताओं द्वारा इसकी आलोचना की गई है। उदाहरण के लिए, प्रो. इमराना कादिर का (सोशल एक्शन, जुलाई–सितम्बर, 1985) मत है कि यह भाषा वास्तविकता की बजाए आदर्श पर केन्द्रित है क्योंकि इसमें पूर्ण (निरपेक्ष) की धारणा को स्वीकार किया गया है अर्थात् इसमें सामाजिक पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य का संबंध कैसा है इनकी जाँच–पड़ताल करने की बजाए व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर बल दिया गया है। इस परिभाषा में इस तथ्य को भी नज़रअंदाज किया गया है कि स्वास्थ्य के विभिन्न स्तर होते हैं और यह पूर्ण मात्रा (या गुणवत्ता) नहीं हो सकता। कई व्यक्तियों का मानना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा अप्रासंगिक या अंसगत है क्योंकि विश्व में कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण नहीं है। यदि हम इस परिभाषा को स्वीकार कर लेते हैं तो इसके अनुसार हम सभी बीमार हैं।

उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा मानक और सकारात्मक है और इसमें जनसामान्य की अभिलाषाओं को निरूपित करने का प्रयास किया गया है। प्रो. कादिर का कथन है कि व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्तर का उल्लेख करने के अलावा स्वास्थ्य की व्यापक संकल्पना में अन्तर्निहित सामाजिक आयाम होने चाहिए, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किए जाने की झलक (चित्रण), इस शोषण के विरुद्ध शोषित वर्ग का संघर्ष और समाज के पुनःनिर्माण के लिए उनके सजग व सामूहिक प्रयास का उल्लेख भी होना चाहिए।

स्वास्थ्य देखभाल

विश्व स्वास्थ्य संगठन यह मानता है कि स्वास्थ्य एक मूल (मौलिक) मानव अधिकार है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य की देखभाल अनिवार्य है। 'स्वास्थ्य' अपेक्षाकृत व्यापक संकल्पना है लेकिन 'स्वास्थ्य देखभाल' स्वास्थ्य का ही उपरूप है। (स्वास्थ्य) मूलभूत स्वच्छता सुविधाओं, सुरक्षित पेय जल, आवास स्थिति, पर्याप्त आहार, जीवन शैलियों,

पर्यावरणीय खतरों, संचरणीय रोगों, चिकित्सा देखभाल के प्रावधान इत्यादि जैसे कई कारकों से प्रभावित होता है जबकि 'स्वास्थ्य देखभाल' से अभिप्राय है विभिन्न रोगों के कारण होने वाली वेदना और पीड़ा व दुखदर्द को कम करने के लिए किसी भी संस्था (चाहे वह सरकारी संगठन हो या ग़ैर–सरकारी संगठन अर्थात् प्राइवेट संस्थान) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ। स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सीय देखभाल नहीं है, जो उन व्यक्तिगत सेवाओं को सूचित करती है, जो डाक्टर द्वारा सीधे प्रदान की जाती हैं या डाक्टर के निर्देश पर दी जाती है। इस प्रकार, हम संक्षेप में कह सकते हैं कि चिकित्सा देखभाल स्वास्थ्य देखभाल का एक हिस्सा है और स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य का उपरूप है।

स्वास्थ्य देखभाल के तीन स्तर है। ये हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर। प्राथमिक स्तर की देखभाल में, व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अन्तर्गत सेवा प्रदान की जाती है। उपकेन्द्र (Sub-centre — SC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Primary Health Centre — PHC) बहुद्देशीय कार्यकर्त्ताओं, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शकों (गाइडों) और प्रशिक्षित दाइयों की मदद से सेवा प्रदानकर्त्ताओं की भूमिका अदा करते हैं। द्वितीयक स्तर में, थोड़ी जटिल समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है व उनके लिए सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (Community Health Centre — CHC) और जिला अस्पताल प्रदान करते हैं। तृतीयक स्तर की देखभाल से अभिप्राय उच्च स्तर की विशिष्ट सेवाओं से हैं, जो मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों, अखिल भारतीय संस्थानों जैसे क्षेत्रीय या शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है।

आजादी की प्रभातबेला में, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में सुधार करने हेतु गंभीर प्रयास किए गए थे। यद्यपि, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के दृष्टिकोणों में धीरे–धीरे क्रमागत उन्नति हुई। सर्वप्रथम, कॉम्प्रेहैन्सिव हैल्थ केयर (व्यापक स्वास्थ्य देखभाल) की शुरूआत की गयी, जो भोरे समिति (1946) की सिफारिशों से अस्तित्व में आयी। इसने एक परिभाषित भूगोलीय क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक हेतु 'गर्भ से अंतिम समय तक' समेकित निवारक, देखभालकारी एवं संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवाओं का सुझाव दिया। इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्तित्व में आए। स्वास्थ्य देखभाल में दूसरा दृष्टिकोण 1965 में बेसिक हैल्थ सर्विसेज (मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं) के रूप में आया। इसने एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समन्वित, परिधीय, और मध्यवर्ती स्वास्थ्य इकाईयों का संजाल (नेटवर्क) बनाने का सुझाव दिया। तीसरे दृष्टिकोण का 'प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल' के रूप में प्रचार हुआ, जो सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1978 में यू.एस.एस.आर. में आल्मा–एटा सम्मेलन में घोषित

किया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की कल्पना एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवा के रूप में की गयी जो लोगों तक समान रूप से वहन करने योग्य लागत पर पहुँच सके, और जो उन्हें स्वीकार्य हो और उनकी पूरी सहभागिता भी हो। सन 2000 में कोलकाता में हुई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सभा और सन 2001 में बांग्लादेश में हुई पीपुल्स हैल्थ एसेम्बली में, जहाँ तक 94 देशों 'स्वास्थ्य अब सबके लिए' को नारा देकर अल्मा–एटा घोषणापत्र को सफल बनाने पर सहमत हुए। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स) को अपनाया। इसने आठ लक्ष्यों को अपनाया जिनमें वर्ष 2015 तक कतिपय स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने पर जोर दिया गया। 2016 में, सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी. जी.) ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों का स्थान ले किया। 17 सतत् विकास लक्ष्य हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है। इनमें से कुछ लक्ष्यों में सम्मिलित हैं भूख और गरीबी का उन्मूलन, साफ पानी और स्वच्छता और अच्छा स्वास्थ्य और जन कल्याण।

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) स्वास्थ्य को पारिभाषित कीजिए ।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) स्वास्थ्य देखभाल से क्या तात्पर्य है? स्वास्थ्य देखभाल के स्तरों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) भारत में स्वास्थ्य देखभाल में समाज कार्यकर्त्ता की प्रथम बार कब और कहाँ नियुक्ति हुई।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.3 व्यक्ति के रूप में रोगी की संकल्पना

ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पेशेंट अर्थात् रोगी शब्द से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो डाक्टर (चाहे वह क्लीनिक में/अस्पताल में या घर/समुदाय में) की देखरेख में चिकित्सा उपचार प्राप्त करता है। 'व्यक्ति' शब्द को एक मानव के रूप में देखा गया है, जो एक अलग–अलग विशेषताओं वाला व्यक्ति है। इस प्रकार 'व्यक्ति के रूप में रोगी में रोगी को बीमार व्यक्ति के बजाए, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया है, जो एक सामान्य व्यक्ति है और जो कई पारिवारिक और समाज कार्य कर सकता है। इन कार्यों में पारिवारिक मामलों से संबंधित निर्णय लेने में भाग लेना, परिवार की अर्थव्यवस्था और बच्चे की देखभाल से संबंधित दायित्व निभाना, परिवार के अन्य सदस्यों की मनो–सामाजिक समस्याओं को सुनना, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करना, दूसरों को सम्मान देना व दूसरों से सम्मान लेना, सामुदायिक कल्याण के लिए एकता (भाईचारा) दर्शन इत्यादि कार्य शामिल हैं। चिकित्सा और मनो–सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, यह शब्द चार प्रकार के व्यक्तियों – डाक्टर, परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग और समाज कार्यकर्त्ता के लिए महत्त्वपूर्ण है। अस्पताल के कर्मचारियों के जीवन में जो कई चीजें आम होती हैं जब रोगी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है वहीं चीजें अवसर रोगी के जीवन में भावात्मक संकट उत्पन्न करती हैं। दवाइयों की गंध, स्टाफ के अनुचित व्यवहार (अनुक्रिया), डॉक्टरों का रोगी को देखने न आना, वार्ड की अरवच्छ स्थिति, भोजन का निम्न स्तर, अन्य रोगियों की बीमारियों (पीड़ाओं) और मृत्यु से उत्पन्न भय इत्यादि के फलस्वरूप रोगी अस्पताल के माहौल में अपने को ढाल नहीं सकता। इस तरह, डाक्टर को रोगी की बीमारी व्यक्ति की भूमिका को कम महत्त्व देते हुए उसके

साथ व्यक्ति के भांति व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत रोगी कई व्यक्तियों से कुछ उम्मीदें (अपेक्षाएँ) रखते हैं। वे चाहते हैं कि विशेषरूप से परिवार के सदस्य व पड़ोसी उनकी मनो–सामाजिक समस्याओं को समझें। उन्हें भावात्मक सहयोग प्रदान करें और रोगी समझ कर उन्हें अलग–थलग न कर दें। 'व्यक्ति के रूप में रोगी समाज कार्यकर्त्ता के लिए भी महत्त्व रखता है। इसके अभ्यास द्वारा समाज कार्यकर्त्ता रोगी पर रोग का बोझ कम करने का प्रयास करता है। इस सदंर्भ में, रोगी की बीमार भूमिका को ज्यादा महत्त्व दिए बिना समाज कार्यकर्त्ता उसे विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रखता है, उसे सम्मान देता है, रोग के अलावा जो उसकी अन्य समस्याएँ है उनको जान लेता है और उनके समाधान के लिए परामर्श सेवाएँ लेने का सुझाव देता है।

3.4 रोग और उनके उपचार में निहित सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक

कई ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जब चिकित्सा व्यवसायिक मनो–सामाजिक कारकों को महत्त्व देना ज़रूरी समझते हैं। यह एक स्वभाव विशेषता है। लेकिन सामाजिक वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। उनका तर्क है कि ये कारक व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल और समुदाय के कल्याण को प्रभावित करते हैं। इसलिए रोग और उपचार पर उनके प्रभाव को समझने के लिए कुछ ही सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की चर्चा आगे की गई है।

सामाजिक कारक

क) **निर्धनता:** कम आय, अप्रधान आहार, लम्बे समय से भुखमरी इत्यादि इसके परिणाम हैं। ये कुपोषण को जन्म देते हैं, जो सभी रोगों के प्रति रोग निरोधक क्षमता को कम कर देता है।

शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के कई लोग एक ही कमरे में गुजर बसर करते हैं। जब परिवार का कोई एक सदस्य किसी संचरणीय रोग (उदाहरण के लिए, टी.बी. जैसे क्षयरोग) से ग्रस्त हो जाता है तो अन्य सदस्यों के साथ उसका निकट संपर्क होता है और इस तरह उनमें यह रोग आसानी से संचरित हो सकता है। हम यह भी मानते हैं कि गरीबी सफाई के अस्वच्छ पर्यावरणीय प्रबंध और खराब आवास का मूल कारण है,, जो श्वसन संक्रमण, त्वचा संक्रमण, एन्थ्रोपोड, दुर्घटनाओं, रुग्णता व मृत्यु की उच्च दरों इत्यादि का मूल कारण है।

ख) **देशांतरण (एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना):** समाज में लोगों को विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रतिबंधों को भोगना पड़ता है यह उन्हीं का कारण व परिणाम दोनों ही है। ग्रामीण विशिष्ट वर्ग उच्च शिक्षा के लिए शहरों में आते हैं और परिवार की संपदा को बढ़ाते हुए बाद में शहरों में ही नौकरी करने

लगते हैं। दूसरी ओर गरीब किसान और काश्तकार, भूमिहीन मज़दूर सीमांत समूह और गरीब शिल्पकार बेरोज़गारी से बचने के लिए बड़े गाँवों, शहरों और नगरों में आकर बस जाते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है देशांतरण इसे बुरी तरह प्रभावित करता है। ग्रामीण–ग्रामीण या ग्रामीण–शहरी एकल पुरुष (अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग) देशांतरण खतरनाक यौन व्यवहार के फलस्वरूप यौन संचरित रोगों, एच.आई.वी और एड्स के संचरण और संकुचन से संबद्ध है। ईंट के भट्टे, भवन–निर्माण, फसल काटने, टाइलें बनाने, बेंत बॉस दस्तकारी इत्यादि में काम करने वाली प्रवासी महिलाओं के व्यवसायजनित स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं। प्रवासी महिलाओं को होने वाली इन स्वास्थ्य समस्याओं में बदन में दर्द, त्वचा पर जलन, धूप (गर्मी) में काम करने के कारण धूप ताम्रता (sun burn), श्वसन संबंधी समस्याएँ, काम करने की खराब स्थितियों के कारण एलर्जी, विदारण, मासिक धर्म में अत्यधिक रक्त प्रवाह इत्यादि शामिल हैं। प्रवासी अपने साथ मलेरिया, टी.बी., पीलिया रोगों हानिकारक आदतों और इस तरह की अन्य समस्याओं का वहन भी करते हैं।

ग) **व्यक्तिगत आदतें:** प्रत्येक व्यक्ति की आदतों का उसके रोग पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ व्यक्तियों की खान–पान की आदतों को ही लीजिए। बहुत कम लोगों में दूध, दूध से बने पदार्थों को खरीदने का सामर्थ्य होता है। इन पदार्थों में विटामिन ए होता है। विटामिन ए शरीर में संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण व अनिवार्य है। कभी–कभी लड़के व लड़कियों द्वारा पतले होने के लिए काफी समय तक स्वयं को भूखे रखना, या भूखे रहना भी एक खतरनाक प्रक्रिया है और यह स्वस्थ जीवन के लिए हानिकारक है। देर रात में भोजन करने या बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत, हालाँकि संक्रमण का प्रत्यक्ष कारण तो नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को कम करके ये कई रोगों के लिए मार्ग बनाती है।

घ) **अल्प बुद्धि, अल्प शिक्षा और व्यक्तिगत अज्ञानता:** इसके परिणामस्वरूप, कई लोग कुछ घातक बीमारियों के स्वरूप या कारणों से अवगत नहीं होते हैं और इसीलिए इनसे बचने के लिए एहतियाती उपाय नहीं अपनाते। उदाहरण के लिए, कभी–कभी लोग टी.बी. के रोगियों के साथ बहुत ज्यादा घुलमिल जाते हैं और नहीं जानते कि जब वह रोगी उनके मुँह पर खाँसता है तो वे उस रोगी के कीटाणुओं की साँस द्वारा अपने अंदर ले रहे हैं। इसी तरह, कई श्वसन–संक्रमण, आंतों के संक्रमण, एन्थ्रोपोड जन्म संक्रमण, पशुजन्य रोग और सतही संक्रमण (surface) (रोहें, टिटेनस, कुष्ठ,

यौन संचरित रोग इत्यादि) निम्न शिक्षा और व्यक्ति की अज्ञानता के फलस्वरूप भी हो सकते हैं।

ङ) **काम की परिस्थितियाँः** वे व्यक्ति जो अंधेरे कम रोशनी वाले व ऐसे स्थानों पर काम करते हैं जहाँ वायु का आवागमन उचित नहीं होता वे आसानी से अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। केवल यही नहीं बल्कि कभी काम का स्वरूप भी अंधेपन का कारण होता है। उदाहरण के लिए, बढ़ई गिरी, लौहार गिरी, पत्थर तोड़ना, छेनी से काटना, हथौड़ा चलाना, लकड़ी काटना इत्यादि। काम करने की खराब परिस्थितियाँ, अंधेपन के अलावा कई अन्य बीमारियों को भी जन्म दे सकती हैं जैसे (hear exhaustion), (heat cramps), हिमदाह, वातमंजूषा (कैसान) रोग, व्यवसायजन्य बहरापन, श्वेतरक्तता, पूर्णरक्तकोशिकाहीनता, चोटें व दुर्घटनाएँ इत्यादि।

च) **सामाजिक कलंकः** टी.बी., कुष्ठ रोग, फाइलेरिया इत्यादि जैसे कई रोग, रोगियो में शर्मनाक भावना या बदनामी होने की भावना पैदा करते हैं। हालांकि इसका मुख्य कारण अस्वीकार किए जाने की भावना हो सकता है, जो परिवार व समुदाय में रहने वाले लोगों के मन में हावी होता है। लोगों की धारणा है कि यदि वे इन रोगियों के साथ उठे–बैठेंगे व घुल–मिल कर रहेगे तो उन्हें भी संक्रमण हो जाएगा। कार्य–स्थल पर अस्वीकृति के कारण पुरुषों को इसे ज्यादा झेलना पड़ता है। काम पर वापिस लौटने पर सबसे बड़ी चिंता होती है सहकर्मियों या प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकार (बहिष्करण) किए जाने का भय। उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या रोग के कारण उसे लोग हीन दृष्टि से देखेंगे? ऐसे अमैत्रीपूर्ण माहौल में वह काम कैसे कर पाएगा? हालांकि महिला को भी यह सुनिश्चित नहीं होता है कि उसके पति के रिश्तेदार उसे स्वीकार करेंगे? भले ही यह सही है कि बहुत कम महिलाएँ ऐसी हैं, जिनके पति वास्तव में उन्हें उनके रोग के कारण छोड़ देते हैं। अस्वीकृति या छोड़े जाने का भय अधिकांश महिलाओं के मन में प्रबल होता है। ऐसे तथ्य भी हमारे सामने आए हैं कि कभी–कभी रोगियों के रिश्तेदार ही सामाजिक कलंक के भय से उनसे अलग–थलग (दूर) हो जाते हैं।

छ) **सांस्कृतिक कारकः** जाति प्रथा के कम होने और पश्चिमी संस्कृतियों के प्रभावस्वरुप लोगों में घर से बाहर खाने पीने की आदतें विकसित हो गई हैं। शहरों व नगरों में लोग होटलों व रेस्टोरेंटों में अक्सर अल्पाहार या जलपान के लिए जाते हैं। अन्य जातियों के लोगों द्वारा बनाए गए आहार व पेय पदार्थों का सेवन करने में न तो उन्हें हिचकिचाहट होती है और न अन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तनों में

खाना परोसा जाना उन्हें बुरा ही लगता है। कई रोगी इन रेस्टोरेंटों में आते हैं और उनके द्वारा प्रयुक्त बर्तनों को अन्य लोगों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। होटलों या रेस्टोरेंटों में इन खाने–पीने के बर्तनों को शायद ही कभी कीटाणुरहित किया जाता है। कभी–कभी तो वे पानी की भरी बाल्टी में इन गिलासों व प्यालों को मात्र डुबकी ही लगवाते हैं, बर्तनों की साफ–सफाई के लिए मात्र यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब तक हम इन को कीटाणुरहित नहीं करते तब तक ये संक्रमण का स्रोत बने रहते हैं और कई बीमारियों फैला सकते हैं।

ज) **अन्य कारकः** ऊपर वर्णित पहलुओं के अतिरिक्त कई अन्य सामाजिक कारक भी हैं, जो कई रोगों व उनके उपचार को भी प्रभावित करते हैं ये सामाजिक कारक हैं शहरीकरण और उद्योगीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व पहुँच, अन्य विश्वास और पारम्परिक मान्यताएँ, नशीले पदार्थों का व्यसन और मद्यव्यसन इत्यादि।

मनोवैज्ञानिक कारक

क) **भावात्मक समस्याः** विश्व में प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है और अपनी उत्तरजीविता के लिए एहतियात बरतता है। लेकिन कुछ ऐसे रोगी होते हैं, जिनमें जीने की इच्छा' प्रबल नहीं होती। अत्यधिक तकलीफों, दुखों व गहन भावना के कारण वे मौत के स्वागत को तैयार रहते हैं। इस प्रकार, ऐसा मन जो मृत्यु के साथ संबद्ध हो, वह शरीर को रोग के लिए तैयार करने में मदद करता है और बदले में, बीमारी इन दिशाओं में मन की गतिविधि को तीव्र करती है।

ख) **चिंताएँ व तनावः** प्रत्येक व्यक्ति रोज़मर्रा के जीवन में इन्हें झेलता है। हालाँकि, प्रत्येक व्यक्ति बचपन से ही इन चिंताओं से बचने या इन्हें नियंत्रित करने के लिए विभिन्न क्रियाविधियाँ या तकनीकें विकसित कर लेता है लेकिन व्यक्ति इन्हें नियंत्रित करने के लिए अपने को बहुत अधिक गतिविधियों में उलझाते जाते हैं। व्यक्ति वयस्कावस्था में इन गतिविधियों या तकनीकों को स्थायी आदतें बना लेते है, जिनके विरुद्ध वह बगावत नहीं कर सकते। इस प्रकार कई अलग–अलग व्यक्तिगत कारक है, जो व्यक्ति के जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते है, वे कभी–कभी वास्तविक जीवन की स्थिति में अत्यशिक परेशान हो जाते है और कई मनोवैज्ञानिक विसंगतियों को व्यक्त करते हैं।

ग) **घातक अभिवृत्तिः** लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि सभी बीमारियों को भगवान नियंत्रित करेगा। इस अभिवृत्ति के कारण व्यक्ति निष्क्रिय और अकर्मण्य हो जाता है, अर्थात् बीमारी का इलाज करने के लिए हाथ–पाँव नहीं मारता। यह

व्यक्ति व समुदाय दोनों के लिए एक बाधा है और इससे रोगों की संभावना बढ़ जाती है।

बोध प्रश्न II

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) 'व्यक्ति के रूप में रोगी से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) रोगों और उनके उपचार को प्रभावित करने वाले सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारकों का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.5 स्वास्थ्य देखभाल दल (टीम) में समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका

इक्कीसवीं शताब्दी में स्वास्थ्य देखभाल संगठनों में 'टीम–कार्य' शब्द ने एक आम स्थान बना लिया है। टीमों (दलों) को कार्य करने वाली महत्त्वपूर्ण इकाइयों के रूप में देखा जाता है और 'टीम कार्य के संभावित फायदों को मान्यता व सराहना की जाती है। एकीकरण के स्तर के आधार पर टीम–कार्य को बहुविषयक, अंतःविषयक और पार (परा) विषयक जैसे शब्दों में श्रेणीबद्ध किया गया है। बहुविषयक टीम वर्क में अलग–अलग विषयों के विशेषज्ञ उपभोक्ता (client) के साथ संबद्ध होते हैं लेकिन प्रत्येक विशेषज्ञ अपने–अपने विषय की गतिविधियों के लिए जवाबदेह होता है। अन्तःविषयक में विभिन्न विषयों के बीच अंतःक्रिया की अपेक्षा की जाती है। संसाधन (विशेषज्ञ) व्यक्ति अलग–अलग काम करते हैं लेकिन वे समूह प्रयास के लिए कभी उत्तरदायी होते हैं। पराविषयक टीम वर्क में ये विशेषताएँ काफी हद तक होती हैं।

अलग–अलग विषयों के प्रतिनिधि एक साथ काम करते हैं लेकिन केवल एक या दो टीम सदस्य ही वस्तुतः सेवाएँ प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में, चिकित्सा कार्यकर्त्ता अन्त–विषयक या पराविषयक टीम में कार्य करते हैं। डाक्टरी पेशे के लोग या मनोचिकित्सक, मेडिकल या मनोचिकित्सा का समाज कार्यकर्त्ता, क्लिनिकल मनोविज्ञानी, व्यवसायिक चिकित्सक (थैरेपिस्ट) प्रशिक्षित नर्स इत्यादि स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य होते हैं। इस टीम से जुड़े समाज कार्यकर्त्ता के महत्त्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित होते हैं:

क) वह रोग के बचपन और स्कूल में उसके निष्पादन, घरेलू परिस्थिति, परिवार में अन्तःव्यक्तिगत संबंधों, मनोलैंगिक (मनःकामुक) इतिहास, मनोवृत्तियों, शौक, रुचियों इत्यादि से संबंधित सामाजिक जानकारी प्राप्त करता है। वर्तमान परेशानियों (समस्याओं) के संदर्भ में रोगी की चिरस्थायी समस्याओं को समझा व जाना जा सके। समाज कार्यकर्त्ता द्वारा एकत्रित की गई पिछली जानकारी और डाक्टर या मनोचिकित्सक की रिपोर्ट तथा मनोवैज्ञानिक के निष्कर्ष रोग का पता लगाने व उपचार की योजना बनाने में मददगार होते हैं।

ख) समाज कार्यकर्त्ता रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को बीमारी या रोग के बारे में जानकारी देता है; वह यह भी समझाता है कि यह रोग कितनी जल्दी–जल्दी या कब कब हो सकता है, व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव होगा और डाक्टरों द्वारा प्रस्तावित उपचार प्रक्रियाओं के बारे में भी बताता है।

ग) स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य के रूप में समाज कार्यकर्त्ता बेहतर सामाजिक सामंजस्य के लिए तरीका खोजने में परिवार व रोगी की सहायता कर सकता है। इस संबंध में वह भावात्मक समर्थन प्रदान करता है और नियोक्ता या शैक्षणिक संस्थान या परिवार के सदस्य या पड़ोसी के साथ काम करके पर्यावरण में बदलाव लाता है।

घ) कई बार, संसाधन के अभाव में रोगी के लिए उचित चिकित्सा या मनोचिकित्सा देखभाल प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अतः समाज कार्यकर्त्ता गरीब रोगियों को धन, दवा, कपड़े या कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए समुदाय के संसाधनों को एकत्रित करता है (मिलाता है) ताकि वे डाक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार अपने उपचार को जारी रख सकें। इसके अतिरिक्त, समाज कार्यकर्त्ता समुदाय में उपलब्ध ऐसी अन्य सामाजिक एजेंसियों के संपर्क में भी रहते हैं जो रोगियों को नियमित रूप से क्लिनिकों में भेजती हैं। यह सेवाओं के उचित समन्वय में सहायक होता है।

ङ) रोगियों को मनोरंजन सुविधाएँ, अपेक्षित जागरूकता और चिकित्सीय सुविधाएँ (आगतें) प्रदान करने के लिए समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा रोगियों व उनके परिवार के सदस्यों के साथ सामूहिक कार्य से संबद्ध गतिविधियाँ की जाती है। मनोचिकित्सा संस्थानों में सामूहिक कार्य को प्राथमिक गतिविधि के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला कार्य माना जाता है जहाँ दीर्घकालिक मामले होते हैं लेकिन केवल 24% समाज कार्यकर्त्ता इसे प्राथमिक कार्य मानते हैं (वर्मा 1991)। वास्तविकता यह है कि अधिकांश मनोचिकित्सा विभाग अपनी सेवाएँ मुख्य रूप से ओ.पी.डी. (बाह्य रोगी विभाग) के जरिए प्रदान करते हैं। हालाँकि, बच्चों के साथ काम करते हुए सी जी सी (बाल मार्गदर्शन क्लिनिक Child Guidace Clinics) सामूहिक कार्य/थैरेपी पर विशेष बल देते हैं, बहुत ही कम सी.जी.सी. थैरेपी, परामर्श और शिक्षा के लिए रोगियों को शामिल करते हुए सामूहिक गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। मनोचिकित्सा व्यवस्था के अतिरिक्त, समाज कार्यकर्त्ता विशेष रूप से संस्थागत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के कार्यकर्त्ता सामूहिक कार्य विधि को नज़रअंदाज करते हैं।

च) समाज कार्यकर्त्ता रोगी के पुनर्वास (पुनःस्थापन) में सहायता करता है। स्वास्थ्य देखभाल में पुनर्वास रोगी की सामान्य जीवन में लौटने में या लंबी गंभीर बीमारी या क्षति के बाद जहाँ तक संभव हो उत्तम जीवन–शैली अर्जित करने में सहायता करने की प्रक्रिया है। यह पुनर्वास सामाजिक (पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को पुनःस्थापित करना) या मनोवैज्ञानिक पुनर्वास (अपनी डारिया व आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करना) या व्यवसायिक पुनर्वास (जीविका अर्जित करने की क्षमता की वापसी) हो सकता है।

छ) समाज कार्यकर्त्ता के महत्त्वपूर्ण कार्यों में एक कार्य है परामर्श (संदर्भ) करना। सेवाओं में मदद करता परामर्श सेवा से अभिप्राय है, रोगी को ऐसी एजेंसी या कार्यक्रम अथवा व्यवसायिक व्यक्ति के साथ संबद्ध करना, जो रोगी को अपेक्षित सेवा प्रदान कर सकता है और करेगा। आयुर्विज्ञान व्यवस्था में, रोगी को क्लीनिक/पोलीक्लीनिक/नर्सिंग होम/अस्पताल में भेजा जा सकता है। मनोचिकित्सीय व्यवस्था में, रोगी को सी.जी.सी (यदि बच्चा है और उसे सहायता संबंधी समस्या है) या नशा छुड़ाने वाले केन्द्र (यदि नशा करता है या मद्यव्यसन है) या मनोचिकित्सीय विभाग (चिकित्सात्मक आगतों सुविधाओं से संबंधी और अधिक अवसरों के लिए) या मानसिक चिकित्सालय (पागलखाना) (ऐसे पुराने व गंभीर मानसिक रोगी जिन्हें शारीरिक उपचार की ज़रूरत है, जो उपचार देने के लिए भेजा

जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल टीम के अन्य सदस्यों द्वारा कितने मामले मेडिकल समाज कार्यकर्त्ताओं या मनोचिकित्सीय कार्यकर्त्ताओं को भेजे जाते हैं, समाज कार्य की सेवाओं की मान्यता का महत्त्वपूर्ण सूचक हैं।

ज) समाज कार्यकर्त्ता रोगी और उसके परिवार की अनुवर्ती (अर्थात् बाद में की जाने वाली) देखभाल व उपचार में शामिल हो जाते हैं ताकि उपचार के दौरान रोगी को जो लाभ (स्वारथ्य सुधार) हुए थे वे लाभ बने रहें। आयुर्विज्ञान या मनोचिकित्सीय संस्थाओं में अनुवर्ती गतिविधियों के लिए जो रोगी व उनके परिवार के सदस्य ओ.पी. डी. में आते हैं अस्पताल से छुट्टी के बाद रोगियों द्वारा की गई प्रगति का निर्धारण करने के लिए वहाँ उनके साक्षात्कार के लिए जाते हैं। सी.जी.सी. में अनुवर्तन में अंतःक्षेप के परिणाम का पता लगाने के लिए समाज कार्यकर्त्ता बच्चों, उनके माता–पिता और रिश्तेदारों का साक्षात्कार लेते हैं, घरों व विद्यालयों के दौरे इत्यादि करते हैं।

झ) समाज कार्यकर्त्ता शिक्षण, पर्यवेक्षण और स्टाफ विकास की गतिविधियों से भी जुड़ा है। समाज कार्य की जानकारी प्रदान करने के लिए वह मेडिकल, समाज कार्य, फिजियोथैरेपी के साथ–साथ व्यवसायिक थैरपी नर्सिंग इत्यादि सभी के विद्यार्थियों को स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों की शिक्षा देता है और इंटर्न विद्यार्थियों, समाज कार्यकर्त्ता (क्षेत्र कार्य के लिए) परावृत्तिकों, स्वयंसेवी जैसी व्यक्तियों का पर्यवेक्षण करता है। कर्मचारियों व समाज कार्यकर्त्ताओं के कार्य–निष्पादन को उद्यतन करने के लिए वह अस्पताल में या अस्पताल से बाहर सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

ञ) रोगी के उपचार को जारी रखने, संगठनात्मक विकास और सामाजिक अनुसंधान के लिए नियमित रूप से बनाए जाने वाले रिकार्डों में स्पष्टता व वास्तविकता का होना महत्त्वपूर्ण है। भावी मार्गदर्शन व अनुसंधान कार्य के लिए इन केस रिकार्डों, पंजियों, फाइलों को बनाने व रखरखाव का दायित्व समाज कार्यकर्त्ताओं का होता है। यह पाया गया (वर्मा 1991) कि 87 प्रतिशत समाज कार्यकर्त्ता आजमाइशी तौर पर और 97 प्रतिशत समाज कार्यकर्त्ता नियमित रूप से रजिस्टर व केस–शीटें बनाते हैं। बहुत कम समाज कार्यकर्त्ता अर्थात् लगभग 12 प्रतिशत और 19 प्रतिशत क्रमशः अपनी प्रक्रिया रिकार्डों और संक्षिप्त रिकार्डो को अद्यतन करते हैं।

ट) अनुसंधान कार्य में अनुसंधान समस्या की रचना, प्राक्कल्पना के विकास, पद्धति एवं तकनीक का चयन, तथ्य संकलन तथ्य विश्लेषण से लेकर रिपोर्ट लिखने तक

विभिन्न गतिविधियाँ (कार्यकलाप) शामिल हैं। यह देखा गया है कि कभी–कभी कार्यकर्त्ता को इन अनुसंधान कार्यों की प्रत्येक अवस्था में शामिल किया जाता है, जो कि उनके कार्यों का ही हिस्सा होता है। लेकिन यह भी व्यवहारिक है कि कोई भी समाज कार्यकर्त्ता स्वतंत्र अनुसंधान कार्य नहीं करता। वे इसे सहायक कार्य मानते हैं।

ठ) 'मानसिक स्वास्थ्य आन्दोलन' को आगे बढ़ाने और 'अब सभी के लिए स्वास्थ्य' के प्रसार के लिए समाज कार्यकर्त्ता पत्रिकाओं में आने वाले लेखों, श्रव्य–दृश्य विधियों, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि द्वारा समुदाय के साथ संपर्क बनाए रखते हैं।

ड) स्वास्थ्य देखभाल टीम से जुड़ा समाज कार्यकर्त्ता समुदाय आवासीय देखभाल प्रदाता के प्रवर्तक के रूप में भी काम करता है। वे लोग जिनके परिवार नहीं होते या जो परिवार घर पर व्यक्ति की देखभाल नहीं कर सकते या जो अस्पताल या नर्सिंग होम से संबंध नहीं रखता, उन्हें सामुदायिक आवासीय देखभाल की ज़रूरत होती है।

ढ) उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त समाज कार्यकर्त्ता ज़रूरत पड़ने पर आपात कालों में भी जाता है। आपात काल दो प्रकार के होते हैं – चिकित्सा आपात काल और सामाजिक आपातकाल। जल जाना, हृदय संबंधी समस्याएँ, जहर खा लेना, सदमा (आघात) इत्यादि सही मायने में चिकित्सा आपातकाल है। सामाजिक आपातकाल के अन्तर्गत बाल दुरुपयोग, पति/पत्नी द्वारा दुर्व्यवहार, वयस्क दुरुपयोग, बलात्कार इत्यादि मामले आते हैं। इस सभी की विशेषताएँ सामान्य होती हैं अर्थात् ये अकल्पित होते हैं, एकदम अचानक होते हैं, रोगी के जीवन को इससे खतरा होता है और रोगी व उनके परिवार इनके लिए तैयार नहीं होते। परिणामस्वरूप रोगियों व उनके परिवार वालों को अनिश्चितता, अनेक सवालों विभिन्न भावों का सामना करना पड़ता है और स्थिति के प्रति अनुक्रिया की योजना बनाने की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, समाज कार्यकर्त्ता अनिश्चितता के अंश को कम करने और स्थिति को समझकर व उसे नियंत्रित करके सहायता प्रदान करता है।

बोध प्रश्न III

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) दलकार्य (टीम वर्क) क्या है? स्वास्थ्य देखभाल दल के सदस्य कौन कौन से होते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) स्वास्थ्य देखभाल दल (टीम) के सदस्य के रूप में समाज कार्यकर्त्ता के किन्हीं दो कार्यों की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.6 सारांश

एक शताब्दी से समाज कार्य स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा है। इसने अस्पतालों, क्लीनिकों, पुनर्वास केन्द्रों, नर्सिंग होमों, स्वास्थ्य विभागों, स्वास्थ्य एजेंसियों इत्यादि जैसे विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। सामाजिक विकास प्रतिमान के अन्तर्गत सामाजिक विज्ञान और समाज कार्य में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल, व्यक्ति के रूप में रोगी, स्वास्थ्य के मनो–सामाजिक पहलुओं इत्यादि को पुनः परिभाषित किया गया है और इसी पुनःपरिभाषित ज्ञान ने इक्कीसवीं शताब्दी में स्वास्थ्य देखभाल के अन्तर्गत समाज कार्यकर्त्ता की क्षमता को सुदृढ़ किया है। अब समाज कार्यकर्त्ता जानते हैं कि व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए बीमारियाँ अलग–अलग अर्थ रखती हैं। अतः स्वास्थ्य देखभाल टीम का सदस्य होने के नाते समाज कार्यकर्त्ता रोगियों, उनके परिवारों, अस्पताल के माहौल और प्रशासनिक व सामुदायिक मामलों पर समान महत्त्व देने का प्रयास करता है।

3.7 शब्दावली

'अब सभी के लिए स्वास्थ्य' : 1978 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अलमा अत्ता (तत्कालीन रुस) में यूनिसेफ द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्वव्यापी स्वास्थ्य अधिकारों का संमान्य उद्‌भव (प्रस्फोट) हुआ। इस सम्मेलन में लगभग 134 देशों ने भाग लिया तथा वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य' के लक्ष्य की घोषणा

की। वर्ष 2000 आया और आकर चला गया, लेकिन घोषणा कार्यान्वित नहीं हुई। 2000 में कोलकात्ता में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सभा और 2001 में बांग्लादेश में आयोजित पीपुल्स हैल्थ एसेम्बली ने स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर बहस की और 'अभी – सभी के लिए स्वास्थ्य' का नारा लगाया।

मानसिक स्वच्छता आंदोलन : इससे अभिप्राय समुदाय के व्यक्तियों के सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए ऐसे कार्यक्रमों को तैयार करना व कार्यान्वित करना है, जो विभिन्न मानसिक रोगों को आवर्तन व व्याप्ति को कम कर सके।

3.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

बनर्जी, डी. (1985), हैल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसस इन इंडिया, लोक पक्ष, नई दिल्ली।

बनर्जी, जी. आर (1968), दी ट्यूबरकुलोसिस पेसेंट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईसः मुम्बई।

बाजपेयी, पी.के. (1998), सोशल वर्क पर्सपेक्टिवस ऑन हैल्थ, रावत पब्लिकेशंसः नई दिल्ली।

डोपर, एस. एस. (1997), सोशल वर्क इन हैल्थ केयर इन दी टवनटी फर्स्ट सेंचुरी, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

पार्क, के. (1995), प्रिवन्टीव एंड सोशल मेडिसन, बनारसीदास भनोट, जबलपुर।

कादिर, आई. (1985), ''हैल्थ सर्विसस सिस्टम इन इंडियाः एन एक्सप्रेशन ऑफ सोसो–इकानामिक इनइक्वलटी", सोशल एक्शन, खंड 35, पृष्ठ 198 से 221

शाह, एल.पी. एवं शाह, एच., (1994), ए हैन्डबुक ऑफ साइक्रियाट्री, वोरा मेडिकल पब्लिकेशंस मुम्बई।

वर्मा, आर. (1991), साइक्रियाट्रिक सोशल वर्क इन इंडिया, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

वर्दे, एस. एम. (1987), (सोशल वर्क इन मेडिकल सेटिंग) इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, खंड III, पृष्ठ 172–178.

यस्सुदीन, सी.ए.के., (सम्पा.) (1991), प्राइमरी हैल्थ केयर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंसः मुम्बई।

3.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) विश्व स्वास्थ्य संगठन (1948) की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य वह स्थिति है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तीनों रूपों से स्वस्थ होता है। केवल रोग

का न होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता। यद्यपि इस परिभाषा की कुछ सीमाएँ भी हैं, फिर भी यह परिभाषा मानक और सकारात्मक है और इसमें जनसामान्य की अभिलाषाओं को निरूपित करे का प्रयास किया गया है।

2) 'स्वास्थ्य देखभाल' से अभिप्राय है विभिन्न रोगों के कारण होने वाली वेदना और पीड़ा व दुखदर्द को कम करने के लिए किसी भी संस्था (चाहे वह सरकारी संगठन हो या ग़ैर सरकारी संगठन अर्थात् प्राइवेट संस्थान) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ। स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सीय देखभाल नहीं है, जो उन व्यक्तिगत सेवाओं को सूचित करती है, जो डाक्टर द्वारा सीधे प्रदान की जाती हैं या डाक्टर के निर्देश पर दी जाती है। इस प्रकार, हम संक्षेप में कह सकते हैं कि चिकित्सा देखभाल स्वास्थ्य देखभाल का एक हिस्सा है और स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य का उपरूप है।

स्वास्थ्य देखभाल के तीन स्तर हैं। ये हैं–प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर। प्राथमिक स्तर की देखभाल में, व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अन्तर्गत सेवा प्रदान की जाती है। उपकेन्द्र (Sub-centre — SC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Primary Health Centre — PHC) बहुदेशीय कार्यकर्त्ताओं, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शकों (गाइडों) और प्रशिक्षित दाइयों की मदद से सेवा प्रदानकर्त्ताओं की भूमिका अदा करते हैं। द्वितीयक स्तर में, थोड़ी जटिल समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है व उनके लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (Community Health Centre — CHC) और जिला अस्पताल प्रदान करते हैं। तृतीयक स्तर की देखभाल से अभिप्राय उच्च स्तर की विशिष्ट सेवाओं से हैं, जो क्षेत्रीय या शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है।

3) भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रथम बार समाज कार्यकर्त्ता की नियुक्ति 1946 में जे.जे. अस्पताल, मुम्बई में हुई।

बोध प्रश्न II

1) 'व्यक्ति के रूप में रोगी' में रोगी को बीमार व्यक्ति के बजाए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया है, जो एक सामान्य व्यक्ति है और जो कई पारिवारिक और समाज कार्य कर सकता है। इन कार्यों में पारिवारिक मामलों से संबंधित निर्णय लेने में भाग लेना, परिवार की अर्थव्यवस्था और बच्चे की देखभाल से संबंधित दायित्व निभाना, परिवार के अन्य सदस्यों की मनो–सामाजिक समस्याओं को सुनना, उनके प्रति

सहानुभूति प्रकट करना, दूसरों को सम्मान देना व दूसरों से सम्मान लेना, सामुदायिक कल्याण के लिए एकता (भाईचारा) दर्शन इत्यादि कार्य शामिल हैं।

2) विभिन्न सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक जो रोगों और उनके उपचार को प्रभावित करते हैं वे इस प्रकार हैं:

सामाजिक कारक

- निर्धनता
- देशान्तरण
- व्यक्तिगत आदतें
- कम बुद्धि, कम शिक्षा और व्यक्तिगत अज्ञानता
- काम करने की परिस्थिति
- सामाजिक कलंक
- सांस्कृतिक कलंक
- अन्य कारण

मनोवैज्ञानिक कारक

- भावात्मक समस्या
- चिंताएँ व तनाव
- घातक अभिवृत्ति

बोध प्रश्न III

1) एक टीम विभिन्न प्रकार के स्टाफ कर्मचारियों से मिल कर बनती है। एक टीम में दो या दो से अधिक प्रतिनिधि एक साथ काम करते हैं और आपसी सहयोग से कार्य योजना बनाकर उसे सम्पन्न करते हैं। इसे टीम वर्क कहा जाता है।

डाक्टरी पेशे के लोग या मनोचिकित्सक, मेडिकल या मनोचिकित्सा कार्यकर्त्ता, क्लीनिकल मनोविज्ञानी, व्यवसायिक चिकित्सक (थैरेपिस्ट) प्रशिक्षित नर्स इत्यादि स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य होते हैं।

2) समाज कार्यकर्त्ता के दो मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

क) समाज कार्यकर्त्ता रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को बीमारी या रोग के बारे में जानकारी देता है; वह यह भी समझाता है कि यही रोग कितनी जल्दी जल्दी या कब–कब हो सकता है, व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर

इसका क्या प्रभाव होगा और डाक्टरों द्वारा प्रस्तावित उपचार प्रक्रियाओं के बारे में भी बताता है।

ख) कई बार संसाधन के अभाव में रोगी के लिए उचित चिकित्सा या मनोचिकित्सा देखभाल प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अतः समाज कार्यकर्त्ता गरीब रोगियों को धन, दवा, कपड़े या कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए समुदाय के संसाधनों को एकत्रित करता है (मिलाता है) ताकि वे डाक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार अपने उपचार को जारी रख सकें। इसके अतिरिक्त, समाज कार्यकर्त्ता समुदाय में उपलब्ध ऐसी अन्य सामाजिक एजेंसियों के संपर्क में भी रहते हैं, जो रोगियों को नियमित रूप से क्लीनिकों में भेजती हैं। यह सेवाओं के उचित समन्वय में सहायक होता है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 4 औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य

*डॉ. रंजना सहगल

रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 संकल्पना

4.3 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

4.4 उद्योग जगत का सामाजिक उत्तरदायित्व

4.5 उद्योग में समाज कार्य के क्षेत्र/अवसर

4.6 समाज कार्य विधियों की उपयुक्तता

4.7 उद्योग में समाज कार्य का स्थान

4.8 समस्याएँ तथा संभावनाएँ

4.9 सारांश

4.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.0 उद्देश्य

यह इकाई हमें उद्योग जगत में समाज कार्य के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने के लिए निर्मित की गई है।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- औद्योगिक समाज कार्य को परिभाषित करने में समर्थ होंगेः
- पश्चिमी देशों तथा भारत में उद्योगों में समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास का पता लगाने में समर्थ होंगे;
- उद्योगों के सामाजिक दायित्व को समझने में समर्थ होंगे;
- उद्योगों में समाज कार्य के अवसर को परिभाषित करने में समर्थ होंगे;
- समाज कार्य विधियाँ किस हद तक उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए प्रयोज्य तथा उपयुक्त हैं, यह विश्लेषण करने में समर्थ होंगे;

* डॉ. रंजना सहगल, आई एस एस डब्ल्यू, इंदौर

- औद्योगिक व्यवस्था में व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता के स्थान को वर्णित करने में समर्थ होंगे; और
- उद्योगों में समाज कार्य की समस्याओं तथा भावी संभावनाओं को बताने में समर्थ होंगे।

4.1 प्रस्तावना

हम औद्योगिक युग में जा रहे हैं। मशीनों से बनी वस्तुएँ हमारी अधिकांश दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं तथा इन्होंने दुनिया की भौतिक संपदा में बहुत अधिक योगदान दिया है। आज श्रमिकों के लिए अपने एक शताब्दी पूर्व के साथियों की तुलना में अधिक सुख सुविधाएँ प्राप्त करना संभव हो गया है। आज, जहाँ औद्योगिक समाज ने उसे अनेक सुविधाएँ दी हैं, वहीं उसने उनकी आर्थिक, सामाजिक तथा भावनात्मक सुरक्षा के लिए नए खतरे भी पैदा कर दिए हैं। निरंतर परिवर्तनशील आर्थिक तथा तकनीकी स्थितियों में कर्मचारियों को अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में पुनर्विचार करते रहने की ज़रूरत होती है, जिससे वे नए अनुकूलनों को अपना सके और नए संबंध विकसित कर सकें। बहुत से लोगों का अधिकांश समय कार्य करने में ही निकल जाता है। यही नहीं कार्य के साथ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाएँ, हित, डर, खुशियाँ, पारिवारिक तथा सामुदायिक समस्याएँ भी जुड़ी रहती हैं। क्योंकि कर्मचारी अपना अधिकांश समय तथा उत्पादन क्षमता अपने कार्य में ही लगा देते हैं तथा उनके पास अन्य कामों के लिए कम समय तथा ऊर्जा ही बचती है, इसलिए यह नियोक्ताओं का सिर्फ नैतिक उत्तरदायित्व ही नहीं है बल्कि यह उत्पादन तथा क्षमता की दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है कि कार्यक्षेत्र में ऐसी स्थितियाँ निर्मित की जाएँ जिनमें संतोषजनक कार्य संबंध विकसित हो सकें। समूह तथा व्यक्ति एक साथ अधिक मेलजोल के साथ तथा संबंधित व्यक्ति अधिक संतोष के साथ एक दूसरे के साथ रहने और कार्य करने में समर्थ हों।

हाल ही के वर्षों में, समाज कार्य व्यवसाय का दायरा बढ़ गया है और अनेक नए तथा रोमांचकारी कार्यक्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। हालाँकि भिन्न व्यवस्थाओं में कार्य वितरण भिन्न प्रकार के होते हैं लेकिन एक सामान्य आदर्श 'सहायता समान रूप से उन सभी को आपस में जोड़ कर रखता है। व्यवसाय तथा उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें समाज कार्य के कार्य क्षेत्र में लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। आज व्यवसायिक समुदाय अपने मानव संसाधन की संपूर्ण कार्य प्रणाली में सुधार लाने के प्रयास में गंभीरतापूर्वक ऐसी कुछ सेवाओं का परीक्षण तथा उपयोग कर रहे हैं, जो व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता अपने विशेष प्रशिक्षण की वजह से

प्रदान कर सकते हैं। उद्योगों ने समाज कार्य का बढ़ता हुआ क्षेत्र व्यवसाय तथा समाज कार्य के उद्देश्यों के आदान–प्रदान अनुपूरकता को दर्शाया है।

4.2 संकल्पना

भले ही उद्योगों में समाज कार्य लगभग अस्सी वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था, फिर भी यह अपेक्षाकृत नई संकल्पना है। हालॉकि यह अभी भी अपने विकास की प्रक्रिया में है, फिर भी किसी उद्यम की सकल संगठनात्मक संरचना के औद्योगिक समाज कार्य के समाकलन से उत्पन्न होने वाली विशेष स्थितियों के स्पष्टीकरण की दिशा में स्पष्ट रूप से प्रगति हुई है।

इस नए कार्य के लिए प्रेरणा सितम्बर 1960 में ब्रूसेल्स में व्यक्तिगत समाज कार्य पर हुई यूरोपीय सेमिनार से मिली। सेमिनार की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि 'औद्योगिक समाज कार्य' शब्द के स्थान पर 'व्यक्तिगत समाज कार्य शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि इस कार्य का क्षेत्र विस्तार उद्योगों से परे भी है। औद्योगिक समाज कार्य की विभिन्न परिभाषाएँ और व्याख्याएँ दी गई हैं। हालांकि, यह क्षेत्र अब भी स्वयं को परिभाषित करने की प्रक्रिया में ही है।

सैनी (1975) के अनुसार, औद्योगिक समाज कार्य को व्यक्तियों और समूहों को कार्य स्थितियों के प्रति बेहतर अनुकूलन के लिए सुव्यवस्थित रूप से सहायक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

औद्योगिक समाज कार्य की संकल्पना पर किसी भी परिचर्चा के लिए आपको कार्मिक समाज कार्य पर यूरोपीय सेमिनार की रिपोर्ट को देखना होगा, जिसमें निम्नलिखित परिभाषा को स्वीकृत किया गया है।

''कार्मिक समाज कार्य व्यक्तियों और समूहों का कार्य स्थितियों के लिए बेहतर अनुकूलन का सुव्यवस्थित तरीका है। किसी उद्यम में सामाजिक समस्याएँ तभी उत्पन्न होती हैं जब कोई कर्मचारी अथवा समूह तथा कार्य स्थिति एक दूसरे के अनुकूल नहीं हो पाते हैं।''

इन दिनों पश्चिमी देशों में शब्द व्यवसायिक समाज कार्य का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि समाज कार्य के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करके उसमें सभी प्रकारों तथा किस्मों के व्यवसाय सम्मिलित किए जा सकते हैं।

अत्याधुनिक व्याख्या इस प्रकार हैः

व्यवसायिक समाज कार्य को समाज कार्य के ऐसे विशेषीकृत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों के द्वारा कार्य समुदाय की मानव तथा सामाजिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं, जिनका लक्ष्य व्यक्ति तथा उनके पर्यावरण के बीच इष्टतम अनुकूलन को प्रोत्साहित करना है। इस सदंर्भ में व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता

विविध प्रकार की व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आवश्यकताओं को संगठनों के भीतर आपसी संबंधों को तथा कार्य जगत के समुदायों में संबंधों के विस्तृत मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं।" (एन ए एस डब्ल्यू 1987)

इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि हम इसे चाहे किसी भी नाम से पुकारें पर समाज कार्य जब व्यवसाय तथा उद्योग में लागू किया जाता है तो उसमें समाज कार्य के ज्ञान, कौशल तथा मूल्यों का उपयोग किया जाता है, जिससे मनुष्य तथा उसके कार्य परिवेश के बीच सौहार्द बना रहे।

डोर्टमुंड रिपोर्ट के अनुसार उद्योग जगत में समाज कार्य के तिहरे उद्देश्य/लक्ष्य होते हैं, जो इस प्रकार हैं:

क) किसी भी व्यक्ति अथवा समूह की कार्य स्थिति को अपनाने में सहायता करना .तथा कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करना, यहाँ यह बताया जाना ज़रूरी है कि इन व्यक्तियों अथवा समूहों के लिए जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं वे:

   1) कार्य परिवेश के द्वारा अथवा इसके भीतर ही हो सकती है;

   2) वे भले ही कार्य स्थिति से न उत्पन्न हो परन्तु उनका कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ख) प्रबंधन को कामगारों की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल कार्य स्थिति को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

ग) संपूर्ण कार्य "समुदाय" को बेहतर तरीके से कार्य करने में सहायता करना।

बोध प्रश्न I

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) औद्योगिक समाज कार्य की परिभाषा दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.3 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

यूरोप में वैज्ञानिक समाज कार्य ने बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ही अपनी जड़े जमा ली थीं। औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले इंग्लैण्ड में आरंभ हुई थी, उसने औद्योगिक उत्पादन की गति तथा दिशा को ही बदल दिया था। मशीनी शक्ति का बढ़ता हुआ उपयोग पूरी तरह से वरदान नहीं था। उद्योग जगत के संगठन तथा कार्य में औद्योगिक क्रांति के कारण आए मूलभूत बदलाव निसंदेह उन अनेक आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार थे जो उस समय विकसित हुई थी और जिसके परिणाम दूरगामी थे।

संवेदनशील सोच वाले सुधारकों ने जल्दी ही संपदा के तेजी से संचयन की विषमता तथा उसके परिणामस्वरूप सामान्य जन के कल्याण तथा सुख में आने वाली कमी को महसूस कर लिया। कुछ नियोक्ता औद्योगिक कार्यकर्त्ताओं की भयावह स्थिति से द्रवित होकर मानवीय संवेग से काम करते थे। हालाँकि उनकी कल्याण की संकल्पना पितृसत्तात्मक थी।

यूरोप में औद्योगिक युग की दूसरी अवस्था विश्व युद्ध (1918–1939) के बीच के काल की थी। यह कर्मचारियों के कल्याण के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण काल था। यह अवस्था उद्योग जगत में मानव कारक की बढ़ती हुई पहचान के द्वारा जानी जाती है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि उद्योग जगत में कर्मचारी अध्ययन का विषय बन गए थे।

एक बड़ी उपलब्धि शिकागो में हॉथोर्न वर्क्स (Hawthorne Works) द्वारा 1926 से शुरू किए गए परीक्षणों की श्रृंखला से प्राप्त की गई थी। इन परीक्षणों में माना गया था कि यदि कर्मचारी अपनी कार्य स्थिति' में संतुष्ट होते थे तो उनके अधिक उत्पादक होने की संभावना होती थी। इसके परिणामस्वरूप, आवास, कार्य अवकाश, प्रशिक्षुओं के लिए रोज़गार वेतन आदि से संबंधित सुविधाओं का महत्त्व लगातार बढ़ता गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों, कार्य समितियों, सामाजिक बीमा आदि के क्षेत्र में सामाजिक कानून भी जोड़ दिए गए। अतः, यूरोप में औद्योगिक सामाजिक सेवाओं की संकल्पना क्रमशः राष्ट्रीय सामाजिक नीतियों में समेकित होने लगी।

बीसवीं शताब्दी के आरंभ में कर्मचारियों के कल्याण पर जोर देने वाले राजनीतिक तंत्रों में परिवर्तन के साथ ही, सामाजिक विज्ञान के विषयों जैसे औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक समाज विज्ञान आदि के विकास ने कर्मचारियों को एक मशीनी रोबोट के स्थान पर एक मनो सामाजिक इकाई के रूप में समझने की दिशा में और अधिक पहल की।

ब्रिटेन में उद्योग जगत में समाज कार्य की संकल्पना का कोई अस्तित्व नहीं रही है। सिर्फ 1890–1913 के बीच के औद्योगिक कल्याण आंदोलन (Industrial Welfare Movement) के दौरान ही वहाँ के प्रबुद्ध नियोक्ताओं के द्वारा कुछ कल्याणकारी कार्य किए गए थे। औद्योगिक क्रांति के औद्योगिक कर्मचारियों की सामाजिक स्थिति पर होने वाले

प्रभावों के कारण ही वहाँ तत्कल कार्यवाही की गई थी। इसके परिणामस्वरूप प्रबुद्ध प्रबंधन तंत्रों ने अपने कारखानों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों की समस्याओं की देखभाल के लिए अपने स्टाफ में महिला कल्याण कर्मचारियों की नियुक्ति की। रॉनट्रेस का क्वेकर फर्म्स (Quaker Firms of Rowntress) तथा कैडबरीज (Cadbury's) इस आंदोलन में सबसे आगे थे। (यू.एन. 1961)

द्वितीय विश्व युद्ध अपने साथ उद्योगों का विस्थापन तथा उसके कारण होने वाली बेरोज़गारी की समस्याएँ लेकर आया। उस समय समाज कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता को बहुत अधिक महसूस किया गया। लेकिन सामाजिक–आर्थिक स्थिति में स्थिरता आने के साथ ही, उद्योग जगत में कार्यरत समाज कार्यकर्त्ताओं के पास कोई प्रासंगिक कार्य नहीं रह गया। जर्मनी में प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ताओं की संख्या बहुत अधिक थी लेकिन उनकी स्थिति को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जल्दी ही नकार दिया गया क्योंकि औद्योगिक समाज कार्य की पहचान गलती से राष्ट्रीय समाजवाद (National Socialism) से की जाने लगी।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सिर्फ थोड़े से ही औद्योगिक समाज कार्यकर्त्ता कार्य कर रहे थे क्योंकि उनकी सेवाओं में संघीय काट छांट होने लगी थी। 1960 तथा 1970 के दशक के शुरू होने के बाद ही समाज कार्य के व्यवसाय तथा खंडपीठों ने उद्योग जगत तथा व्यवसाय को समाज कार्य क्षेत्र के कार्यस्थल के रूप में अधिक गंभीरता से लेना आरंभ किया था।

कोलंबिया विश्वविद्यालय के समाज कार्य खंडपीठ (School of Social Work) में स्थित औद्योगिक सामाजिक कल्याण केन्द्र 1960 के दशक के आरंभ में विकसित हुआ था, जो छात्रों के लिए संघवादी व्यवस्थाओं के क्षेत्र में नियुक्ति के अवसर प्रदान करता था। 1960 के दशक के अंत में यह चलन बोस्टन कॉलेज (Boston College), बेनी स्टेट एंड हंटर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क (Wayne State and Hunter College of Social Work) तथा ऊटा विश्वविद्यालय (Utah University) द्वारा भी अपनाया गया।

कार्मिक समाज कार्य के क्षेत्र में बढ़ती हुई जटिलता को देखते हुए समाज कार्यकर्त्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Federation of Social Workers) ने उन विभिन्न क्षेत्रों में छानबीन की जिम्मेदारी ली जिनमें कार्मिक समाज कार्य का विकास हो रहा था और साथ ही उनके प्रयोग में निहित मूलभूत संकल्पनाओं का भी परीक्षण किया। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र जेनेवा के तकनीकी सहायक कार्यालय (Technical Assistance Office) के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय संघ ने व्यक्तिगत समाज कार्यकर्त्ताओं के कार्यों तथा कार्य करने के तरीकों पर दो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन समूह (International

Study Groups) बनाए। ये अध्ययन समूह सितम्बर 1967 में जूरिच (स्विट्जरलैंड) तथा मार्च 1959 में डैटमुंड (पश्चिमी जर्मनी) में मिले। इन अध्ययन समूहों की रिपोर्ट ने यूरोपीय सामाजिक कल्याण कार्यक्रम (1961) (European Social Welfare Programme) के तहत हुई कार्मिक समाज कार्य पर यूरोपीय सेमिनार द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक समाज कार्य की संकल्पना के विकास के लिए आधार बनाया। सेमिनार ने पुरानी रिपोर्ट का पुनरावलोकन किया तथा कार्मिक समाज कार्य की आवश्यकता को दोहराया तथा उसके स्थान पर विशेष जोर देते हुए कहाः ''कार्मिक समाज कार्य की संकल्पना को उद्यम की कार्मिक नीति में सुनिश्चित किया जाना चाहिए, चाहे वह कार्य उद्यम का संगठनात्मक संरचना का भाग हो अथवा किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया हो'' (संयुक्त राष्ट्र, 1961)।

औद्योगिक मनोविज्ञान तथा मनोरोग विज्ञान को संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्मिक सलाह के सभी क्षेत्रों में माना जाता था, उसमें उद्यम के सभी स्तर सम्मिलित थे, उसमें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे भी सम्मिलित थे। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य शराबियों का उपचार, अवकाश ग्रहण की तैयारी अथवा व्यक्तिगत रूप से सुपरवाइजर कर्मचारियों के संबंध तथा कर्मचारियों की समस्याओं को विशेष सेवाएँ प्रदान करना जो मुख्यतः राज्य तथा स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य संगठनों के द्वारा संचालित होती थी। समाज कार्यकर्त्ता ऐसे सलाहकारों को भी प्रशिक्षित करते थे जो संगठन के सदस्यों को सलाह के जरिए उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते थे। समाज कार्य प्रबंधन, श्रमिक तथा सामुदायिक संसाधनों जैसे सामुदायिक परिषदों (Community Councils), बोर्डों (Boards) तथा राष्ट्रीय कोष उगाही के कार्यों के बीच संपर्क बनाए रखते थे (देसाई एवं डोल, 1979)।

समाज कार्य पर शिक्षा परिषद् (Council on Social Work Education, CSWE) ने मई 1976 में समाज कार्य करने वाले व्यक्तियों, शिक्षाविदों, संगठित श्रमिकों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की एक बैठक को प्रायोजित किया जिसमें उद्योग जगत में समाज कार्य के क्षेत्र में भावी विकास के लिए पाठ्यचर्या (Curriculum) पर चर्चा की गई। 7 जून, 1978 को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के 100 औद्योगिक समाज कार्यकर्त्ताओं ने न्यूयार्क शहर में मुलाकात की तथा औद्योगिक समाज प्रक्रिया की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त की और इस नतीजे पर पहुँचे थे कि उद्योग में समाज कार्य का भविष्य तथा अन्य सहायक व्यवसायों की स्वास्थ्य बनाम बीमारी की प्रचलित सोच के विपरीत किसी ''सामाजिक कार्यविधि'' के परिदृश्य में दिए गए व्यवसाय की वचनबद्धता श्रमिक तथा औद्योगिक व्यवस्था के लिए एकदम उपयुक्त थी।

औद्योगिक व्यवस्थाओं में समाज कार्य पर शिक्षा परिषद (सी.एस.डब्ल्यू.ई.) तथा एन.ए. एस. डब्ल्यू. की संयुक्त परियोजना (मार्च 1977– अक्टूबर 1979) व्यवसाय के द्वारा एक वचनबद्धता थी, जिससे औद्योगिक समाज कार्य शिक्षा तथा कार्य के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। यह औद्योगिक समाज कार्य के विकास में एक प्रमाणक (hallmark) था। पश्चिमी देशों में उद्योगों में समाज कार्य का चलन तभी से निरंतर बढ़ता गया।

भारत में विकास

उद्योग जगत में समाज कार्य के क्षेत्र में हुए विकास का परीक्षण करना आसान काम नहीं है खासतौर पर भारत में क्योंकि विकास असमान प्रकार का है तथा स्वयं इस क्षेत्र की प्रकृति भी परिवर्तनीय है। फिर भी कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण घटनाओं तथा प्रमुख रीतियों का यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है, जो वर्तमान तथा भविष्य को प्रभावित करती हैं।

औद्योगिक संवृद्धि

अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे प्रथम विश्वयुद्ध और उसके बाद के उत्थान तथा 1929 तक की वृद्धि, और फिर 1930–34 की भयानक मंदी, 1935–39 का उत्थान तथा द्वितीय विश्व युद्ध, इन सभी का पूरा प्रभाव भारतीय उद्योगों पर पड़ा और 1914–1939 के काल में देश ने सभी उतार चढ़ावों को झेला था। द रॉयल कमीशन ऑन लेबर (The Royal Commission on Labour) जिसने 1931 में अपनी रिपोर्ट पेश की, उसने भारत में औद्योगिक विकास के तरीकों तथा समस्याओं की विचारशील तस्वीर पेश की थी। दो विश्वयुद्धों ने भारत को औद्योगिक विकास की गति में तेजी लाने में बहुत सहायता की थी, जिसमें भारत सरकार की राजस्व संबंधी तथा औद्योगिक नीतियों से भी काफी बल मिला था। पिछले पाँच दशकों पर नज़र डाले तो औद्योगिक विकास का क्षेत्र तो हकीकत में भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही 1950 के दशक के आरंभ में योजना युग के आरंभ होने के बाद ही शुरु हुआ था। भारत में औद्योगिक वृद्धि के साथ ही उद्योगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उद्योग जगत् में कार्मिक कार्य का भी विकास साथ ही साथ हुआ था।

कार्मिक कार्य की संवृद्धि

भारत में औद्योगिक समाज कार्य की संकल्पना कार्मिक प्रबंधन के वर्षों से विकसित हो रहे क्षेत्र की सह उत्पाद रही है। हालाँकि ये प्रथम विश्व युद्ध के काल की विशेष परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण पश्चिमी देशों में कार्मिक कार्य का विकास हुआ, भारत में पहले कार्मिक कार्यकर्त्ता की जो श्रम अधिकारी (labour officer) कहलाते थे, बड़ी संख्या में नियुक्ति करने में एक और दशक का समय लग गया था।

पहले अधिकारिक प्रशासकों ने औद्योगिक प्रबंधन काडर के अधिकारियों के रूप में 1931 में रॉयल कमीशन आन लेबर (Royal Commission on Labour 19) के कार्यालय में जे. एच. बाइटली की अध्यक्षता में कार्यभार संभाला था। इस कमीशन को ब्रिटिश राज में भारत में औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की स्थिति तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य, क्षमता तथा रहन–सहन के स्तर के बारे में पता चला कि खासतौर पर भर्ती के क्षेत्र में, बेईमानी का बोलबाला था। कमीशन की संस्तुति पर श्रम अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जो भर्ती के कार्य को स्वयं करके बेईमानी को रोकने के विशेष कार्य को करता था।

हालाँकि, श्रमिकों का शोषण जारी था। नियोक्ताओं द्वारा वैधानिक कल्याण के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता था। इस स्थिति में राज्य ने हस्तक्षेप करना आवश्यक समझा और एक अधिकारी की नियुक्ति को वैधानिक बना दिया जिसका एकमात्र कार्य श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण की देखभाल करना था। अतः 1948 में फैक्टीरज अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948) के धारा (सेक्शन) 49 में वैधानिक रूप से वैलफेयर अफसर का जन्म हुआ। इस वैलफेयर अधिकारी का नामकरण भ्रामक था, पर हकीकत में यह कार्मिक कार्यकर्त्ता था। इसके प्रशासन के विस्तार में सिर्फ कल्याण कार्य ही नहीं बल्कि कार्मिक प्रशासन तथा औद्योगिक संबंधों के कार्य भी सम्मिलित थे।

कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र का विस्तार सरकार द्वारा दी गई वैधानिक सहायता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। हकीकत में, ये उस समय एकमात्र वैधानिक अधिकारी था और शायद भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसने उन्नीसवीं शताब्दी में समाज सुधार समाज सेवा तथा सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि में इस वैधानिक पद का सृजन किया था। पश्चिमी देशों में, 'कार्मिक कार्य' (Personnel Function) का नामकरण 1950 के दशक में उभरा था तथा भारत में हमने इसे 1960 के दशक में स्वीकार किया था।

भारत में आधुनिक उद्योग आकार तथा संगठन दोनों में ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बेतहाशा बढ़े हैं। इसलिए इनका प्रमुख सरोकार अपने कार्मिकों की दक्षता को सुधारना है। चूंकि किसी उद्यम की कुशलता अन्य बातों के अलावा वहाँ की औद्योगिक शांति, उसके भौतिक वातावरण तथा संतोषजनक परिवेश पर निर्भर करती है, इसलिए ये स्वाभाविक ही हैं कि श्रमिक तथा कल्याणकारी अधिकारियों (Welfare Officers) से कार्मिक कार्यों को करने के लिए कहा जाता था और उनसे क्रियात्मक रूप से तथा पदानुसार भी कार्मिक अधिकारी (Personnel Officer) के रूप में काम करने को कहा जाता था।

कार्मिक अधिकारी को काफी हद तक भारतीय उद्योग में आधुनिक प्रबंधन टीम के सदस्य के रूप में माना जाने लगा है। लेकिन उसके कार्य ''श्रम अधिकारी तथा कल्याणकारी अधिकारी की कानूनी पेचीदगियों में बंट कर रह गए हैं।''

कल के श्रम अधिकारी ही अब कार्मिक अधिकारी के रूप में विकसित हो गए हैं। यह विकास वास्तव में 1930 के दशक की पितृसत्तात्मक कल्याणकारी सोच से आरंभ हुआ था। फिर इसका महत्त्व 1940–1950 के दशक में औद्योगिक संबंधों तथा श्रमिक प्रबंधन के क्षेत्र में चला गया। अंततः 1960 के दशक में यह व्यापक कार्य के रूप में विकसित हो गया यानि वह कार्य जो किसी संगठन में प्रबंधन कार्य में समाकलित हो गया। तथा 1980 के दशक में यह मानव संसाधन विकास (Human Resource Development—HRD – एच.आर.डी.) के कार्य के रूप में विकसित हुआ जिसके लक्ष्यार्थ और भी विस्तृत थे। इसके परिणामस्वरूप मान संसाधनों की पहचान संगठन की बड़ी विशेषताओं में की जाने लगी। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि श्रमिक की संकल्पना का स्वयं ही विकास हुआ हैं, जिसे आरंभ में श्रमिक' तथा बाद में 'कर्मचारी' के रूप में माना गया।

शब्द 'कार्मिक' का उपयोग 1960 तथा 1970 के दशकों में संगठन के कार्यबल को दर्शाने के लिए किया जाता था। आज ये संयुक्त रूप से संगठन के 'मानव संसाधन' कहे जाते हैं।

औद्योगिक समाज कार्यः एक उभरता हुआ चलन

1960 के दशक में औद्योगिक समाज कार्य एक स्पष्ट लेकिन श्रमिक कल्याण तथा कार्मिक प्रबंधन के भाग के रूप में उभरा था। यह नई दिशा ब्रूसेल्स में 1960 में 'कार्मिक समाज कार्य पर हुई एक यूरोपीय सेमिनार में बताई गई संकल्पना द्वारा प्रभावित था। यही वह समय था जब उद्योग में कार्मिक अधिकारी तथा समाज कार्यकर्त्ता के कार्यों के बीच में स्पष्ट अन्तर दिखाई पड़े थे तथा उद्योग जगत में समाज कार्य वैधानिक कल्याण की संकल्पना से विभेदित होना शुरू हुआ था।

औद्योगिक समाज कार्य एक नई घटना है तथा इसमें उद्योग कार्यस्थल, कर्मचारी के परिवार तथा समुदाय में विशेषीकृत सेवाओं के लिए बहुत अवसर हैं। हालाँकि, ये माना जाना चाहिए कि श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में आने वाले कार्य से ही भारत में औद्योगिक समाज कार्य की आधुनिक संकल्पना की उत्पत्ति हुई है।

औद्योगिक समाज कार्य को कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में आने वाले विशेष विषय के रूप में माना जा सकता है। इसका अर्थ है कि कार्मिक कर्मी अपने कार्य का कुछ भाग उस समाज कार्यकर्त्ता को दे देता है, जो किसी उद्यम में व्यक्तियों तथा समूहों के कल्याण की देखभाल करता है। काफी पहले से ही समाज कार्य की गतिविधियाँ ऐसे प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा की

जाने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, जो अपने कर्मचारियों की कार्मिक समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ता की सेवाएँ लेने की ज़रूरत महसूस करते रहे हैं, यहाँ तक कि वे उनके कार्य जीवन में गंभीर रूप से हस्तक्षेप करते हैं और उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।

हालाँकि औद्योगिक समाज कार्यकर्त्ताओं के दखल को भारतीय उद्योगों में अभी उतनी मान्यता नहीं मिली है, यह अभी भी भारत के महानगरों तक ही सीमित है जहाँ कम संख्या में ही सही परन्तु पूर्णकालिक समाज कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति की जाती है। जब तक कि उद्योग पूर्णकालिक समाज कार्यकर्त्ताओं को पूरी तरह से नहीं अपनाते हैं तब तक कार्य संभवतः कार्मिक/कल्याणकारी अधिकारी द्वारा ही कराए जाते रहेंगे।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) भारत में औद्योगिक समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना कौन सी थी?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.4 उद्योग जगत का सामाजिक उत्तरदायित्व

'हमारी कोई भी संस्था न तो अपने आप अस्तित्व में आती है और न ही अपने आप उसका अंत होता है।' प्रत्येक संस्थान समाज का अंग होती है। व्यवसाय भी इसका अपवाद नहीं है। व्यवसाय की भूमिका पारंपरिक रूप से वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में आर्थिक प्रदर्शन पर ही केन्द्रित रही है परन्तु यह भूमिका क्रमशः सामाजिक दिशा के रूप में अधिक विकसित हो रही है। 1950 के दशक के आरंभ में जन मानस का सामाजिक सरोकार की दिशा में तेजी से रूझान विकसित हुआ था और वह व्यापक सामाजिक चेतना, सरोकार तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में परिलक्षित होती थी।

सामाजिक जिम्मेदारी का विचार दर्शाता है कि उद्योग जगत में निर्णय लेने वाले लोग ऐसे कदम उठाने के लिए बाध्य होते हैं, जो अपने हितों के साथ–साथ संपूर्ण रूप से समाज के

कल्याण की सुरक्षा तथा सुधार करते हैं। इसका कुल प्रभाव जितना अधिक संभव हो सके उतना अधिक जीवन स्तर को ऊँचा उठाना होता है। समाज व्यवसाय से ये उम्मीद करता है कि वह उन सामाजिक प्रभावों के लिए अधिक सरोकार दिखाए जो प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय के आर्थिक कार्यों के प्रदर्शन से उपजते हैं और वह व्यवसाय से अनेक सामान्य सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने की भी उम्मीद करता है, जो सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय की गतिविधियों से संबद्ध होती हैं। सामाजिक जिम्मेदारी का सरोकार जनता के हित से होता है। सामाजिक जिम्मेदारी का संबंध किसी व्यक्ति के कार्यों के परिणामों से सरोकार रखता है क्योंकि वे दूसरों के हितों को भी प्रभावित कर सकता है।

ऐसे अनेक तरीके हैं, जिनके द्वारा व्यवसाय तथा उद्योग उन सामाजिक भागों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जो उनसे की जाती हैं। एक तरीका परावर्तन – अपने कदम वापिस लेना है, जिसके द्वारा व्यवसाय वापिस अपने क्षेत्र में सीमित हो जाता है तथा समाज से उनका वास्ता कम हो जाता है और वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखने की कोशिश करता है, वह अपनी सामाजिक कीमत समाज पर ही थोप देता है तथा सामान्यतः समस्या को समाज द्वारा सुलझाए जाने के लिए छोड़ देता है। व्यवसाय जनसंपर्क तरीके का भी उपयोग कर सकता है। वह जनता को प्रेस तथा जन भाषणों के जरिए सामाजिक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के बारे में बढ़ा–चढ़ाकर कहानियाँ पेश करता है, जबकि वह अपने तरीकों में कोई बदलाव नहीं करता है।

दूसरा विकल्प कानूनी तरीका है। व्यवसाय स्वयं की परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए कानून पर निर्भर करता है क्योंकि वह जानता है कि बड़े सामाजिक तंत्र में नियम बहुत धीमी गति से संशोधित होते हैं। जबकि व्यवसाय कानून द्वारा आवश्यक न्यूनतम कार्य को करते हैं।

एक अन्य तरीका, मोलभाव करना है जिसके द्वारा व्यवसाय उन दबाव में आए समूहों के साथ सौदेबाजी करता है जो उसपर दावेदारी करते हैं। इस तरीके से वह विवादों को आपसी समझौते द्वारा हल करने का प्रयास करता है, जिससे अक्सर परिवर्तन होता है।

समस्या को सुलझाना एक अन्य तरीका है, जिसमें व्यवसाय समाज तथा व्यवसायिक मूल्यों तथा ज़रूरतों का प्रमाणिक अध्ययन करता है और फिर वह उनका रचनात्मक तरीकों से समाधान करता है। समस्या को सुलझाने की भूमिका व्यवसाय के लिए आदर्श है। व्यवसाय को एक कुशल समस्या सुलझाने वाले के रूप में माना जाता है, लोग उससे इस क्षेत्र में नेतृत्व के लिए उम्मीद करते हैं। समस्या सुलझाने से व्यवसाय को एक प्रमुख सामाजिक संस्था के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। यदि यह अपनी

काबलियत से सामाजिक समाधानों में योगदान दे सके, तो इसकी साख तथा इसकी भूमिका की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। (डेविस तथा ब्लॉमस्ट्रोम, 1975)

अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए कार्य निष्पादन कुशलता से करने के लिए तथा सयंत्र के मामलों को क्रमबद्ध तरीके के लिए अधिकांश कपंनियाँ तीन दिशाओं में कार्य करती हैं। सबसे पहले वे सामाजिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के जन कार्यक्रमों में भागीदारी तथा योगदान करते हैं। दूसरे, वे राज्य तथा स्थानीय प्राधिकरणों तथा अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करते हैं, जिनकी सेवाओं का कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। तीसरे, वे अपने संयंत्र में कार्मिक विभागों को संगठित करते हैं, जो रोज़गार सेवा, औद्योगिक संबंध, वेतन का प्रबंधन, वैधानिक दायित्वों का पालन, कल्याण प्रबंधन तथा समाज कार्य करते हैं।

ये सभी सेवाएँ उद्योग में कार्मिक सेवाओं को बनाती हैं। ये प्रबंधन का काम होता है कि वह यह देखे कि व्यवसाय की विभिन्न सामाजिक जिम्मेदारियाँ पूरी हो रही हैं।

बोध प्रश्न III

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) उद्योग जगत के सामाजिक उत्तरदायित्व से आपका क्या अभिप्राय है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.5 उद्योग में समाज कार्य के क्षेत्र/अवसर

यदि हम ये मानते हैं कि व्यवसाय तथा उद्योग सिर्फ मुनाफा बनाने वाली संस्थाएँ ही नहीं है बल्कि उनके सामाजिक दायित्व भी होते हैं तो समाज कार्य के लिए उद्योग में भरपूर अवसर होते हैं, क्योंकि यह ही उसके सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। आज सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन तथा बिक्री तथा सेवाएँ ही प्रबंधन का सरोकार नहीं होती हैं, बल्कि संगठन के भीतर का सामाजिक परिवेश, कार्य संरचना तथा कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य से भी उनका उतना ही सरोकार होता है।

किसी संगठन में सामाजिक परिवेश तथा मानव संबंधों के स्तर को सुधारने में समाज कार्य बहुत सहायक हो सकता है। मानव संबंध सामान्य रूप से यह बताते हैं कि उत्पादकता को कर्मचारी के सम्मान तथा संतुष्टि को बनाए रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है न कि इन मूल्यों की कीमत पर। समाज कार्य में, मानव सम्मान को हमेशा ऊपर रखा जाता है तथा मानव द्वारा उसके सामाजिक परिदेश को अपनाने तथा उसमें समायोजित होने में उसकी मदद की जाती है।

उद्योग में समाज कार्य करने के लिए बहुत अवसर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना बड़ा संगठन होगा वहाँ उतनी ही जटिल मानवों द्वारा निर्मित की गई समस्याएँ होंगी। छोटे संगठनों में कर्मचारियों की प्रबंधक तक सीधी पहुँच होती है, और इसलिए उनकी अनेक समस्याओं का जल्दी ही समाधान हो जाता है। बड़े संगठनों में कर्मचारियों के लिए ऐसी सुविधा नहीं होती है क्योंकि सभी कार्य एक नियत तरीके से होते हैं और इसलिए कर्मचारियों की पहुँच सिर्फ सुपरवाइजरों तथा कनिष्ठ प्रबंधकों तक ही होती है, जो निर्णय नहीं ले सकते हैं। कर्मचारियों तथा प्रबंधन के बीच संबंध अधिक औपचारिक होते हैं तथा प्रबंधन की कर्मचारियों के लिए उपलब्धता कम हो जाती है। संगठनों में कर्मचारियों के प्रति पितृ सदृश व्यवहार तथा अधिकार की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। समाज कार्यकर्त्ता कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने में तथा उत्पादक कर्मचारियों की तरह काम करते रहने में उनकी सहायता कर सकता है। एम.एम. देसाई के अनुसार, व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ता अपने कार्यक्रमों को निम्नलिखित स्तरों पर विकसित कर सकता हैः

- रोधात्मक तथा विकासात्मक
- उपचारात्मक

रोधात्मक तथा विकासात्मक

1) अनौपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर्मचारियों को कार्य जीवन मुद्दों से संबंधित जैसे ओद्योगिक सुरक्षा, क्रियात्मक साक्षरता, बचत की नीतियों, सामाजिक सुरक्षा आदि के बारे में जानकारी देना।

2) कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय कार्यक्रमों के उपयोग को बढ़ावा देना (स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार नियोजन पोषण, निम्न कीमत के आहार, बच्चों की देखभाल आदि पर शिक्षाप्रद कार्यक्रम)

3) व्यक्तिगत तथा पर्यावरणीय स्वच्छता आदि।

4) पुस्तकालय सेवा, प्रमुख खेलों की प्रतिस्पर्धाएँ, विभिन्न कौशलों की प्रतिस्पर्धाएँ, प्रदर्शनियों, फिल्म शो आदि जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों को विकसित करना, सांस्कृतिक उत्पादों को मनाना, पूरक आय कार्यक्रमों की शौक/हॉबी कक्षाएँ, व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रमों आदि को विकसित करना।

उपचारात्मक

उपचारात्मक कार्यक्रम व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद करते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं तथा उद्योग एवं समुदाय द्वारा दिए गए संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सके। व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को शराबखोरी, कर्ज तथा अनुपस्थिति आदि जैसी समस्याओं के लिए सलाह दी जा सकती है। सलाह सेवाओं के साथ–साथ निम्न तरीकों से उनकी ठोस सहायता भी की जा सकती है।

1) उद्योग के भीतर अथवा बाहर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित कर;
2) परिवार के बजट की योजना बनाकर;
3) कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को फंड आदि प्राप्त करने में सहायता करके;
4) कर्मचारियों के आश्रितों को जरूरत पड़ने पर रोज़गार तलाश करके; और
5) कर्मचारी/उसके आश्रितों को समुदाय में मौजूद कल्याण एजेंसियों जैसे बाल मार्गदर्शन क्लीनिक, विवाह सलाहाकार ब्यूरो, शराबखोरी छुड़ाने वाले समूहों आदि में भेज कर।

अतः समाज कार्य कौशल का समस्याओं को रोकने में, तथा कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने में सक्रिय रूप से उपयोग किया जा सकता है। जल्दी पहचान तथा तथा तत्काल उपचार से अनेक कर्मचारियों को गंभीर समस्याओं से बचाया जा सकता है।

औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य हस्तक्षेप सूक्ष्म तथा वृहत् स्तर पर हो सकता है। सूक्ष्म स्तर पर समाज कार्यकर्त्ता कर्मचारी तथा उसके परिवार, नियोक्ता तथा यूनियन के सदस्यों को उपचार प्रदान कर सकता है। सहायता कार्य से संबंधित समस्याओं, अपनी तथा अपने आसपास जैसे कार्य प्रदर्शन, कार्य संतुष्टि, अनुपस्थिति, विवाद की स्थिति आदि के संदर्भ में दी जा सकती है। अन्य समस्याओं जैसे बैचेनी, अवसाद, डर, मानसिक असंतुलन, गाली गलौज, वैवाहिक तथा पारिवारिक विवाद आदि को भी सुलझाया जा सकता है।

वृहत् स्तर पर यह संगठनात्मक हस्तक्षेप हो सकता है। जहाँ समाज कार्यकर्त्ता मानव व्यवहार को समझने के संदर्भ में सभी स्तरों पर सुपरवाइजरों तथा प्रबंधकों को व्यक्तिगत तथा

सामूहिक सलाह दे सकते हैं। हस्तक्षेप नई रोज़गार रचना प्रस्तावित करने के रूप में हो सकता है। रोधात्मक, विकासात्मक तथा उपचारात्मक स्तरों पर सेवाओं के संगठन तथा योजना के लिए संगठन के मौलिक अध्ययन की आवश्यकता होती है। पूर्वनिर्धारित रूपरेखा की बजाय मुक्त तथा संवेदनशील सोच के द्वारा कुशल समाज कार्यकर्त्ता सकारात्मक रूप से समाज कार्य के उद्देश्यों को प्रबंधन के उद्देश्यों के साथ समाकलित कर सकता है। हालाँकि, व्यवसाय तथा उद्योग में समाज कार्य के अवसर वास्तविक अर्थों में निम्न बातों पर निर्भर करते है:

1) प्रबंधन की अभिवृत्ति;

2) व्यवसाय की जरूरतों तथा किस हद तक इन जरूरतों को समाज कार्य द्वारा बताया जा सकता है, के बीच भलाई के स्तर;

3) प्रदान की गई सेवाओं की लागत प्रभाविता (cost effectiveness)।

बोध प्रश्न IV

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) उद्योग जगत में समाज कार्य के अवसर किस पर निर्भर करते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.6 समाज कार्य विधियों की उपयुक्तता

समाज कार्य विधियों की प्रासंगिकता तथा उपयुक्तता को इन विधियों के व्यवसायिक संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में इनके योगदान के आधार पर परखा जा सकता है। इस मुद्दे पर विभिन्न विचार, व्यक्त किए जाते रहे हैं, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इन विधियों का व्यवसाय तथा उद्योग के लिए मुनाफे की व्यवस्था करने में कम ही योगदान होता है। उनके अनुसार, "उद्योग में हम आवश्यक रूप से व्यवसायिक गतिविधियों, आर्थिक प्रस्तावों, कठिन लेखा कार्यों तथा जटिल मशीनों का कार्य करते हैं, तो यहाँ समाज कार्य का क्या काम है?"

इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि आज समाज कार्य समाज के सभी स्तरों पर विस्तारित हो गया है। यह एक विज्ञान है, जिसमें ज्ञान का तत्त्व है तथा एक कला है, जिसमें विशेष तकनीकें तथा कार्य कौशल हैं, जो किसी भी स्तर पर किसी भी समस्या की स्थिति के लिए प्रासंगिक हैं। यह एक अधिकार देने वाली प्रक्रिया है और कोई भी क्षेत्र जहाँ यह अपनी भूमिका निभा सकता है, वह इसके लिए प्रासंगिक है। कर्मचारी वर्ग को इसके सीमा क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता है।

उद्योग जगत् में इसके व्यवहार के लिए सीमाएँ हो सकती हैं लेकिन ऐसी ही सीमाएँ भारत की कुछ प्राथमिक व्यवस्थाओं में इन तरीकों के व्यवहार में भी पाई जाती हैं। समाज कार्य की तीन प्राथमिक विधियाँ जैसे समाज केस वर्क/कार्य, समाज समूह कार्य तथा सामुदायिक संगठन को व्यवसाय तथा उद्योग में प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सकता है। समाज कार्यकर्त्ता उद्योग में व्यक्तिगत समस्याओं के आर्थिक कारणों के अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों का भी अध्ययन करते हैं। उनकी भूमिका व्यवसाय तथा कार्य स्थितियों में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने की भी हो सकती है।

आइए, हम उद्योग जगत् में कुछ समाज कार्य विधियों द्वारा किए जा सकने वाले कुछ विशेष योगदानों पर नज़र डालते हैं।

समाज केस कार्य

समाज केस कार्य को व्यक्तिगत समस्याओं जैसे शराबखोरी, अवसाद, नशीली दवाओं के सेवन, बैचेनी, वैवाहिक तथा पारिवारिक कठिनाइयों आदि की स्थितियों में प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिष्ठापन (induction), शिकायत/कष्ट की स्थितियों, तबादले के मामलों, अवकाश की ज़रूरत होने पर अनुपस्थिति की स्थिति में, नौकरी छूट जाने की स्थिति में, सेवा निवृत्ति आदि में इसका काफी उपयोग किया जा सकता है। दुर्घटना के मामलों में तथा अनुशासनहीनता के मामलों में भी यह काफी उपयोगी है।

समाज कार्य की प्राथमिक विधि को प्रभावी रूप से दो स्तरों पर लागू किया जा सकता है:

1) किसी मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारक के कारण पारिवारिक जीवन में सामंजस्य के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ तथा समस्याएँ।
2) परिवेश, व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं, संगठन की संरचना तथा कार्यक्रमों आदि के कारण तथा कार्य जीवन में सामंजस्य के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ।

सामाजिक समूह कार्य

समूह की परस्पर क्रियाओं (interaction) को कर्मचारियों द्वारा स्वयं को समझने तथा अपने आसपास के लोगों से अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक प्रभावी तरीके के रूप में प्रयोग

किया जा सकता है। समूह कार्य तकनीकों को कुछ सामूहिक स्थितियों में समूह द्वारा अपनी दक्षता तथा उद्देश्यों को सामूहिक कार्य प्रक्रिया के सौहार्द्रपूर्ण विकास के द्वारा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी मुद्दे पर सलाह की स्थितियों जैसे श्रमिक प्रबंधन परिषद्, विभिन्न समितियों, बैठकों, सामूहिक मोलभाव के संदर्भों, कार्यस्थल के भीतर तथा बाहर कुछ कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करवाने, समूह के मनोबल को बनाने आदि मुद्दों पर सलाह की स्थितियों आदि में किया जा सकता है तथा इसका उपयोग शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा कार्य संबंधित तनावों, पारिवारिक तथा वैवाहिक तनावों, नशे की लत आदि क्षेत्रों में जोखिम वाले कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं में किया जा सकता है।

सामुदायिक संगठन

यहाँ समाज कार्यकर्त्ता व्यवसाय जगत को उस पूरे समुदाय को समझने में तथा उसके संसाधनों का उपयोग करने में सहायक हो सकता है, जिसमें वे रहते हैं, जिससे एक तरफ तो समुदाय का और दूसरी तरफ संगठन का भी भला हो सके।

कर्मचारियों के समुदाय में शैक्षणिक सुविधाओं, समुचित मनोरंजन, चिकित्सीय सुविधाओं आदि की कमी की समस्याओं को समाज कार्यकर्त्ता द्वारा देखा जा सकता है। सामुदायिक चेतना तथा विकास पर प्रबंधन द्वारा महत्त्व दिया जाता है जहाँ व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता के कौशलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है।

सामाजिक कार्यवाही

समाज कार्यवाही विधि तभी उपयोगी हो सकती है जब समाज कार्यकर्त्ता यूनियनों को सेवाएँ प्रदान करता है। यूनियनें आजकल समाज कार्यकर्त्ताओं के ज्ञान तथा विशिष्ट कौशलों का उपयोग अपनी मांगों को रखने, शांतिपूर्वक हड़तालों के समझौते कराने, श्रम कानूनों को लागू करने आदि के लिए कर सकती हैं।

अनुसंधान

सामाजिक अनुसंधान का उपयोग औद्योगिक व्यवस्थाओं में किया जाता है। इनका उद्देश्य उद्योग के विभिन्न मुद्दों तथा समस्याओं से संबंधित तथ्यों को एकत्रित तथा सुनिश्चित करना है। यह व्यवसाय को प्रबंधन–कर्मचारी संबंध की वास्तविकताओं को समझने में सहायक होगा। कई बार प्रबंधन कर्मचारियों की अक्षमता के बदले में टुकड़ों में उपाय करते हैं और उसमें असफल हो सकते हैं। परन्तु समाज कार्य की समाकलित सोच से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन कारकों को ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए जिन्होंने समस्या को उत्पन्न किया हो तथा उसे बढ़ाया हो और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने

के बाद उसका युक्तिसंगत समाधान किया जाना चाहिए। व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता अपने अनुसंधान के कौशलों का उपयोग करके अनेक समस्याओं को सुलझाने में प्रबंधन की सहायता कर सकता है।

सिर्फ एक विधि ही नहीं बल्कि उपर्युक्त सभी विधियों के युग्मन से ही व्यवसाय तथा उद्योग को सही अर्थ में मदद मिलती है क्योंकि समस्या किसी एक कारक के कारण नहीं होती है। उसे उसकी संपूर्णता के साथ समझा जाना चाहिए। ऐसी स्थितियों में समाज कार्यकर्त्ता की पूर्णतावादी सोच की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में केस कार्य की सहायता अधिक प्रभावी हो सकती है, लेकिन कुछ मसले यदि समूह अथवा समुदाय स्तर पर सुलझाए जाएं तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। एक प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ता समाकलित सोच मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों के अपने ज्ञान तथा विभिन्न समाज कार्य के कौशलों तथा तकनीकों का उपयोग करके मानव समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझा सकता है। उसे प्रत्येक कर्मचारी को उसकी संपूर्णता के साथ दुकान में, घर में तथा समुदाय में देखना चाहिए।

बोध प्रश्न v

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) क्या समाज कार्य विधियों को किसी उद्योग व्यवस्था में प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है? किन स्तरों पर सामाजिक केस कार्य की विधि को अपनाया जा सकता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.7 उद्योग में समाज कार्य का स्थान

नीदरलैण्ड की सरकार द्वारा आयोजित अध्ययन समूह के अनुसार किसी उद्यम में प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ता की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है:

1) मानव समस्याओं को समझने में उनका विशेष प्रशिक्षण, मानव व्यक्तित्व को एक पूर्ण इकाई मानने की उनकी समझ;

2) कार्य की स्थितियों का उनका ज्ञान;

3) कर्मचारियों के जीवन का उनका ज्ञान;

4) समुदाय के संसाधनों का उनका ज्ञान;

5) उनकी व्यवसायिक गोपनीयता; और

6) सहयोग की उनकी क्षमता

भारत में समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका पारम्परिक रूप से कार्मिक/कल्याण कर्मचारियों द्वारा निभाई जाती है। वास्तव में, भारत में समाज कार्य के व्यवसाय की प्रसिद्धि तथा वृद्धि काफी हद तक कार्मिक तथा कल्याण कार्य के लिए समाज कार्य प्रशिक्षण को एक आवश्यक तैयारी के रूप में मान्यता के कारण है। अन्य देशों के साथ तुलना से पता चलता है कि कार्मिक क्षेत्र में समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका का महत्त्व अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कही अधिक है। हमारे देश में अनेक प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ता है, जो उद्योग जगत् में मुख्य रूप से कार्मिक तथा श्रम कल्याण विभागों में काम कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में, औद्योगिक समाज कार्यकर्त्ता अलग तरीके से काम करते हैं, वहाँ उद्योगों में पूर्णकालिक समाज कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति की जाती है और उनपर औद्योगिक संबंधों तथा कार्मिक प्रशासन का अतिरिक्त कार्यभार नहीं सौंपा जाता है जैसा कि भारत में होता है।

भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ यह वैधानिक आवश्यकता है कि कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों में श्रम कल्याण के लिए प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति आवश्यक है। उद्योगों में कल्याणकारी अधिकारी के पद सरकार द्वारा फैक्ट्रीज अधिनियम 1947 के तहत सृजित किए गए थे। इन कर्मचारियों को वैयक्तिक प्रबंधनों द्वारा वेतन दिया जाता है परन्तु इनकी शिक्षा, भर्ती का तरीका, कार्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। लगभग सभी राज्यों की आवश्यकता होती है कि कल्याणकारी अधिकारी किसी राज्य सरकार द्वारा उनके प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। इनमें से अधिकांश संस्थाएँ समाज कार्य की खंडपीठे हैं। श्रम कल्याण तथा कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र को समाज कार्य की खंडपीठों की पाठ्यचर्या में एक विशेष विषय के रूप में स्थान प्राप्त है और बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस विषय को लेते हैं। प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न फैक्ट्रियों/कारखानों में भेजा जाता है जहाँ उनसे श्रम/कार्मिक विभाग की कार्यशैली तथा कार्यों को सीखने की उम्मीद की जाती है। उनसे अपने समाज कार्य के ज्ञान तथा कौशल को श्रमिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयोग करने की भी उम्मीद की जाती है।

आज अनेक संस्थान हैं, जो श्रम कल्याण तथा कार्मिक प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा देते हैं फिर भी हम देखते हैं कि जिनमें समाज कार्य प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें अन्य से अधिक प्राथमिकता दी जाती है, जिससे पता चलता है कि नियोक्ताओं द्वारा समाज कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त होने को अधिक मान्यता मिलती है।

अभी भी औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्यकर्त्ता के लिए स्पष्ट और सुपरिभाषित भूमिका नहीं है। आज के परिदृश्य में एक भ्रामक तस्वीर उभरती है जहाँ समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका उद्योग के आकार तथा उद्यम के मालिकों द्वारा समाज कार्यकर्त्ता के योगदान की समझ के अनुसार बदलती रहती है। अधिकांश उपक्रमों में समाज कार्यकर्त्ता कार्मिक प्रबंधक अथवा अधिकारी को दिए गए कार्यों जैसे भर्ती, चयन, मज़दूरी तथा वेतन प्रबंधन आदि कार्यों को करते दिखाई देते हैं। यहाँ समाज कार्यकर्त्ता कार्मिक कर्मी अधिक बन जाते हैं। छोटे उपक्रमों में ये सभी कार्य एक ही व्यक्ति करता है जहाँ वह आंशिक रूप से कार्मिक कर्मी, आंशिक रूप से समाज कार्यकर्त्ता, आंशिक रूप से मज़दूरों का हिसाब किताब करने वाला तथा कभी–कभी जनसंपर्क अधिकारी होता है, जो विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों को निपटाने की कोशिश करता है।

वर्तमान में सिर्फ मुट्ठी भर संस्थान ही ऐसे हैं जहाँ समाज कार्यकर्त्ता सिर्फ समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका निभाते हैं और उनकी नियुक्ति औद्योगिक समाज कार्यकर्त्ताओं के रूप में होती है। यहाँ उनका पद चाहे कुछ भी हो पर उनकी भूमिका व्यक्तियों तथा समूहों को विशेष रूप से संगठन तथा सामान्य रूप से समाज के लिए अनुकूलन में सहायता करने की होती है। वे जहाँ तक संभव हो इस अनुकूलन के लिए उनकी भीतरी तथा बाहरी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। वे संस्थाओं को संगठन के भीतर स्वस्थ तरीके से विकसित होने में सहायता करके एक प्रभावी संगठन के लिए राह बनाते हैं। हालाँकि आजकल एक प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ता संगठन के लिए बहुत उपयोगी होता है।

बोध प्रश्न VI

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) क्या भारत में औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्यकर्त्ता के लिए एक स्पष्ट और सुपरिभाषित भूमिका है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.8 समस्याएँ तथा संभावनाएँ

व्यवसाय तथा उद्योग में समाज कार्य के व्यवहार में अपनी बाधाएँ और समस्याएँ हैं, जिनमें से कुछ नीचे बताई गई हैं:

1) उद्योग में समाज कार्यकर्त्ता को इस तथ्य को मान लेना चाहिए कि उसके कार्य को विभिन्न कारकों द्वारा सीमित किया जाएगा। ये सीमाएँ दिए गए कार्य, संगठनात्मक संरचना तथा अतिरिक्त कार्यों के आधार पर व्यवसायिक हो सकती हैं।

2) उद्योग जगत हमेशा अपनी आवश्यकताओं को ऐसे नहीं परिभाषित करता है जिसमें समाज कार्यकर्त्ता एक उचित संसाधन व्यक्ति के रूप में व्यवस्थित हो सके तथा समाज कार्यकर्त्ता भी ऐसे सुनिश्चित सेवा क्षेत्रों की पहचान नहीं कर पाए हैं, जो उद्योग के लिए महत्त्वपूर्ण हों। यही नहीं आज भी ऐसे समाज कार्य कौशलों तथा ज्ञान के प्रकार की उचित समझ नहीं है, जिन्हें विशेष रूप से उद्योग को हस्तांतरित किया जा सके। सेवा तभी अर्थपूर्ण होती है जब उसकी आवश्यकता तथा सेवा स्पष्ट रूप से निर्धारित होती है।

3) कई बार समाज कार्यकर्त्ता स्वयं को ऐसे व्यवसाय में पा सकते हैं, जिनके मूल्य समाज कार्य के मूल्यों के अनुरूप नहीं होते हैं। समाज कार्य का महत्त्व यह है कि समाज के संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे वे व्यवसाय के मुनाफे में से व्यक्ति के लिए अधिकतम अवसर प्राप्त करा सकें।

4) वर्तमान में उद्योग जगत में समाज कार्यकर्त्ताओ की नियुक्ति बड़ी संख्या में कल्याण/कार्मिक कार्यकर्त्ता के रूप में होती है। ऐसे में वे समाज कार्य के कामों को करने से अधिक व्यस्त, अपने कानूनी तथा प्रशासनिक कार्यों को करने में रहते हैं इसलिए उनकी पहचान अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे समाज कार्यकर्त्ताओं के रूप में नहीं हो पाती है। कई बार वे स्वयं को ऐसे व्यवसाय में पाते हैं, जो उन सरोकारों को उतना महत्त्व नहीं देता है, जिनके लिए समाज कार्य होते हैं। भारतीय उद्योग में कल्याणकारी अधिकारियों के लिए बताए गए कार्य कल्याण तथा कार्मिक से लेकर कानूनी तथा समझौतों तक की जिम्मेदारी के लिए होते हैं, जो समानता तथा संगतता की कमी को दर्शाते हैं। यह उद्योग में समाज कार्य से संबंधित स्पष्टता तथा उस परिवेश में समाज कार्यकर्त्ता की वास्तविक भूमिका में कमी को भी दर्शाता है।

5) समाज कार्य तथा कार्मिक प्रबंधन का एक रूप होना जिसे कभी एक अच्छा संयोजन समझा जाता था क्योंकि इसने समाज कार्य के व्यवसाय को अच्छा अवसर प्रदान किया था, उसे अब अनेक समाज कार्य के शिक्षकों द्वारा व्यवसाय की हानि माना जाता है। कार्मिक/कल्याण कार्यकर्त्ता द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकार के कार्य उसे उसकी समाज कार्य की भूमिका को नहीं निभाने देते हैं।

6) विभिन्न प्रकार की समाज कार्य विधियों के व्यवहार में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित तथा परिभाषित किया जा सकता है। चूंकि इन विधियों को व्यवहार में लाने के लिए बहुत अधिक समय तथा कौशल की आवश्यकता होती है, अतः कार्मिक कार्यकर्त्ता जिन पर पहले से ही अनेक जिम्मेदारियों का बोझ होता है वे हमेशा उन्हें पर्याप्त समय तथा महत्त्व नहीं दे पाते हैं। प्रबंधन आखिर इन विधियों के महत्त्व को उसी हद तक मानता है, जितना ये संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान करती हैं।

बोध प्रश्न VII

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) ऐसी किन्हीं दो समस्याओं को समझाइए जो उद्योग में समाज कार्य अभ्यास की राह में बाधक हों।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

संभावनाएँ (Prospects)

बाधाओं और रुकावटों के बावजूद व्यवसाय तथा उद्योग में समाज कार्य व्यवहार के लिए काफी अच्छी संभावनाएं हैं। नियोक्ताओं द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों का बोझ बढ़ने के साथ ही समाज कार्य का तथा उसके द्वारा किए जा सकने वाले योगदान का महत्त्व बढ़ेगा। भारतीय संदर्भ में समाज कार्य कल्याण/कार्मिक अधिकारी जो व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता भी हैं, वे बड़ी संख्या में उद्योग में समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका को निभा

रहे हैं। हालाँकि, पूर्णकालिक समाज कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है तथा बड़ी एवं प्रगतिशील इकाइयों में उन्होंने अपने लिए स्थान बना भी लिया है। जब भारतीय उद्योग में पूर्णकालिक समाज कार्यकर्त्ताओं को मान्यता मिल जाए तो समाज कार्य की भूमिका जो वर्तमान में उन कल्याण/कार्मिक अधिकारियों द्वारा निभाई जाती है, जिन्होंने समाज कार्य का प्रशिक्षण लिया हो, उसे उद्योग में उसका न्यायोचित स्थान मिल जाएगा।

यही नहीं समाज कार्य अब सिर्फ उद्योग तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि यह अपनी विशेषज्ञता को सभी कामों तथा कार्य स्थितियों में विस्तारित करता दिख रहा है, अतः शब्द व्यवसायिक समाज कार्य को विशेषज्ञों से समर्थन मिलने लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज कर्मचारी, चाहे किसी भी व्यवस्था में हो वे अनेक समस्याओं से घिरे हैं, जो उनकी व्यक्तिगत कार्यकुशलता को तथा संपूर्ण उत्पादकता को भी प्रभावित कर सकती है। समाज कार्य व्यवसाय के लिए यह एक चुनौती है कि वह अपने कौशलों तथा ज्ञान का उपयोग इन ग़ैर–पारम्परिक क्षेत्रों में नए एवं नवीनीकृत तरीकों से करे जिससे उत्पादकता तथा संगठनात्मक कुशलता को बढ़ाया जा सके और वह अपने लिए वहाँ स्थान बना सके।

आज अधिक से अधिक महिलाएँ काम कर रही हैं तथा अपने घर एवं कार्यस्थल में नए समीकरण बना रही है। इस बदलते परिदृश्य में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को अनुकूलन के नए तरीके खोजने होंगे। अनेक लिए तथा उनके बच्चों के लिए बहुत अधिक तनाव हो सकता है, जिससे कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा बन गया है। इसके परिणामस्वरूप अनेक कंपनियों को बच्चों की देखभाल, पितृत्व/मातृत्व अवकाश नीतियों, विश्राम के समय आदि के कार्यक्रमों को विकसित करना होगा।

बेरी (1990) के अनुसार आज कार्य जगत् में विभिन्न चुनौतियाँ हैं। पुराने कर्मचारियों के लिए इसका अर्थ अधिगम तथा भिन्न शैली, सरोकारों तथा मूल्यों वाले नए आए कर्मचारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। नए आए कर्मचारियों के लिए इसका अर्थ वृद्धि, अधिगम तथा दृढ़ता विकसित करना है, जिसकी पूर्ण सदस्यता को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है।

आज समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए व्यवहार के अनेक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, जिन्हें पश्चिमी देशों में मान्यता मिल गई है और जो भारतीय व्यवसाय तथा उद्योग में क्रमशः राह बना रहे हैं। उल्लेख के लिए कुछ नाम हैंः कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (Employee Assistance Programmes — EAP's), कर्मचारी संपर्क (Employee Relations — ER), संगठन विकास (Organisation Development—OD), विस्थापित कामगार सेवाएँ

(Dislocated Workers Services, DWSs), योजना तथा लाभ प्रबंधन (Plans and Benefits Management)।

किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान, सुख तथा समृद्धि की भावना किसी न किसी रूप में उसकी नौकरी से जुड़ी होती है। आज हम कार्य उत्थान, आर्थिक पुनसरंचना, प्रतिस्पर्धा काटछांट के हलचल भरे काल में हैं, जिसने हमारे आसपास के 'सामाजिक सुरक्षा जालों' (social safety nets) को कमजोर कर दिया है। सभी व्यवस्थाओं में कर्मचारी अनेक समस्याओं का सामना करते हैं, जो उनके प्रभावी प्रदर्शन तथा पूर्ण उत्पादकता की राह में बाधा पहुँचाती हैं। समाज कार्य के कौशल, तकनीकें तथा ज्ञान जिन्हें अभी तक गरीबों तथा विस्थापितों को प्रदान किया जाता था उनका उपयोग कार्य जगत को सधारने के लिए मानव संसाधनों की क्षमता का बढ़ाने में किया जा सकता है। सलाह, समह कार्य, अनुसंधान, नीति विश्लेषण (policy analysis), कार्यक्रम विकास तथा योजना, आवश्यकता मूल्यांकन तथा अन्य ऐसी समाज कार्य तकनीकों का उपयोग व्यवसाय तथा उद्योग द्वारा उत्पादकता तथा पूर्ण संगठनात्मक कुशलता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

समाज कार्य अपने में समाजशास्त्र से ज्ञान तथा व्यवहार की अंतर्दृष्टि, शिक्षा, चिकित्सीय, मनोविज्ञान, श्रम संबंधों, संगठनात्मक व्यवहार आदि को समाकलित करता है, जो कार्यस्थल की समस्याओं के हल प्रदान कर सकते हैं।

उद्योग जगत् में समाज कार्य का भविष्य उज्जवल है यदि यह काम व्यवसाय तथा उद्योग जगत् की चुनौतियों तथा नई माँगों के अनुरूप स्वयं को तैयार कर ले। समाज कार्य शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रम को अच्छे व्यवसाय सिद्धान्तों वाले औद्योगिक समाज कार्य तथा व्यवहार के लिए उन्नत बनाने की आवश्यकता है।

बोध प्रश्न VIII

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) भारत में औद्योगिक समाज कार्य की वृद्धि के लिए भविष्य में क्या संभावनाएँ हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.9 सारांश

औद्योगिक समाज कार्य व्यक्तियों और समूहों को कार्य स्थिति के लिए बेहतर अनुकूलन में सहायता करने का एक व्यवस्थित तरीका है। यह प्रारूप उद्योग में समाज कार्य की भूमिका के साथ ही उन भूमिका(ओं) का भी निर्धारण करता है जो समाज कार्यकर्त्ता उद्योग में कर सकते हैं जिससे समाज कार्य के कौशलों, ज्ञान तथा प्रशिक्षण की उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। यदि हम ये मान लें कि उद्योग महज मुनाफा कमाने वाले संस्थान ही नहीं हैं बल्कि उनका सामाजिक दायित्व भी है तो समाज कार्य उसके सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन अथवा बिक्री से ही प्रबंधन का सरोकार नहीं है बल्कि संगठन के भीतर का सामाजिक परिवेश, कार्य संस्कृति तथा कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य से भी उनका समान सरोकार होता है। अब दिन व दिन यह महसूस किया जाने लगा है कि समाज कार्य के कौशलों तथा प्रशिक्षण का औद्योगिक क्षेत्र के दोनों प्रमुख खंडों — श्रम तथा प्रबंधन — में से किसी के द्वारा भी उन विभिन्न सामाजिक तथा भावनात्मक समस्याओं को सुलझाने में अधिकतम उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो उद्योग में भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के जीवन में आती रहती हैं।

उद्योग में समाज कार्य के लिए पर्याप्त अवसर हैं तथा उद्योग जगत् की कुछ समस्याएँ समाज कार्य कौशलों तथा सोच से बेहतर तरीके से सुलझ जाती हैं। समाज कार्यकर्त्ता कर्मचारियों की उनकी समस्याओं को दूर करने में तथा उत्पादक कर्मचारी के रूप में कार्य करते रहने में मदद करते हैं। व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ता अपने कार्यक्रमों को रोधात्मक, विकासात्मक तथा उपचारात्मक स्तरों पर विकसित कर सकते हैं। यह सूक्ष्म अथवा वृहत् स्तर पर हो सकता है। सेवाओं के इन स्तरों पर संगठन तथा योजना को बनाने के लिए संगठन के मौलिक अध्ययन की आवश्यकता होती है क्योंकि सिर्फ मुक्त तथा संवेदनशील सोच से ही समाज कार्य के उद्देश्यों को प्रबंधन के उद्देश्यों के साथ समाकलित किया जा सकता है।

समाज कार्य विधियाँ जैसे सामाजिक केसवर्क समूह कार्य, सामुदायिक संगठन आदि को उपयोगी रूप से व्यवसाय तथा उद्योग में प्रयोग किया जा सकता है। हालाँकि प्रत्येक विधि का अपना विशेष योगदान होता है परन्तु सिर्फ एक विधि ही नहीं, वरन् सभी विधियाँ मिलकर प्रबंधन द्वारा अनेक औद्योगिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सकती हैं।

उद्योग जगत् में समाज कार्य का स्थान अभी भी स्पष्ट तथा सुपरिभाषित नहीं है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों में प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति, आवश्यक वैधानिक आवश्यकता है।

अधिकांश उपक्रमों में समाज कार्यकर्त्ता कार्मिक कर्मियों के कार्यों को करते देखे जा सकते हैं। वर्तमान में सिर्फ कुछ संगठन ही पूर्णकालिक समाज कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति करते हैं। समस्या यह है कि उद्योग ने अपनी ऐसी आवश्यकताओं को नहीं बताया है जहाँ समाज कार्यकर्त्ता एक उचित संसाधन कर्मी के रूप में फिट हो सके तथा समाज कार्यकर्त्ता ने भी सेवा के ऐसे उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान नहीं की है, जो उद्योग के लिए महत्त्वपूर्ण हों।

बाधाओं के बावजूद, उद्योग तथा व्यवसाय में समाज कार्य का भविष्य उज्जवल है। आज समाज कार्य सिर्फ उद्योग तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह अपनी विशेषज्ञता सभी कामों तथा कार्य स्थितियों में विस्तारित करता दिखाई पड़ रहा है। समाज कार्य के काम के लिए यह एक चुनौती है कि वह अपने कौशलों तथा ज्ञान का उपयोग इन ग़ैर–पारम्परिक क्षेत्रों में नए व नवीनीकृत तरीकों से करे जिससे उत्पादकता तथा संगठनात्मक कुशलता को बढ़ाया जा सके।

4.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

जैकब के.के. (1965), मेथड्स एंड फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, बम्बईः एशिया पब्लिशिंग हाउस।

मूर्ति, एम.वी. (1974), सोशल वर्क मेथड एंड फील्ड्स, धारवाड़ः कर्नाटक विश्वविद्यालय।

देसाई, एम.एम. (1979), इंडस्ट्रीयल सोशल वर्क, टी. आई. एस. एस., मई।

4.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) समाज कार्य का प्रयोग व्यवसाय तथा उद्योग में किए जाने पर वह समाज कार्य के ज्ञान, कौशलों तथा मूल्यों का मनुष्य तथा उसके कार्य परिवेश के बीच श्रेष्ठ संबंध बनाने में होता है।

बोध प्रश्न II

1) फैक्ट्रीज अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948) का पास होना सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी जिसमें उचित रूप से शिक्षित समाज कार्यकर्त्ता की कल्याणकारी (वैलफेयर) अधिकारी के रूप में कर्मचारियों के कल्याण के लिए नियुक्ति की आवश्यकता को बताया गया था। 1948 में फैक्ट्रीज अधिनियम, 1948 की धारा

(सेक्शन) 49 में कल्याणकारी (वैलफेयर) अधिकारी का वैधानिक रूप से सजन हुआ था। उसके प्रशासन का विस्तार सिर्फ कल्याण कार्य तक ही नहीं बल्कि कार्मिक प्रशासन तथा औद्योगिक संबंधों तक फैला हुआ था। वास्तव में वह उस समय एकमात्र वैधानिक अधिकारी था और संभवतः भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जहाँ सामाजिक उद्धार समाज सेवा तथा सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि में इस वैधानिक पद को बनाया गया था।

बोध प्रश्न III

1) सामाजिक उत्तरदायित्व का विचार दर्शाता है कि उद्योग जगत् में निर्णय लेने वाले व्यक्ति ऐसे कदम उठाने के लिए बाध्य होते हैं, जो समाज कल्याण में सुरक्षा तथा सुधार के साथ ही अपने हितों की भी सुरक्षा तथा सुधार कर सकें।

बोध प्रश्न IV

1) व्यवसाय तथा उद्योग में समाज कार्य के अवसर निर्भर करते हैं:

   क) प्रबंधन की सोच पर

   ख) व्यवसाय की आवश्यकताओं तथा किस हद तक इन आवश्यकताओं को समाज कार्य द्वारा पूरा किया जा सकता है, इसके बीच श्रेष्ठ तालमेल पर

   ग) प्रदान की जाने वाली सेवाओं की लागत प्रभाविता पर

बोध प्रश्न V

1) हाँ, समाज कार्य विधियों का औद्योगिक व्यवस्था में प्रभावी रूप से व्यवहार किया जा सकता है। सामाजिक केस कार्य की इस प्राथमिक विधि को प्रभावी रूप से दो स्तरों पर उपयोग किया जा सकता है:

   i) किसी मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारकों के कारण पारिवारिक जीवन में सामंजस्य से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ तथा समस्याएँ।

   ii) परिवेश, व्यक्तित्व की समस्याओं, संगठन की संरचना तथा कार्यक्रमों आदि के कारण कार्य जीवन में सामंजस्य से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ।

बोध प्रश्न VI

1) औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्यकर्त्ता के लिए आज भी स्पष्ट तथा सुपरिभाषित भूमिका नहीं है। वर्तमान परिदृश्य एक भ्रामक तस्वीर पेश करता है, जिसमें समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका उद्योग के आकार तथा किसी उद्यम के मालिक के समाज कार्यकर्त्ता के योगदान पर विचार पर निर्भर करती है।

बोध प्रश्न VII

1) उद्योग में आजकल समाज कार्यकर्त्ताओं को बड़ी संख्या में कल्याण/कार्मिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। देखा जाए तो वे समाज कार्य के स्थान पर कानूनी तथा प्रशासनिक कार्यों को अधिक करते हैं इसलिए उनकी अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे समाज कार्यकर्त्ताओं से वैसी पहचान नहीं होती है। कई बार वे स्वयं को उस व्यवसाय में पाते हैं, जिसमें उन सरोकारों का महत्त्व उतना नहीं होता है, जिसके लिए समाज कार्य बने होते हैं।

भारतीय उद्योगों में कल्याणकारी अधिकारियों के लिए बताए गए विभिन्न कार्य कल्याण तथा कार्मिक से लेकर कानूनी एवं समझौते के उत्तरदायित्वों तक फैले हुए हैं, जो एकरूपता तथा संगतता की कमी को दर्शाता हैं। यह उद्योग में समाज कार्य के संदर्भ में तथा उस परिवेश में समाज कार्यकर्त्ता की वास्तविक भूमिका के संदर्भ में स्पष्टता की कमी को भी दर्शाता है।

बोध प्रश्न VIII

1) व्यवसाय तथा उद्योग में समाज कार्य व्यवहार के लिए अच्छी संभावनाएँ हैं। नियोक्ताओं के द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों तथा दायित्वों को अब महसूस किया जाने लगा है, जिससे समाज कार्य का महत्त्व तथा उसके द्वारा किया जा सकने वाला योगदान भी बढ़ेगा। भारतीय संदर्भ में समाज कार्य कल्याण/कार्मिक अधिकारी, जो व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता भी होते हैं, ज्यादातर उद्योग में भूमिका भी निभाते हैं।

उद्योग में समाज कार्य का भविष्य उज्जवल है यदि यह काम व्यवसाय तथा उद्योग जगत् की चुनौतियों तथा नई माँगों के अनुसार स्वयं को तैयार कर लें। समाज कार्य के शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को औद्योगिक समाज कार्य के अनुसार सुधारने की ज़रूरत है।

इकाई 5 समुदाय के बीच समाज कार्य

*डॉ. अजीत कुमार

रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 सामाजिक व्यवस्था के रूप में समुदाय

5.3 ग्रामीण समुदाय के साथ समाज कार्य

5.4 शहरी समुदाय के साथ समाज कार्य

5.5 जनजातीय समुदाय के साथ समाज कार्य

5.6 सारांश

5.7 शब्दावली

5.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य भारतीय समुदाय की प्रकृति की; उनके जीवन में आने वाली समस्याओं तथा व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता की दृष्टि से उसमें संभावित मध्यस्थता के तरीकों की समझ प्रदान करना है। इकाई की शुरुआत समुदाय की संकल्पना को समझाने तथा समुदाय को एक व्यवस्था के रूप में देखने से होती है। इसके बाद, यह सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना को समझाती है तथा संक्षिप्त रूप से सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न सिद्धान्तों के बारे में बतलाती है। मोटे तौर पर कहा जाए तो भारतीय समुदाय को तीन प्रकारों में बाँटा जा सकता है – ग्रामीण, जनजातीय तथा शहरी समुदाय। चूंकि ये तीन प्रकार भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख घटक हैं अतः इनके बारे में इनमें से प्रत्येक को चार उप इकाइयों में उप–विभाजित करके अधिक विस्तार से समझाया गया है। चार उप–इकाइयाँ हैंः समुदाय के गुण, उनकी संस्थानीय संरचनाएँ; उनकी समस्याएँ तथा व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता द्वारा मध्यस्थता के उपाय। उम्मीद की जाती है कि विद्यार्थी इस इकाई को पढ़ने के बाद :

- समुदाय की मौलिक संकल्पना तथा एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समुदाय को समझ सकेंगे;

* डॉ. अजीत कुमार, एम.एस.एस. इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क, नागपुर।

- सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना को समझ सकेंगे;
- भारतीय संदर्भ में समुदाय के प्रकारों को समझ सकेंगे;
- भारतीय समुदाय – ग्रामीण, जनजातीय तथा शहरी के गुणों को समझ सकेंगे;
- ग्रामीण, जनजातीय तथा शहरी समुदाय में प्रमुख संस्थानीय संरचनाओं को समझ सकेंगे;
- ग्रामीण, जनजातीय तथा शहरी समुदाय की समस्याओं तथा मुद्दों को समझ सकेंगे;
- ग्रामीण, जनजातीय तथा शहरी समुदाय में व्यवसायिक समाज कार्य की मध्यस्थता/हस्तक्षेप को समझ सकेंगे;

5.1 प्रस्तावना

इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति (1750) से शुरू होने वाले आधुनिक युग ने सिर्फ भौतिक जगत् में ही नहीं बल्कि विचारों के जगत् में भी गंभीर बदलावों को देखा। गरीबी, कष्ट, अप्रसन्नता आदि को अपनी नियति मानने की सदियों पुरानी सोच को नकार दिया गया। पूर्व स्थिति जिसमें धर्म किसी को जीवन की स्थितियों के लिए दिलासा देता है, वह अब बदल गया। औद्योगिक क्रान्ति ने उत्पादन व्यवस्था को बिल्कुल बदल दिया, जिसने मान्यताओं तथा विचारों की दुनिया को प्रभावित किया। धीरे–धीरे यह विचार जड़ें जमाने लगा कि मानव स्थितियों को बदला जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है लेकिन उसके लिए सचेत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। प्रयास सिर्फ व्यक्ति अथवा उसके परिवार के स्तर पर ही नहीं बल्कि बहुत कुछ समाज की ओर से भी आवश्यक होते हैं। अठाहरवीं शताब्दी के बाद से विभिन्न ताकतें उभरी हैं — राष्ट्र–राज्यों की वृद्धि, धीमी गति से कल्याण (वेलफेयर) स्टेट का उभरना तथा राजनीतिक बलों का विकास — और इन सभी का एक ही उद्देश्य है और वह मानव स्थितियों में सुधार है।

व्यवसायिक समाज कार्य एक नई ताकत है, जो समान विचार के साथ उभरी है। इसका आरंभ 1880 के दशक में हुआ था तथा आरंभिक अवस्थाओं में इसे परोपकार की धारणा से चलाया जा रहा था जिससे बड़े स्तर पर शहरीकरण तथा औद्योगीकरण कर रहे पश्चिमी समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। गोरे ने व्यवसायिक समाज कार्य के इतिहास को ब्रिटेन के संक्रमण काल के समय से जोड़ा है, जब कृषि आधारित समुदाय टूट रहे थे तथा मध्य वर्ग उभर रहा था। इस काल में बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन हुआ था तथा समाज कार्य की शुरुआत अकेले व्यक्तियों, निराश्रितों, अकेली महिलाओं, कम मज़दूरी पाने वाले तथा बेरोज़गार व्यक्तियों की भीषण गरीबी में सहायता के लिए हुई थी।

औद्योगीकरण की आरंभिक अवस्था में न तो राज्य और न ही नियोक्ता 'कर्मचारियों' की नौकरी की सुरक्षा, रक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी लेते थे। (1997: 442, 443)

समाज कार्य परोपकार की भावना के साथ शुरू हुआ था, और उसका विचार यह था कि अधिक भाग्यशाली लोग बदहाल व्यक्तियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। यह इस विचार पर आधारित था कि सहायता इतनी कम हो कि लोग सक्रिय बने रहे तथा साथ ही भूखमरी तथा मौत से भी बच सके। समय के साथ–साथ कुछ विचार रूपांतरित हो गए।

5.2 सामाजिक व्यवस्था के रूप में समुदाय

समुदाय की संकल्पना

शब्द ''समुदाय'' जैसा कि रेमण्ड विलियम्स (1976) ने कहा है: अंग्रेजी भाषा में चौदहवीं शताब्दी से है जब इसका अर्थ संबंधों अथवा भावनाओं का समुदाय था। शब्द ''समुदाय'' को सामान्य रूप से समाज विज्ञान में विशेष रूप से समाज शास्त्र में प्रयोग किया जाता है जबकि यह समाज कार्य के व्यवसाय के व्यवहार का क्षेत्र है। एक संकलन के अनुसार इसकी 94 परिभाषाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अथवा अन्य गुण में दूसरे से भिन्न है। दो प्रसिद्ध समाज शास्त्री (मैकाइवर तथा पेज) ने इस संकल्पना की चार विशेषताओं की पहचान की है: सामान्य जीवन का कोई भी क्षेत्र, जो किसी न किसी रूप में दूसरे क्षेत्रों से भिन्न हो; जिसकी अपनी विशिष्ट विशेषाताएं हों; तथा उस सीमा क्षेत्र को अपनी पहचान हो।

- समुदाय की संकलपना के क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक निहितार्थ हैं।
- इनकी सामाजिक–आर्थिक विशेषताएँ समान होती हैं।
- इनके बीच में अपनेपन तथा साहचर्य की भावना होती है।

आइए, अब हम इनका अधिक विस्तार से परीक्षण करते हैं।

i) व्यक्तियों के किसी समूह को समुदाय कहने का अर्थ है कि वे एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र के निवासी हैं। इसका सबसे प्रचलित उदाहरण, जो हमारे दिमाग में आता है यह है गाँव समान क्षेत्र का निवासी होना ही समुदाय का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

ii) महज निवासी होना ही पर्याप्त नहीं है। उनकी इस समान सामाजिक–आर्थिक विशेषताएँ भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, गाँव को समुदाय का एक अच्छा उदाहरण सिर्फ समान निवास के कारण ही नहीं बल्कि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ग्राम वासियों की भाषा समान होती है, उनके सांस्कृतिक गुण समान होते हैं, वे एक ही कुँए व विद्यालय का उपयोग करते हैं तथा एक ही धार्मिक स्थल पर जाते हैं।

भोजन के प्रमुख उत्पाद, जैसे चावल अथवा गेहूँ आदि का उपयोग भी सभी सदस्यों में एक जैसा ही होता है। अधिकांश गाँववासी कृषि व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। उनके त्यौहार तथा वैवाहिक समारोहों में भी जाति तथा आर्थिक अंतर के बावजूद भी समानता पाई जाती है।

iii) पहली दो विशेषताएँ ही तीसरी विशेषता को जन्म देती है। समान निवास तथा समान सामाजिक–आर्थिक प्रकार के जीवन से ही लोग एक दूसरे को पहचानने लगते हैं तथा अपनेपन की भावना विकसित होती है। ये अपनेपन की भावना उनके एक समुदाय के सदस्य होने को बताती है तथा ग़ैर–समुदाय के सदस्यों को बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

व्यवस्था के रूप में समुदाय

व्यवस्था शब्द का प्रयोग पूर्णता के लिए किया जाता है, जिसमें अनेक भाग क्रियात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्रियात्मक का अर्थ है सार्थक भूमिका का प्रदर्शन। उदाहरण के लिए, मानव शरीर इस रूप में एक व्यवस्था है क्योंकि इसमें अनेक भाग होते हैं। हाथ, पैर, आँखें, नाक आदि तथा प्रत्येक भाग एक उपयोगी भूमिका निभाता है तथा संपूर्ण मानव शरीर की कुल क्रियात्मकता में योगदान देता है। यदि किसी एक भाग को भी हटा दिया जाए तो मानव शरीर अपूर्ण हो जाता है और इस तरह से जहाँ संपूर्णता खत्म हो जाती है, वहीं वह भाग जो पैर अथवा हाथ कुछ भी हो सकता है, वह मुरझा कर नष्ट हो जाता है। शब्दकोश (चैम्बर्स ट्वेन्टीअथ सेन्चुरी डिक्शनरी, 1981) में इस शब्द को ''किसी भी ऐसी चीज के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ऐसे भागों से बना हो जिन्हें एक साथ मिलाकर अथवा समायोजित करके नियमित तथा पूर्ण इकाई को बताया जा सके" अथवा "चीजों का समूह जिसे पूर्ण इकाई के रूप में माना जाता हो।

समुदाय को एक व्यवस्था के रूप में समझने के लिए हम इसे तीन उप–व्यवस्थों में विभाजित कर सकते हैं:

- आर्थिक उप–व्यवस्था
- राजनीतिक उप–व्यवस्था
- सामाजिक उप–व्यवस्था

i) आर्थिक उप–व्यवस्था

समुदाय की आर्थिक उप–व्यवस्था को समझने के लिए हमें वहाँ के लोगों के प्रमुख व्यवसाय; उन्हें मिलने वाली मज़दूरी; भुगतान के तरीके; घर, भूमि, बचत आदि के रूप में लोगों की संपत्ति तथा खर्च के तरीकों का निरीक्षण करना होगा। यदि हम

गाँव की आर्थिक उप व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो गाँव के प्राथमिक तथा सहायक व्यवसायों को समझना आवश्यक है; वहाँ भुगतान साप्ताहिक रूप से होता है अथवा मासिक रूप से; भूमि का स्वामी कौन होता है तथा उसमें से कितनी भूमि की सिंचाई होती है; कितने परिवार भूमिहीन हैं? आमदनी का कितना भाग भोजन, घर, कपड़ों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्च होता है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें गाँव के आर्थिक उप–व्यवस्था को समझने में सहायक होंगे। इसी अभ्यास को शहरी समुदाय के साथ भी किया जा सकता है – इनमें से कुछ प्रश्नों को शहरी अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता के अनुसार रूपांतरित करना होगा।

उदाहरणः एक आर्थिक उप–व्यवस्था के रूप में गाँव

किसी भारतीय गाँव का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा मज़दूरी ही होगी। उसका एक छोटा भाग मज़दूरों को रखकर अपनी स्वयं की भूमि का स्वामी होगा जबकि अधिकांश व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की भूमि पर मज़दूरों के रूप में काम कर रहे होंगे। भूमि का स्वामित्व, विशेष रूप से सिंचाई वाली भूमि का स्वामित्व, जनसंख्या के एक छोटे से भाग तक ही सीमित होता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अधिक उप व्यवस्था होती हैं लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो मज़दूरों को साप्ताहिक आधार पर भुगतान किया जाता है। अनेक गाँवों में पुराने व्यवसाय जैसे धोबी, सुनार लुहार आदि खत्म हो गए हैं तथा नए व्यवसाय विकसित हो गए हैं। विद्यालय व्यवस्था तथा पंचायती राज संस्थाओं के विस्तार के साथ ही अनेक वेतन वाली नौकरियों उत्पन्न हो गई है। दूध का व्यवसाय, कृषि उत्पादों को आसपास के शहरों में बेचने का व्यवसाय, आदि ने भी नए कार्यों का सृजन किया है।

ii) राजनीतिक उप–व्यवस्था

यहाँ राजनीति शब्द का प्रयोग शक्ति की संकल्पना के लिए किया गया है। हालांकि शक्ति एक अमूर्त संकल्पना है पर ये वास्तविक है तथा इसका उपयोग समाज के कुछ भागों के हित के लिए किया जाता है। समाज के वे भाग जिनका हित होता है वे शक्ति संपन्न होते हैं तथा जिनको छोड़ दिया जाता है, वे शक्तिहीन होते हैं। समुदाय में सामुदायिक शक्ति की संरचना को समझने के लिए निम्नलिखित तीन प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए – समुदाय में शक्ति किसके पास है? शक्ति किस पर आधारित है? इस शक्ति का उपयोग कैसे किया जा रहा है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें उस समुदाय में शक्ति की संरचना का विवरण दे देंगे। चलिए हम एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें।

- **समुदाय में शक्ति किसके पास है?**

किसी समुदाय में शक्तिशाली व्यक्तियों की पहचान करने का एक आसान तरीका वहाँ के औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के नेताओं की पहचान करना है। औपचारिक नेताओं से अभिप्राय उन व्यक्तियों से हैं, जो स्थानीय संगठनों में औपचारिक पदों पर हैं। ये संगठन धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक संगठन हो सकते हैं। इनकी तुलना में अनौपचारिक नेताओं की पहचान करना कठिन है क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना किसी पद के ही शक्ति का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक नेताओं की पहचान करने का एक आसान तरीका समुदाय के अनेक लोगों से ऐसे कुछ व्यक्तियों के नाम पूछना है, जो सहायक तथा प्रभावशाली हैं। वे नाम, जिन्हें ज्यादातर व्यक्ति बताएँ और जो किसी औपचारिक पद पर न हों, उन्हें समुदाय का अनौपचारिक नेता माना जा सकता है।

- **शक्ति किस पर आधारित है?**

  दूसरा प्रश्न, शक्ति के आधार से संबंधित है। नेतृत्व के कुछ आधार होते हैं, जिसके अनेक कारक हो सकते हैं – धन, घर, भूमि आदि के रूप में आर्थिक संपत्ति, जाति सदस्यता, शिक्षा, जानकारी, संपर्क तथा नेटवर्किंग, मेलजोल, परिवार की प्रतिष्ठा, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलों की सदस्यता, तथा व्यवसाय प्रतिष्ठान। सामान्य रूप से इन कारकों के संयोजन से नेतृत्व के उभरने में सहायता मिलती है।

- **शक्ति का उपयोग कैसे किया जा रहा है?**

  तीसरा प्रश्न, शक्ति के उपयोग से संबंधित है। शक्ति कभी भी यथापूर्व/एक जैसी व्यवस्था नहीं हो सकती है। शक्ति सदैव विभिन्न रूपों तथा तरीकों से अपनी ताकत बढ़ाती रहती है। राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति सुदृढ़ करती है जबकि आर्थिक शक्ति फिर राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ करती है। राजनीतिक शक्ति संपन्न व्यक्ति, संपत्ति, व्यवसाय, ठेके आदि प्राप्त करके अपने आर्थिक आधार को मजबूत बनाता है, जबकि आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राजनीतिक संपर्क विकसित करता है अथवा अपने लोगों को महत्त्वपूर्ण पद दिलवाता है।

एक राजनीतिक उपव्यवस्था के रूप में गाँव

गाँव में औपचारिक नेतृत्व सरपंच/प्रधान तथा ग्राम पंचायत के अन्य चुने गए सदस्यों का होता है। दुग्ध सहकारी संघ, कृषि ऋण सहकारी समिति, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, महिला मंडल आदि के पदाधिकारी गाँव के अन्य औपचारिक नेता हो सकते हैं। गाँव के भू–स्वामी वर्ग के सदस्य अनौपचारिक नेता हो सकते हैं। सामान्य रूप से भूमि, राजनीतिक

दलों तक पहुँच, शिक्षा, जानकारी, जाति आदि शक्ति के आधार बनते हैं। शक्ति का प्रयोग परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी समूह विशेष के सदस्य को महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने, राशन की दुकान चलाने या मिट्टी के तेल के वितरण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय तथा छात्रावासों को चलाने, वेतन वाली नौकरियाँ प्राप्त करने आदि के लिए किया जाता है।

सामाजिक उप–व्यवस्था

सभी ग़ैर–आर्थिक तथा ग़ैर–राजनीतिक मसले सामाजिक उप–व्यवस्था शीर्षक के तहत आते हैं। विवाह तथा परिवारय जाति प्रथाय धार्मिक मान्यताओंय मूल्यों तथा रीतियों के संदर्भ में सामाजिक संरचना के कुछ पहलू हैं, जिनका अध्ययन किया जाता है। त्यौहार, खानपान की आदतें, आभूषण आदि कुछ अन्य पहलू हो सकते हैं।

भारतीय संदर्भ में समुदाय

गेन्ग्रेड ने भारतीय संदर्भ में समुदाय की संकल्पना को समझने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जहाँ इसे अक्सर 'जाति', 'बोली' तथा 'धार्मिक' समूहों के रूप में बताया जाता है। इन सामाजिक समूहों की सदस्यता जाति पर आधारित होती है तथा यह भारतीय समाज को क्षैतिज तथा उदग्र दोनों रूपों से विभाजित करती है। जाति तथा धार्मिक श्रेणियों में विवाह तथा सगोत्रता के बंधन की जड़ें बहुत मजबूत हैं तथा व्यक्ति की प्राथमिक पहचान को बनाती हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ तथा दायित्व इन श्रेणियों के प्रति अधिक तथा समाज के प्रति कम हो जाते हैं। इस भावना से समुदाय को समझने की प्रकृति से व्यक्ति की सोच संकुचित तथा सीमित हो जाती है और यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार के समाज कार्य दर्शन के विपरीत होती है। समाज कार्यकर्त्ता को जाति तथा धर्म से ऊपर उठकर व्यवहार करने की सोच को विकसित करना चाहिए। समस्या ''बड़े समूहों के हित में इन समूहों की संकुचित निष्ठा की इस तरीके से तोड़ने की है, जिससे प्रत्येक दूसरे से शक्ति ले सके तथा पारस्परिक रूप से विशिष्ट रहने के स्थान पर एक दूसरे के पूरक बन जाएँ।'' (1971: 11, 12)

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) समुदाय की संकल्पना की तीन प्रमुख विशेषताओं के नाम बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) समझाइए कि 'एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समुदाय' का क्या अर्थ है? संक्षेप में इसकी तीन उप–व्यवस्था को समझाइए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 ग्रामीण समुदाय के साथ समाज कार्य

ग्रामीण समुदाय की विशेषताएँ

- अधिकांश गाँवों में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। ग्रामीण समुदाय का जीवन चक्र कृषि की विशेष प्रकृति पर केन्द्रित होता है। भारतीय कृषि देश के अधिकांश भागों में मानसून/बारिश पर निर्भर करती है, जिससे उसमें बहुत अधिक अनिश्चितता पाई जाती है। मज़दूरों के पास वर्ष भर के लिए कार्य नहीं होता है जबकि किसान भी अच्छी फसल के लिए दुविधा में रहते हैं। यह अनिश्चितता लोगों के जीवन में दिखाई देती है। – खर्च करने और बचत की लंबी अवधि की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य लंबी अवधि के खर्च प्रभावित होते हैं।
- प्रमुख व्यवसाय खेती तथा मज़दूरी होते हैं। मानसून के आने पर, खेतों की जुताई और बुआई के समय तथा फसलों की कटाई के समय मज़दूरों की माँग बढ़ जाती है, जिससे उनकी मज़दूरी भी अधिक हो जाती है। काम कम हो जाने पर सिर्फ मज़दूरी ही कम नहीं हो जाती है बल्कि काम की तलाश में मज़दूरों के परिवार वहाँ से अन्यत्र भी चले जाते हैं। किसान जो फसलों के लिए बाज़ार मूल्य पर निर्भर होते हैं उन्हें भाव ऊँचा होने पर लाभ मिल जाता है और इसके विपरीत भाव गिरने पर उन्हें नुकसान हो सकता है।

- शहरी समुदाय की तुलना में, गाँव की जनसंख्या बहुत कम होती है। काम के हिसाब से तथा निवास के हिसाब से भी लोगों में कम गतिशीलता होती है। ग्रामीण समुदाय में काम पैतृक प्रवृत्ति के होते हैं – एक किसान का बेटा खेती करता है जबकि भूमिहीन परिवारों के बच्चे मज़दूरी का कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति शहर में आता है तो उसके लिए व्यवसायिक परिवर्तन आसान होता है। ग्रामीण समुदाय के सदस्य समान सांस्कृतिक तरीकों जैसे समान भाषा, धर्म, भोजन प्रवृत्तियों आदि को अपनाते हैं। कुल मिलाकर गाँवों में बहुत अधिक एकरूपता होती है।
- गाँव की सामाजिक संरचना जाति प्रथा तथा पारम्परिक परिवार संरचना पर आधारित होती है। इनके प्राथमिक बंधन महत्त्वपूर्ण होते हैं और अपनेपन की प्रबल भावना होती है। किसी व्यक्ति की भूमिका तथा समझ स्थानीय समाज में उसकी स्थिति के परिणाम के रूप में उभरती है। समूह के आदर्शों तथा बोधात्मक मूल्यों की मौलिक मान्यता होती है। गाँव में समान जाति के सदस्यों में एक दूसरे के निकट रहने की प्रवृत्ति होती है।

ग्रामीण समुदाय में संस्थागत् संरचनाएँ

संस्थागत् संरचनाओं का अर्थ नीतियों, कार्यक्रमों, वित्त तथा प्रशासनिक वर्गीकरण वाले संगठनों से है। तथा पिछले पचास वर्षों में इनमें से अनेक विभिन्न कार्यों को करने के लिए विकसित हुए हैं। शक्तिशाली जातियाँ तथा आर्थिक श्रेणियाँ इन संगठनों को नियंत्रित करती हैं। ये संगठन विभिन्न तरीकों से स्थानीय समुदाय के जीवन को प्रभावित करते हैं तथा ये समझना ज़रूरी है कि वे कैसे कार्य करते हैं। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं:

क) सरकारी संगठन

राज्य सरकार के अनेक विभाग जैसे राजस्व, वन, सिंचाई, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) आदि स्थानीय समुदाय के जीवन को प्रभावित करते हैं। सरकार इन पर सीधा नियंत्रण रखती है तथा भर्ती, कार्य स्थितियों, वेतन के भुगतान, कार्य वितरण, निरीक्षण आदि से संबंधित सभी निर्णय लेती है। इसके अतिरिक्त राज्य बिजली बोर्ड तथा पुलिस विभाग भी कार्यरत रहते हैं।

ख) ग़ैर–सरकारी संगठन

स्थानीय समुदाय में अनेक औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि हो सकते हैं। जो समुदाय में विभिन्न कार्यों को करते हैं। अधिकांश गाँवों में एक या दो महिला मंडल तथा स्थानीय धार्मिक स्थल के कामों की व्यवस्था के लिए समिति हो सकती है। राजनीतिक दलों के सदस्य अन्य संगठनों के सदस्यों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होते हैं और उन्हें अनेक समाज कार्य के मुद्दों के लिए लामबंद किया जा सकता है। ग़ैर–सरकारी संगठनों की प्रमुख विशेषता यह है कि इन पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है।

ग) वैधानिक तथा जन संगठन

पिछले पचास वर्षों में अनेक वैधानिक संगठनों जैसे पंचायती राज संस्था तथा सहकारी संगठनों का ऋण, कृषि संसाधन तथा विपणन, कृषि निवेशों (inputs) की आपूर्ति आदि के क्षेत्रों में विकास हुआ है। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी संघ बन गए हैं। ये जन संस्थाएँ है, जो राजनीतिक छवि के साथ स्थानीय हितों को दर्शाती है। कि नेतृत्व चुनाव लड़ने के बाद मिलता है इसलिए, जन संस्थानों की स्थानीय जो काफी गहरी होती है। इनमें सबसे विस्तृत संगठन पंचायती संस्था है, जो जिला (जिला परिषद), खज (पंचायत समिति) तथा गाँव (ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा) के स्तर पर कार्य करती है। प्रत्येक राज्य ने पंचायती राज को लागू करने के लिए अपने निजी कानून बनाए हैं। ग्रामीण बैंकिग के क्षेत्र में कृषि एवं ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय बैंक (National Bank for Agriculturand Rural Development) की स्थापना नाबार्ड (NABARD) अधिनियम, 1981 के तहत् की गई थी, जो कि केन्द्रीय कानून है।

ग्रामीण समुदाय में समस्याएँ

ग्रामीण समुदाय में समस्याओं को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता हैः

क) व्यक्तिगत स्तर पर समस्याएँ

विभिन्न प्रकार के पारिवारिक विवाद इस श्रेणी में आते हैं। सबसे सामान्य विवाद पति–पत्नी के झगड़े अथवा परिवार के सदस्यों की दो पीढ़ियों में विवाद के होते हैं। इन झगड़ों की प्रकृति मूल्य–संघर्ष की अधिक होती है, जो एक या दो व्यक्तियों पर केन्द्रित होती हैं, जिसमें मानव व्यक्तित्व की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती हैं।

ख) समूहों के स्तर पर समस्याएँ

समूह के स्तर पर समस्याओं की प्रकृति सामाजिक–आर्थिक स्थितियों की अधिक होती है। यह वृद्धजनों, अकेले माता–पिता, सीमांत किसानों, भूमिहीन परिवारों, अशिक्षितों, विद्यालय से निकाले गए बच्चों, किशोर वय के बच्चों आदि की समस्याओं से जुड़ी हो सकती हैं।

ग) समुदाय के स्तर पर समस्याएँ

इनमें प्रभावित होने वाले समूह की अपेक्षा जनसंख्या के वर्ग का महत्त्व अधिक होता है। यह समुदाय का बड़ा भाग अथवा पूर्ण समुदाय हो सकता है। इस स्तर पर ग्रामीण समुदाय तथा स्थानीय संस्थागत् संरचनाओं की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाली नीतियों को लागू किया जाता है। मुद्दों के संदर्भ में यह मद्यपान, सफाई, स्वास्थ्य, हिंसा, पर्यावरण के क्षय, पेयजल, भूमि तथा वनों से संबंधित मुद्दे, मज़दूरी की समस्या, ढाँचागत समस्याएँ, शोषण तथा उत्पीड़न की समस्या, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की समस्याएँ आदि हो सकती हैं।

ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा कार्य करने के महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो सकते हैं। ग्राम सभा को पंचायत राज व्यवस्था का आधार माना जाता है और सिद्धान्त रूप में इसके पास ग्राम स्तर पर अधिकतम अधिकार होते हैं। सभी वयस्क ग्रामवासी ग्रामसभा को बनाते हैं और उनसे वर्ष में चार बार मिलकर ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करने ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली नई योजनाओं को बनाने की उम्मीद की जाती है। व्यवहार में ऐसा कभी नहीं होता है तथा एक छोटे समूह का ही ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा दोनों पर नियंत्रण तथा अधिकार होता है।

समाज कार्य हस्तक्षेप के तरीकों की संकल्पना करना

जिन समस्याओं की पहचान की गई हो, उन्हें 'मुद्दे' (issue) के प्रारूप में विकसित किया जा चाहिए। इस प्रक्रिया को व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

- उस समस्या की पहचान करना जिसपर कार्य करना है
- लक्षित समूह का निर्णय करना, मात्रात्मक विस्तार में।
- उन उद्देश्यों के लिए कार्य करना जिनमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक विस्तार दोनों हैं।
- सहयोगात्मक कार्य के लिए स्थानीय संस्थागत संरचनाओं की पहचान करना।
- कार्यवाही के तरीके का निर्णय करना।
- किए गए कार्य के मूल्यांकन के लिए कुछ गुणात्मक तथा मात्रात्मक सूचकों को सूचीबद्ध करना।

एक बार ये कदम उठा लिए जाएँ तो हस्तक्षेप के उपायों की विस्तृत रूपरेखा तैयार हो जाती है। अब उन विशिष्ट तरीकों का निर्णय किया जाना चाहिए जिसके लिए प्रस्तावित कार्यवाही का निम्नलिखित तरीका सहायक हो सकता है:

- कौन से विशेष कदम उठाए जाने चाहिए?
- प्रस्तावित उपायों के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होगी?
- संसाधनों को कहाँ से प्राप्त किया जाएगा?
- लिए जाने वाले सहयोग की प्रकृति के लिए संस्थागत् इकाई के अधिकारी के साथ बातचीत।

5.4 शहरी समुदाय के साथ समाज कार्य

शहरी समुदाय की विशेषताएँ

- शहरी समुदाय का व्यवसायिक पैटर्न ग़ैर–कृषि व्यवसायों द्वारा नियंत्रित होगा। उसके कार्य के घंटे नियमित होंगे तथा धन मजदूरी अथवा वेतन के रूप में मिलेगा। जनसंख्या का एक भाग औपचारिक अर्थव्यवस्था से संबद्ध होगा जहाँ नियम और कानून प्रभावी होंगे तथा वहाँ आर्थिक सुरक्षा अधिक होगी। वहाँ सामाजिक सुरक्षा के उपायों के लिए भी वृद्धावस्था पेंशन, बचत योजना आदि के रूप में प्रावधान होंगे तथा ऋण लेने की सुविधा भी होगी।
- निम्न आय वाले परिवार शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से बंधे होते हैं जहाँ आर्थिक असुरक्षा अधिक होती है तथा नियमों और कानूनों के लिए कम स्थान होता है। सामाजिक सुरक्षा के उपायों के प्रावधान शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बहुत कम होते हैं। सामान्यतः निम्न आय वाले परिवार झुग्गियों में रहते हैं जो दो प्रकार की होती हैं। ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ जिन्हें नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा मान्यता मिली होती है उन्हें सिर्फ नगरीय सुविधाएँ ही नहीं मिलती हैं बल्कि वहाँ के निवासी अपने जमीनध मकान के मालिक बन जाते हैं तथा करदाता भी बन जाते हैं। लेकिन ग़ैर–मान्यता प्राप्त झुग्गियों की दोहरी असमर्थता होती है। क्योंकि वे नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा मान्य नहीं होती है इसलिए उन्हें नगरीय सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं और उन्हें किसी भी समय अपने घरों/स्थानों से हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन मकानों के दाम भी नहीं बढ़ते हैं और वे संपत्ति नहीं बन पाती हैं।
- शहरी समुदाय का एक भाग प्रवासी होता है। छोटे शहरों में आसपास के गाँवों से प्रवास होता है जबकि बड़े शहरों तथा औद्योगिक स्थानों पर प्रवासी दूर के स्थानों से

भी आ सकते हैं वे अपने साथ अपनी संस्कृति भी ले आते हैं और संभवतः भिन्न भाषाई समूहों, जाति समूहों अथवा धर्म के होते हैं।

- शहरी समुदाय की जनसंख्या अधिक होती है और उसमें बड़े पैमाने पर विषमता भी होती है।
- इनकी सामाजिक संरचना में द्वितीयक बंधनों का अधिक प्रभाव दिखाई देता है और इनमें एकल परिवार का प्रभाव भी अधिक होता है। शहरी समुदाय में भौगोलिक तथा व्यवसायिक गतिशीलता ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा अधिक होती है।
- विभिन्न स्रोतों के प्रभाव के कारण शहरी समुदाय का सदस्य अपने मूल समूह के आदर्शों तथा नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से माने यह ज़रूरी नहीं है तथा उसका अपने समूह के साथ बहुत अधिक जुड़ाव होगा यह भी ज़रूरी नहीं है।

शहरी समुदाय में संस्थागत् संरचनाएँ

शहरी समुदाय में ग्रामीण समुदाय की तुलना में विभिन्न प्रकार के संगठन दिखाई पड़ते हैं। यह विविधता कुछ तो शहरी समुदाय की विषयरूपी प्रकृति के कारण होती है और कुछ इसलिए होती हैं क्योंकि ज्यादातर शहरी क्षेत्र उद्योगों तथा स्थानीय प्रशासन के केन्द्र होते हैं। वे स्थानीय समुदाय के जीवन से विभिन्न रूपों में टकराते हैं और यह समझना ज़रूरी है कि वे कैसे काम करते हैं। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं:

क) सरकारी संस्थाएँ

अनेक सरकारी विभाग अपने कार्य करते हैं, जो शहरी समुदाय में महत्त्वपूर्ण हैं। राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शहरी योजना प्राधिकरण, राशन विभाग, उद्योग विभाग आदि ऐसे ही विभाग हैं।

ख) ग़ैर–सरकारी संस्थाएँ

शहरी समुदाय में अनेक ग़ैर–सरकारी संगठन होते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक की शैक्षिक संस्थाएँ देखी जा सकती हैं। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, व्यापारी संघ, धार्मिक संस्थाएँ, सामाजिक संगठन, छात्र संगठन, महिला संगठन आदि यहाँ के कुछ अन्य सामान्य संगठन हैं। व्यवसायिक संस्थाएँ जैसे उद्योग तथा बैंक शहरी व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक दल तथा समाज कार्य संगठन शहरी समुदाय के कुछ अन्य प्रमुख संगठन हैं।

ग) वैधानिक तथा जन संस्थाएँ

सबसे महत्त्वपूर्ण जन संस्था नगरपालिका होती है। सहकारिता के क्षेत्र में अनेक संगठन पाए जाते हैं – जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण सहकारी आवास संस्थाएँ तथा ऋण सहकारी संस्थाएँ हैं। अनेक राज्यों में, शहर की योजना का कार्य वैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है।

शहरी समुदाय में समस्याएँ

क) व्यक्तिगत स्तर पर समस्याएँ

विभिन्न प्रकार के पारिवारिक विवाद इस श्रेणी में आते हैं। इनमें सबसे सामान्य पति–पत्नी के बीच के विवाद अथवा परिवार के सदस्यों की दो पीढ़ियों के बीच के विवाद हैं। इन विवादों की प्रकृति मूल्यों के विवाद की अधिक होती है और इसमें एक या दो व्यक्तियों पर ही ध्यान केन्द्रित होता है, जिसमें मानव व्यक्तित्व अहम् भूमिका निभाता है। बच्चों की समस्याएँ एक अलग कार्यक्षेत्र हैं। पीढ़ियों के बीच के झगड़ों के शहरी परिवारों में होने की अधिक संभावना रहती है।

ख) समूह के स्तर पर समस्याएँ

समूह के स्तर पर समस्याएँ सामाजिक–आर्थिक स्थितियों की प्रकृति की अधिक होती है। यह वृद्धजनों, एकल माता–पिता, बेरोज़गार भिखारी, विद्यालय से निकाले गए विस्थापित, अनाथ, जुर्म के शिकार किशोर अपराधी, एड्स पीड़ित समूह, मानसिक रूप से पीड़ित रोगी, अपंग आदि की समस्याएँ हो सकती हैं।

ग) समुदाय के स्तर पर समस्याएँ

यहाँ तय करने वाला तत्त्व प्रभावित समूह के स्थान पर जनसंख्या का एक भाग है। यह समुदाय का एक बड़ा भाग अथवा पूर्ण समुदाय हो सकता है। मुद्दों के मामले में यह मद्यपान, सफाई, स्वास्थ्य, हिंसा, पर्यावरणीय निम्नीकरण, पेयजल, मज़दूरी की समस्या, ढाँचागत् समस्याएँ, शोषण तथा अत्याचार की समस्या आदि हो सकती है। अन्य मुद्दे गरीबी तथा बेरोज़गारी, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) सूची में गरीब व्यक्तियों के नाम दर्ज करना आदि हो सकते हैं।

समाज कार्य हस्तक्षेप के उपायों की संकल्पना करना

पहचान की गई समस्याओं को 'मुद्दे' (issue) के प्रारूप में विकसित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिएः

- उस समस्या की पहचान करना जिस पर कार्य करना है।
- लक्षित समूह का निर्णय करना – मात्रात्मक विस्तार में
- उन उद्देश्यों के लिए कार्य करना जिनमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक विस्तार दोनों हों।
- सहयोगात्मक कार्य के लिए स्थानीय संस्थागत् संरचनाओं की पहचान करना

- कार्यवाही के तरीके का निर्णय करना
- किए गए कार्य के मूल्यांकन के लिए कुछ गुणात्मक तथा मात्रात्मक सूचकों की सूचीबद्ध करना।

एक बार ये कदम उठा लिए जाएँ तो हस्तक्षेप के उपायों की विस्तृत रूपरेखा तैयार हो जाती है। अब उन विशिष्ट तरीकों का निर्णय किया जाना चाहिए जिसके लिए प्रस्तावित कार्यवाही का निम्नलिखित तरीका सहायक हो सकता है।

- कौन से विशेष कदम उठाए जाने चाहिए?
- प्रस्तावित उपायों के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होगी?
- संसाधनों को कहाँ से प्राप्त किया जाएगा?
- लिए जाने वाले सहयोग की प्रकृति के लिए संस्थागत् इकाई के अधिकारी के साथ बातचीत।

5.5 जनजातीय समुदाय के साथ समाज कार्य

जनजातीय समुदाय की विशेषताएँ

- जनजाति को परिभाषित करने की समस्या ने प्रशासकों, मानव विज्ञानियों तथा समाज विज्ञानियों को चुनौती दी है, जिन सभी ने इसकी अलग परिभाषाएँ दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation-ILO) ने अपनी 1953 की रिपोर्ट में यह बताया था कि ''ऐसे कोई मानक नहीं हो सकते हैं, जो संपूर्ण विश्व में सभी आदिवासी या देशज समूहों पर लागू हो सके'' (देवगांवकर, 1994:15) हालाँकि कोई भी समूह जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ हो उसे जनजाति माना जा सकता है:

  – एक निश्चित आवास तथा क्षेत्र
  – एक एकीकृत सामाजिक संगठन जो प्राथमिक रूप से रक्त संबंधों (समोद्भवी) पर आधारित हों।
  – सांस्कृतिक एकरूपता
  – समान देवी देवता तथा समान पूर्वज
  – समान भाषा/बोली तथा समान लोककथाएँ

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के तहत् जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है और इसमें 14 राज्यों की 212 जनजातियों को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 342 (i) के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी क्षेत्र की किसी भी जनजाति/जनजातीय समूह को 'अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर दें। इस प्रकार की घोषणा पर विशेष रूप से उल्लेखित की गई वह जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में पाँचवी तालिका (fifth schedule) में सम्मिलित कर दी जाती है और इस तरह से वह सभी संवैधानिक सुरक्षण तथा रक्षा की हकदार बन जाती है।
- भारत के संविधान में जनजातीय जनसंख्या की सुरक्षा तथा कल्याण के लिए अनेक प्रावधान हैं। अनुच्छेद 46 में उल्लेख है कि राज्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा सभी प्रकार के सामाजिक–आर्थिक शोषण से उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनुच्छेद 275 भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों को जनजातीय कल्याण के लिए विशेष अनुदान प्रदान करता है तथा छठवीं तालिका का एक भाग बनाता है। अनुच्छेद 164 बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के राज्यों में जनजातीय कल्याण के लिए कार्यवाहक मंत्री की नियुक्ति को आवश्यक बनाता है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए पाँचवीं तालिका के प्रावधानों को लागू करना संभव बनाता है।
- हमारे देश में झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है उसके बाद महाराष्ट्र तथा राजस्थान हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति देश की कुल जनसंख्या का 8.01 प्रतिशत भाग है।

- वेरियर एल्विन के अनुसार जनजातीय लोगों को चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। पहले, जो अब तक वनों में रह रहे हैं तथा प्राचीन जीवन शैली को अपनाते हैं। दूसरे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और कृषि पर निर्भर हैं। तीसरे जो शहरी क्षेत्रों में आ गए हैं तथा उन्होंने आधुनिक औद्योगिक व्यवसायों को अपना लिया है। चौथे, जो पूरी तरह से मुख्यधारा में घुलमिल कर उसी का एक भाग बन गए हैं। प्रसिद्ध

भारतीय समाजशास्त्री घूर्ये की वर्गीकरण की योजना भिन्न है। पहली श्रेणी उन लोगों की है, जिन्होंने संघर्ष किया है तथा भारतीय समाज में उच्च पदवी प्राप्त की है जैसे राजगोंड। दूसरे जो आंशिक रूप से हिन्दू हो गए हैं और तीसरे जो वनों में रहते हैं तथा बाहरी संस्कृति का विरोध करते हैं।

- आकार के हिसाब से जनजातीय समुदाय छोटे हैं। पारंपरिक रूप से जनजातीय लोग भूमि के स्वामी थे और भूमिहीन हो जाने की समस्या के बावजूद इनका एक बड़ा वर्ग अब भी भू–स्वामी हैं।
- पारम्परिक रूप से जनजातीय लोग भूमि सहित संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व की भावना को मानते थे और अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति वन से करते थे। आज भी जनजातीय लोग अन्य समुदाय के सदस्यों की तुलना में बाज़ार की संरचना के साथ कम समाकलित होते हैं।
- जनजातीय समुदाय में महिलाओं का स्तर (ओहदा) बेहतर है और उन्हें निर्णय लेने के अधिक अधिकार हैं। यह इस तथ्य से पता चलता है कि प्राचीन समय में आज के मुख्यधारा समाज में दिए जाने वाले दहेज' के स्थान पर 'दुल्हन को धन' देना पड़ता था।
- पूर्व ब्रिटिश काल में जनजातीय लोगों की स्वायत्त संस्कृति थी और ये प्रकृति प्रेमी समुदाय थे। ब्रिटिश काल के शुरू होने के बाद से जनजातीय समुदाय भारतीय समाज की मुख्यधारा में मिलने लगा लेकिन यह समाज के निचले तबके में मिल रहा था। यह प्रक्रिया परसंस्कृतिग्रहण (acculturation) कहलाती है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी जाति की संपूर्ण जीवनशैली किसी दूसरी संस्कृति के प्रभाव में आकर पूरी तरह से बदल जाती है। यह संस्कृति परिवर्तन धीमी अथवा तेज गति से हो सकता है और समय के साथ साथ इसका दूसरी संस्कृति में आंशिक अथवा पूर्ण विलय भी हो सकता है। प्रत्येक जनजातीय समूह का भिन्न स्तर भी हो सकता है। (देवगाँवकर 1994:16)।

जनजातीय समाज में संस्थागत् संरचना

पारम्परिक संस्थाएँ जैसे घोटुल, जो युवाओं के समाजीकरण में सहायक रही हैं, वे कमजोर हो रही है तथा आधुनिक संरचनाएँ उभर रहीं हैं। पंचायती राज प्रणाली, सहकारी संस्थाएँ, शैक्षिक संस्थाएँ तथा बाज़ार की संरचनाएँ अब धीरे–धीरे जनजातीय क्षेत्रों में उभर रही हैं। अनेक सरकारी विभाग, जिनमें से कुछ जनजातीय मामलों के लिए विशेषीकृत है, जनजातीय समुदाय के बीच कार्य कर रहे हैं। अनेक जनजातीय क्षेत्रों में समाज कार्य संगठन जिनमें से

अधिकतर ग़ैर–सरकारी संगठन हैं, उन्होंने शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

जनजातीय समाज की समस्याएँ

भूमि हस्तांतरणः जनजातीय लोगों का बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसके पास कृषि योग्य जमीन है। ब्रिटिश काल से ही व्यापारी, पूँजीपति तथा मेहनती किसान जनजातीय क्षेत्रों में आ गए थे और उन्होंने बेईमानी से जनजातीय जमीनों को हथिया लिया था। अतः जनजातीय लोग जो पारंपरिक रूप से किसान थे वे खेतीहर मजदूर बन गए और बहुत सी जगह तो वे अपनी ही जमीन में बंधुआ मजदूर बन गए। बाद में जनजातीय व्यक्ति तथा ग़ैर–जनजातीय व्यक्ति के बीच भूमि के सौदे रोकने के लिए कानून पास हुआ जिसने बहुत हद तक इस प्रक्रिया का रोका।

वन तथा जनजातियाँः सदियों से जनजातियाँ प्रकृति के साथ सहवासी रही हैं तथा ईंधन, चार तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर रही हैं। छोटे वन उत्पादों का एकत्रित करके वे उन्हें भ्रमणकारी व्यापारियों को अथवा आसपास के बाज़ार में बेचकर बाज़ार से आवश्यक वस्तुएँ खरीद लेते हैं। ब्रिटिश शासन काल से ही ये पारम्परिक अधिकार जो निस्तार अधिकार कहलाते थे. मान्य थे और इन्हें सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त थी। वन का जनजातियों द्वारा उपयोग पूर्णतः घरेलू उपभोग के लिए था तथा वन क्षेत्र संरक्षित था। ब्रिटिश काल में वनों के व्यवसायिक शोषण का आरंभ हुआ, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में भी जारी रहा। इस प्रक्रिया से वनों पर जनजातियों के अधिकारों में ही कटौती नहीं हुई बल्कि बेईमान ठेकेदारों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर वनों के बड़े क्षेत्रों को काट दिया। जनजातियों की वन तक पहुँच कम हो गईं तथा उन्हें सीमित उपयोग का अधिकार दिया गया जिसके लिए स्थानीय वन अधिकारियों को घूस देकर तथा उनसे बेइज्जत होकर उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी। वर्तमान में वन नीति में कुछ परिवर्तन किया गया है तथा वन के प्रबंधन को स्थानीय समुदाय को भरोसे में लेकर संयुक्त वानिकी प्रबंधन योजनाओं (Joint Forestry Management Schemes) को चलाया गया है।

विस्थापनः एक प्रमुख समस्या जो जनजातीय समुदाय झेल रहा है, खासतौर पर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोग, वह विस्थापन की समस्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में अनेक परियोजनाएँ स्थापित की गई जिन्होंने जनजातीय लोगों की जमीन तथा उन वनों को ले लिया जहाँ वे रह रहे थे। 1980 के दशक से शुरू हुए सामाजिक आंदोलनों ने इस समस्या पर ध्यान दिया और अब किसी भी बड़ी परियोजना को लागू करते समय पुनर्वास के पैकेज को सम्मिलित किया जाता है। एक उचित पुनर्वास पैकेज की कठिनाई

तथा उनके उचित कार्यान्वयन की समस्याओं के अतिरिक्त एक बड़ी समस्या यह है कि जहाँ जनजातीय व्यक्ति अपनी भूमि खो देता है और उसे मुआवजा दिया जाता है। उसके पास उस मुआवजे को सुरक्षित तरीके से निवेश करने अथवा उतनी ही बड़ी जमीन खरीदने में समस्याएँ आती हैं। जब सभी जनजातीय समुदाय को वहाँ से हटा दिया जाएगा तो हानि जीवन के तरीके में होगी जिसकी पूर्ति कोई भी मुआवजा नहीं कर पाएगा।

गरीबी और बेरोज़गारीः जनजातीय लोगों का जीने का तरीका 'उपयोग' तथा भरण पोषण पर आधारित था। संपत्ति का स्वामित्व, उत्पादन बढ़ाना, बचत तथा बाज़ार की ताकतों के साथ व्यवहार करना, उनके लिए अपेक्षाकृत अनजाना था। शहरीकरण तथा औद्योगीकरण के विकास, आधुनिक शिक्षा के उद्‌भव तथा नए कौशलों ने जनजातीय समुदाय को हानि पहुँचाई है। जब पुरानी दुनिया का विघटन हो रहा था तब वे नए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने में साधनहीन थे। जनजातीय समुदाय में बहुत अधिक गरीबी तथा बेरोज़गारी है। पिछले दो दशकों में जनजातीय लोगों का एक छोटा भाग उभरा है जो शिक्षित है तथा जिन्हें अच्छी नौकरियाँ मिल गई हैं। पिछले कुछ दशकों की सामाजिक–आर्थिक नीतियों के कारण विद्यालयों, छात्रावासों की स्थापना हुई है, छात्रवृत्तियाँ दी जाने लगी हैं, विकासात्मक परियोजनाएं शुरू हुई हैं, और जनजातीय लोगों के एक छोटे वर्ग ने इन कार्यक्रमों का लाभ उठाया है – वे शिक्षित हैं और उन्हें सरकारी क्षेत्रों में स्थायी नौकरियाँ मिल गई हैं। लेकिन ये बदलाव बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों के जीवन में नहीं आए हैं।

अधिकांश गरीब जनजातीय लोग या तो भूमिहीन हैं अथवा साधारण किसान हैं। सिंचाई के कम विस्तार के कारण भारत में खेती मानसून पर निर्भर करती है। एक ही फसल उगाने से जनजातीय किसान के पास कुछ बचत की गुंजाइश नहीं रहती है और साल में छह महीने भूमिहीन जनजातीय लोगों के पास कोई काम नहीं रहता है।

भाषा तथा पहचानः अधिकांश जनजातीय लोग पूरे देश में फैले हुए हैं और ज्यादातर जगहों पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा/बहुसंख्यक नहीं है। उन्हें हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त उस राज्य की भाषा को भी सीखना पड़ता है, जिसमें वे रहते हैं और इस प्रक्रिया में जनजातीय भाषा तथा लिपियाँ खत्म हो रही हैं। उनकी भाषा के खत्म होने के साथ ही उनकी जीवनशैली भी खत्म हो रही है और उनके लिए पहचान का खतरा पैदा हो गया है। कुछ स्थानों पर बाहरी ताकतों द्वारा शोषण के विरुद्ध तथा जनजातीय पहचान के दावे के लिए जनजातीय आंदोलन हुए हैं। इन प्रक्रियाओं का एक नतीजा बिहार में से झारखंड राज्य का बनना है। उत्तर–पूर्वी राज्यों के अतिरिक्त झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ जनजातीय लोगों की संख्या बहुत अधिक (बहुसंख्यक) है।

समाज कार्य हस्तक्षेप के उपायों की संकल्पना करना

जैसा कि पहले के भागों में बताया गया है कि जनजातियों की समस्याएँ विभिन्न सामाजिक आर्थिक प्रकृतियों की हो सकती हैं। कार्य का लक्ष्य इन समुदाय की पहचान करना तथा निम्नलिखित संदर्भ में प्राथमिकताओं का निर्णय करना होना चाहिए:

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) भारतीय गाँव की तीन प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) जनजातीय समुदाय को कौन–सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.6 सारांश

पारम्परिक रूप से समुदाय वह रचना थी, जिसमें व्यक्ति रहते थे, अपनी संस्कृति के बारे में तथा अन्य लोगों की संस्कृति के बारे में सीखते थे। आधुनिक जगत् जो औद्योगीकरण तथा शहरीकरण पर आधारित है वह समुदाय की संकल्पना का क्षय कर रहा है। भारत में समुदाय शब्द का अर्थ जाति, धर्म अथवा भाषा पर आधारित समूह भी होता है। इस इकाई में हमने समाज कार्य के व्यवहार के क्षेत्र का निरीक्षण किया है, और वह ग्रामीण, शहरी तथा जनजातीय समुदाय के संदर्भ में 'समुदाय के साथ समाज कार्य' है।

हमने समुदाय की संकल्पना की कुछ परिभाषाएँ दी हैं तथा समुदाय की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं को विस्तार से समझाया है। समुदाय के विभिन्न विस्तारों की समझ विकसित करने के लिए इसके तीन उप–व्यवस्थाओं की रचना को प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक उप–व्यवस्था व्यवसाय, आमदनी आदि के बारे में बताता है जबकि राजनीतिक उप–व्यवस्था समुदाय में शक्ति (अधिकार) के वितरण की चर्चा करता है। सामाजिक उप–व्यवस्था समुदाय के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करता है। तीनों उपव्यवस्था एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। राजनीतिक मसलों की जड़े आर्थिक मुद्दों में होती है और आर्थिक मामलों की राजनीतिक में। सभी मसलों के सामाजिक संदर्भ होते हैं।

परिभाषाएँ, विशेषताएँ तथा उप–व्यवस्था विद्यार्थियों को समुदाय की संकल्पनात्मक प्रकृति को समझने में और उन्हें अगली अवस्था के लिए तैयार करने में समर्थ बनाते हैं, जो समाज कार्य हस्तक्षेप की कार्य पद्धति है। हस्तक्षेप को शहरी, ग्रामीण तथा जनजातीय समुदाय के संदर्भ में बताया गया है। हस्तक्षेप के उपायों से पूर्व सूचनाएँ एकत्रित की जानी चाहिए तथा प्रत्येक व्यवस्था की एक समझ विकसित करनी चाहिए। ये करने के लिए हम उन प्रमुख विशेषताओं, संस्थागत् संरचनाओं तथा समस्याओं का निरीक्षण करते हैं, जिनका समुदाय सामना करते हैं। इन तीनों पहलुओं की समझ हमें तीसरी अवस्था में पहुंचने में सहायक होती हैं, यानि हस्तक्षेप के प्रभावी तथा प्रासंगिक उपायों की रचना करना। इकाई का अंत उन लक्ष्यों की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त चर्चा से किया गया है, जिन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए।

5.7 शब्दावली

सामाजिक (Social) : यह शब्द एक संगठित समुदाय में जीवन के लिए है, यानि किसी समुदाय में जन्म लेने तथा वृद्धि करने के लिए। इसकी पहचान अन्य इंसानों के साथ सहयोगी साहचर्य के द्वारा तथा भाषा, साहित्य, संगीत, परम्परा, आदर्शों तथा नैतिक मूल्यों आदि के संदर्भ में संस्कृति को सीखने/समझने के द्वारा भी होती है।

राजनीतिक (Political) : राजनीतिक का अर्थ यहाँ शक्ति (अधिकार) की है, संकल्पना तथा उस तरीके से जिसके द्वारा समाज में शक्ति (अधिकारों) का वितरण होता है। समाज के कुछ वर्गों के पास शक्ति होती है और कुछ शक्तिहीन होते हैं और इन दोनों के बीच सतत् संघर्ष चलता रहता है। यह प्रक्रिया ही है, जो राजनीतिक शब्द की पहचान करती है।

परिवर्तन (Change) : परिवर्तन का अर्थ यहाँ बदलाव करने अथवा पहले की स्थिति से भिन्न स्थिति निर्मित करने से है। स्थितियों की एक अवस्था से दूसरी में जाने को ही परिवर्तन कहा जा सकता है। इस शब्द का उपयोग समाज के संदर्भ में हुआ है जहाँ कुछ भिन्न घटनाएँ होती रहती हैं। कभी ये छोटी घटनाएं हो सकती हैं, जिनपर ध्यान नहीं जाता है और कभी–कभी ये ऐसी बड़ी घटनाएँ हो सकती हैं, जिनपर तत्काल ध्यान जाता है। बड़ें परिवर्तनों के बाद छोटे परिवर्तन होते है।

द्वन्द्व (Conflict) : द्वन्द्व का अर्थ है टकराव अथवा संघर्ष। दो भिन्न मतों के बीच टकराव से द्वन्द्व की स्थिति उत्पन्न होती है। इस इकाई में द्वन्द्व शब्द का उपयोग समाज के वृहत् रूप में किया गया है जहाँ बहुत से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मसलों में विरोधाभासी मत होते हैं। विवाद नैसर्गिक रूप से कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है और एक बार सुलझ जाने पर इससे सुधार की स्थिति बन सकती है।

संस्थागत् (Institutional): संस्थागत् शब्द का प्रयोग किसी संगठन के औपचारिक प्रतिष्ठान के लिए किया गया है, जिसमें उद्देश्य, कर्मचारीगण, फंड (वित्त), नीतियों और क्रियान्वयन के लिए कोई कार्यक्रम होता है। संगठनों को कुछ सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा के साथ बनाया गया है, जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं और इस अर्थ में शब्द संस्थागत् का उपयोग किया गया है।

5.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

एबरक्रोम्बी, एन., हिल, एस. तथा टर्नर, बी. एस. (1984), द पेंग्विन डिक्शनरी ऑफ सोशलॉजी, एलन लेन, लंदन।

चौधरी, डी.पी. (1979), सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, आत्माराम एंड संस, दिल्ली।

दत्ता, आर. (1971), वेल्यूज इन मॉडल्स ऑफ माडर्नाइजेशन, विकास पब्लिकेशंस, दिल्ली।

देवगांवकार, एस.जी. (1994), ट्राइबर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट विद एथ्नोग्राफिक प्रोफाइल्स ऑफ सेलेक्टेड ट्राइब्स, कंसेप्ट पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

गेंग्रेड, के. डी. (1971), कम्युनिटी ऑर्गनाइजेशन इन इंडिया, पापुलर प्रकाशन, बम्बई।

गोरे. एम.एस. (1997), ''ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन'', द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, खंड 58, अंक 3, जुलाई।

हेबसर, आर. के. (सं.) (1996), सोशल इंटरवेन्शन फॉर जस्टिस, टी. आई. एस. एस. मुम्बई।

कोसाम्बी, डी.डी. (1995), इंट्रोडक्शन टु द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पापुलर बुक डिपो, बम्बई।

मेयर्स, एच. जे. (1972). ''सोशल वर्क'' इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइन्सेज, खंड 13, द मैकमिलन कंपनी तथा द फ्री प्रैस, लंदन।

मैथ्यू, जी. (1991), इंट्रोडक्शन टु सोशल केसवर्क, टी. आई. एस. एस., मुम्बई।

पानवाल्कर वी.जी. (1987), ''सोशल वर्क इन रूरल सैटिंग'', एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, खंड सं. III

5.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) समुदाय की संकल्पना की तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- एक ही इलाके में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों में तथा शहरों में आसपड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के समूह।
- व्यक्तियों के इस समूह में कुछ समान सामाजिक तथा आर्थिक विशेषताएँ होती हैं। समान व्यवसाय, आमदनी तथा खर्च कुछ आर्थिक विशेषताएँ हो सकती हैं। जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति की विरासत कुछ सामाजिक विशेषताएँ हो सकती हैं।
- व्यक्तियों के इस समूह की पहचान एक दूसरे से होती है और उनके बीच में भाईचारे की भावना होती है। "अपनेपन'' की भावना सिर्फ समुदाय के लोगों तक ही सीमित होती है, जो उन्हें अन्य समुदाय से अलग करती है।

2) यहाँ एक व्यवस्था के रूप में समुदाय का अर्थ यह है कि ये अनेक भागों से मिलकर पूरा होता है, जो क्रियात्मक रूप से एक–दूसरे से संबद्ध रहते हैं। क्रियात्मक यहाँ उस उपयोगी भूमिका को बताता है, जिसे प्रत्येक भाग निभाता है। जब सभी भाग क्रियात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वे एक समाकलित पूर्ण रचना बनाते हैं। व्यवस्था के रूप में समुदाय के तीन उपव्यवस्था हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- आर्थिक उप–व्यवस्था व्यवसाय, आमदनी, खर्च तथा संपत्ति जैसे पहलुओं के बारे में बताता है।

- राजनीतिक उप–व्यवस्था यह देखता है कि समुदाय में शक्ति (अधिकार) का वितरण किस प्रकार हुआ है। यह ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजता है जैसे समुदाय की शक्ति (अधिकार) किसके पास है? वह किस पर आधारित है और उसका उपयोग कैसे होता है।
- सामाजिक उप–व्यवस्था लोगों के जीवन को जाति, धर्म, आदशों तथा नैतिक मूल्यों, विवाह एवं परिवार, संगीत, उत्सव तथा संबंधित पहलुओं के संदर्भ में देखता है।

बोध प्रश्न II

1) भारतीय गाँव की तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- अधिकांश गाँवों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है क्योंकि अधिकांश किसान अब भी मानसून पर निर्भर करते हैं, अतः समय पर बारिश होने और अच्छी फसल की संभावना में बहुत अनिश्चितता होती है। असमय बारिश से खराब फसल कम उपज तथा कम आमदनी होती है। यह परिवार को बच्चों की शिक्षा के लिए अथवा बचत या कोई बड़ा निवेश करने जैसी लम्बी अवधि की योजनाओं को प्रभावित करता है।
- पचास वर्षों से भी अधिक की वृद्धि और विकास के बाद भी गाँव के दो प्रमुख व्यवसाय खेती तथा मज़दूरी ही है। ग़ैर–कृषि संबंधित कामों की संख्या बहुत कम है।
- गाँव की सामाजिक संरचना जाति तथा पारम्परिक परिवार की संरचना पर बहुत अधिक आधारित है। एक ही जाति के सदस्य एक–दूसरे के आसपास रहते हैं। प्राथमिक बंधन मजबूत हैं तथा पारम्परिक आदर्श तथा मूल्य लोगों के जीवन को शासित करते हैं।

2) जनजातीय समुदाय द्वारा निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया जाता है:

- पारिवारिक उपभोग के लिए वन उत्पादों का प्रयोग करने के उनके पारम्परिक अधिकारों को रोक दिया गया है।
- उनकी जमीन ग़ैर जनजातीय लोगों द्वारा ले ली गयी है।
- बड़ी परियोजनाएँ लगाए जाने के कारण उनको विस्थापित किया जा रहा है।
- उनकी भाषा तथा पहचान खत्म हो रही है।

इकाई 6 सुधारक स्थापन में समाज कार्य

*डॉ. वी.वी. देवासिया

रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 सुधार के संदर्भ में समाज कार्य की विशेषताएँ

6.3 सुधार में समाज कार्य के मूल्य

6.4 सुधारक स्थापन और समाज कार्यकर्त्ता का कार्य

6.5 सुधारक स्थापन में सामाजिक केस कार्य

6.6 सुधारक स्थापन में समाज समूह कार्य

6.7 पुलिस विभाग और अदालत में समाज कार्य

6.8 सारांश

6.9 शब्दावली

6.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य आपको सुधारक स्थापन में समाज कार्य हस्तक्षेप के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। इन उद्देश्यों में समाज कार्य के सिद्धान्तों, मूल्यों और कार्यों की पद्धति एवं सुधारक संस्थाओं में इनके व्यवहार, प्रोबेशन, पैरोल (parole), बाद की देखभाल और पुलिस तथा न्यायालय जैसे अपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य स्थापनों में समाज कार्य की भूमिका के बारे में जानकारी देना शामिल है। इस इकाई को पढ़ने के बादः

- सुधारक स्थापन में समाज कार्य की विशेषताओं को समझ सकेंगे;
- सुधार के संदर्भ में समाज कार्य की मूलभूत मान्यताओं और कार्यों का पता लगा सकेंगे;
- सुधार के संदर्भ में समाज कार्य के मूल्य को जान सकेंगे; सुधार में समाज कार्य प्रक्रिया को खोज सकेंगे;
- सुधारक स्थापन में समाज कार्यकर्त्ता के कार्य की चर्चा कर सकेंगे;

* डॉ. वी.वी. देवासिया, एम.एस.एस. इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क, नागपुर।

- सुधार में केस समाज कार्य की भूमिका पर प्रकाश डाल सकेंगे;
- सुधार में समूह समाज कार्य की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे;
- पुलिस और न्यायालय के साथ समाज कार्यकर्त्ता के कार्य को निर्धारित कर सकेंगे;
- मुख्य अवधारणाओं को समझ सकेंगे; और
- अध्ययन सामग्री को भली प्रकार से आत्मसात् करने के लिए अधिक अभ्यास कर सकेंगे।

6.1 प्रस्तावना

समाज कार्य तेजी से विकसित हो रहा व्यवसाय है, इसमें सामाजिक स्थिति में व्यक्तियों और प्रणालियों के बीच अंतःक्रिया पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है और अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए भौतिक अथवा भावात्मक संसाधन और सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता करने तथा जीवन कार्यों में सहायता के लिए व्यक्ति, प्रणालियों पर निर्भर करते हैं। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या समाज कार्य के सिद्धान्त, सुधारक स्थापन में भी लागू होते हैं? इसका उत्तर सकारात्मक है। इसलिए प्रोबेशन और पैरोल के अलावा केस कार्य और समूह कार्य जैसे समाज कार्य की विभिन्न पद्धतियाँ सुधारक संस्थाओं में लागू होती है। सुधारक स्थापन दोषी (delinquent) अथवा अपराधी पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। फिर भी, यदि किसी का उपयोगी सुधारक अनुभव है और समाज कार्य कार्यकर्त्ता की सेवा वास्तव में सहायता करने पर आधारित है तो इन सीमाओं से सरलता से निपटा जा सकता है। इसलिए, समाज कार्य सिद्धान्त सहायता प्रक्रिया की गत्यात्मकता की समझ, सुधारक स्थापन में उपयोगी सेवा के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है।

6.2 सुधार के संदर्भ में समाज कार्य की विशेषताएँ

समाज कार्य पाठ्यचर्या अध्ययन के अनुसार "समाज कार्य, व्यक्तियों के अकेले अथवा समूहों में उनके सामाजिक संबंधों पर केन्द्रित गतिविधियों के द्वारा समाज कार्य को बढ़ाता है। ये सामाजिक संबंध मनुष्य और उसके पर्यावरण में अंतक्रिया से बनते हैं। कार्यकलापों को तीन अकार्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है – दुर्बलता/कमी/बिगड़ाव/विकृति क्षमता में सुधार; व्यक्तिगत और सामाजिक संसाधनों का प्रावधान तथा सामाजिक अकार्य की रोकथाम।'' इस प्रकार समाज कार्य एक विषय है, जिसमें समाज के कई स्थापनों की समस्याओं की रोकथाम या सुधारात्मक कार्य किया जाता है। यह परिवारों की आर्थिक अथवा भावात्मक कठिनाई में सहायता करता है। यह चिकित्सा और स्कूल स्थितियों में काम करता है। यह दोषों और अपराधों के मूल में निहित कारणों में सुधार करता है। समाज कार्य के ये

तीनों कार्य अर्थात् क्षमता में सुधार; व्यक्तिगत और सामाजिक संसाधनों का प्रावधान तथा सामाजिक अकार्य की रोकथाम एक–दूसरे से जुड़े भी हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी है।

सुधार रोगनाशक (curative) भी हो सकता है अथवा स्वास्थ्य लाभकारी (rehabilitative) भी। रोगनाशक पक्ष के अंतर्गत् उन कारकों को हटाना शामिल है, जिनकी वजह से काम करने में बाधा आती है। वहीं स्वास्थ्य लाभकारी पक्षों में अंतक्रियात्मक प्रतिरूपों को व्यवस्थित एवं पुनर्निमित करना शामिल है। संसाधनों के प्रावधान विकासात्मक एवं शैक्षिक हो सकते हैं। विकासात्मक पक्षों को वर्तमान सामाजिक संसाधनों को बढ़ाने अथवा और अधिक प्रभावी सामाजिक अंतःक्रिया के लिए व्यक्तिगत क्षमताओं का पूरी तरह से इस्तेमाल करने की दृष्टि से तैयार किया जाता है। शैक्षणिक पक्षों को विशिष्ट स्थितियों और परिवर्तित सामाजिक संसाधनों में आवश्यकताओं से लोगों को परिचित कराने के लिए निर्मित किया जाता है।

सामाजिक विखंडन की रोकथाम के अंतर्गत् समाज के भली प्रकार से और प्रभावी ढंग से काम करने में दोषों अथवा अपराधों जैसी स्थितियों परिस्थितियों की आरंभिक खोज, नियंत्रण और दूर करना शामिल है। सामाजिक विखंडन की रोकथाम के दो प्रमुख भाग है। पहला लोगों और समूहों के बीच अंतःक्रिया के स्थापन से संबंधित समस्याओं की रोकथाम; तथा दूसरा है – सामाजिक बुराइयों की रोकथाम।

सुधारों के संदर्भ में समाज कार्य की मान्यताएँ इस प्रकार हैं:

1) अन्य व्यवसायों की भाँति समाज कार्य के समस्या समाधान कार्य हैं और इसलिए, यह अपराधियों को उनके इलाज और पुनर्वास में सहायक है।

2) समाज कार्य व्यवहार, वैज्ञानिक मूल्य–आधार के साथ एक कला है इसलिए सुधारक (correctional) कार्य अपनी प्रकृति में एक व्यवसाय है।

3) समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में उभरा और निरंतर विकसित होता जा रहा है क्योंकि यह समाज के द्वारा मान्य, मानव आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करता है। इसलिए यह समाजीकरण को मानता है और समाज के कार्यों पर नियंत्रण करना तथा अपराधियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने में मदद करता है।

4) समाज कार्य व्यवहार समाज के मूल्यों को ग्रहण करता है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि समाज में प्रचलित वे मूल्य विश्व व्यापी हों अथवा ज्यादा लोगों में स्वीकार्य हों। इसलिए समाज कार्य व्यवहार में अपराधी के इलाज और पुनर्वास पर ज़ोर दिया जाता है।

5) समाज कार्य के वैज्ञानिक आधार में ज्ञान के निम्नलिखित तीन प्रकार शामिल हैं:

क) जाँचा हुआ ज्ञान

ख) जाँचे हुए ज्ञान में रूपांतरित करने के लिए अपेक्षित परिकल्पित ज्ञान

ग) परिकल्पित ज्ञान और इसके बाद जाँचे हुए ज्ञान में रूपांतरित करने के लिए अपेक्षित कल्पित ज्ञान अथवा "व्यवहार विवेक" (Practice wisdom)।

सुधारक समाज कार्यकर्त्ता इन तीनों प्रकार के ज्ञान का उपयोग करता है और उसमें इतना व्यवसायिक दायित्व बोध होता है कि वह किस समय किस प्रकार के ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है और उससे ज्ञान–विशेष के साथ वैज्ञानिक–निश्चितता किस हद तक जुड़ी हुई है

6) समाज कार्य के लक्ष्यों और समस्याओं के समाधान के आधार पर समाज कार्य व्यवहार के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है इसलिए ये सुधार के प्रशासन पर लागू होते हैं।

7) समाज कार्यकर्त्ता स्वयं व्यवसायिक सहायता का साधन होता है और वह अपराधी को उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने में मदद करता है। इसलिए व्यवसायिक ज्ञान और मूल्यों को भली प्रकार आत्मसात् करना व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता की प्रमुख विशेषता है।

8) समाज कार्यकर्त्ता की गतिविधियों में व्यवसायिक योग्यता व्यक्त होती है। यह तीन आंतरिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप समाज कार्यकर्त्ता का कलात्मक सृजन करती है। ये तीन प्रक्रियाएँ हैं; प्रथम, अपराधी की मदद करने के लिए, वृत्तिक कार्य से संबंधित विशेष के लिए उपयुक्त ज्ञान विशेष का चयन। दूसरा, इस ज्ञान का समाज कार्य और सुधारात्मक मूल्यों के साथ संयोजन और तीसरा, इस संयोजन को सुधार कार्य को व्यवस्थित करने के और अपराधिक व्यवहार में सुधार करने के लिए वृत्तिक आधार पर उपयुक्त गतिविधि का रूप प्रदान करना।

ये मान्यताएँ समाज कार्यकर्त्ता की प्रतिबद्धताएँ निर्मित करती हैं। इसका यह भी अर्थ है कि समाज द्वारा समाज कार्य को सौंपे गए कार्यों में दो प्रकार का उत्तरदायित्व निहित है। सामाजिक रूप से स्वीकार्य लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए और बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर वृत्तिक गतिविधियाँ निर्धारित करना तथा अपने वृत्तिक उत्तरदायित्व को बनाए रखने के लिए व्यवहार और अनुशासन पर नियंत्रित करना। यदि सामाजिक अंतःक्रिया के स्थापन में व्यक्ति–विशेष द्वारा अथवा समाज के एक वर्ग द्वारा कोई भी समस्या खड़ी कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए समाज कार्यकर्त्ता की वृत्तिक सेवाओं की आवश्यकता हो जाती है।

सुधार में, समाज कार्यकर्त्ता समस्याओं को हल करने के लिए न केवल व्यक्तियों, समूहों और समाज की मदद करता है बल्कि आपराधिक व्यवहार की रोकथाम करने और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को समृद्ध करने में मदद भी करता है। सामान्यतः जानकारी स्तर पर सम्बद्ध लोगों के साथ काम करता है, सच्चाई का सामना करने और आपराधिक व्यवहारों को रोकने तथा नियंत्रण करने में एवं समस्याओं का समाधान करने में उनकी मदद करता है। सुधार में, चूंकि दोषी और अपराधी के व्यवहार को समझने के लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है इसलिए समाज कार्य एक कला है। समाज कार्य समस्या का समाधान करने की पद्धति और दोषी एवं अपराधिक कार्यों को निर्धारित करने के उद्देश्य तथा दोषों एवं अपराधों से निपटने के लिए सिद्धान्त बनाने और उन्हें लागू करने की अवधारणा है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने के कारण यह एक विज्ञान भी है। अपराधिक व्यवहार से निपटने के लिए वृत्तिक गुणों पर आधारित होने के कारण समाज कार्य एक व्यवसाय भी है।

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) सुधार के संदर्भ में समाज कार्य के कार्य कौन–से हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.3 सुधार में समाज कार्य के मूल्य

समाज कार्य के मूल्य मूल रूप से लोकतांत्रिक समाजों के मूल्य हैं, जो व्यक्ति अंतर्निहित मान मर्यादा, जन–कल्याण में योगदान के लिए सामाजिक दायित्व से संबंधित है। समाज कार्यकर्त्ताओं के राष्ट्रीय संघ (National Association of Social Workers - NASW) के अनुसार निम्नलिखित छह मूल्य समाज कार्य के व्यवहार के आधार हैं:

1) व्यक्ति, समाज का मूल आधार है।

2) समाज में लोग एक–दूसरे पर निर्भर होते हैं।

3) व्यक्तियों का एक–दूसरे के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व होता है।

4) हालाँकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अद्वितीय होता है और अन्य व्यक्तियों से अनिवार्य रूप से भिन्न होता है फिर भी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएँ एक–जैसी होती हैं।

5) प्रत्येक व्यक्ति की संपूर्ण अंतः शक्ति और समाज में सक्रिय रूप में भागीदारी के द्वारा उसके सामाजिक उत्तरदायित्व के पूर्वानुमान को अनुभूत करना लोकतांत्रिक समाज का अनिवार्य गुण है।

6) इस अनुभूति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करने या उनकी रोकथाम करने के तरीके उपलब्ध कराना समाज का उत्तरदायित्व है।

ये मूल्य सत्यापनीय अवलोकन होते हैं। जब मूल्य मनुष्य संबंधी कल्पनाओं और उसके लिए क्या अपेक्षित है, पर केन्द्रित होते हैं तो उसमें यह अपने आप निहित हो जाता है इसमें कुछ मूलभूत मूल्य विद्यमान हैं इसलिए समाज कार्य के कुछ मूलभूत मूल्य हैं:

1) समाज का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि लोगों को अपने जीवन से संबंधित विभिन्न कार्यों को पूरा करने, दुखों, तकलीफों से ऊपर उठने, अपनी महत्त्वाकांक्षाओं और मूल्यों को महसूस करने के लिए आवश्यक संसाधनों, सेवाओं और अवसरों तक पहुँच हो।

2) सामाजिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, लोगों की मान–मर्यादा और व्यक्तिनिष्ठता का आदर किया जाना चाहिए।

समाज कार्य में अन्य सभी मूल्यों का उद्‌भव प्राथमिक मूल्यों से होता है, जो प्राथमिक मूल्यों पर आधारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान देते हैं। मूल्य, कार्यकर्त्ता को अपनी वृत्तिक गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए लोगों के साथ व्यवहार करने का मार्ग दर्शाते हैं ताकि प्राथमिक मूल्य कार्यान्वित हो।

समाज कार्य का ज्ञान विशिष्ट विशेषताओं पर ध्यान देते हुए बढ़ाया जा सकता है। समाज कार्य समग्र परिवेश में सभी लोगों पर जोर देता है। समाज कार्य, व्यवहार में परिवर्तन करने और उसे प्रभावित करने में परिवार के महत्त्व पर जोर देता है। अपराधों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण करने के लिए लोगों की मदद में सामुदायिक संसाधनों का उपयोग एक अन्य महत्त्वपूर्ण आयाम है।

समाज कार्य में छह मूलभूत पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से केस कार्य, समूह कार्य और समुदाय संगठन को प्राथमिक पद्धतियों के रूप में जाना जाता है। समाज कल्याण प्रशासन, समाज कार्य अनुसंधान और सामाजिक कार्य गौण पद्धतियाँ हैं। सुधार में इन सभी

पद्धतियों को विभिन्न अनुपातों में लागू किया जाता है। केस कार्य में प्रमुख रूप से लोगों में और उनकी समस्याओं पर काम करने में व्यक्तिगत आधार पर नजदीकी प्रत्यक्ष संबंध शामिल है। समूह कार्य के अंतर्गत् गड़बड़ी करने वाले लोगों को समाज कार्य में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए समूह का एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। समुदाय संगठन सामाजिक समस्याओं का सामना करने और उनसे निपटने संबंधी अंतर्समूह दृष्टिकोण हैं।

सुधार की समाज कार्य प्रक्रिया में कार्यकर्त्ता – संबद्ध व्यक्ति (worker-client) संबंध मख्य आधार है। समाज कार्यकर्त्ता संबद्ध व्यक्ति, स्वीकार्य और एक दूसरे को समझने वाले संबंधों के आधार पर अनुभव करता है और अपराधिक व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है।

समाज कार्य में, चार मूलभूत गतिविधियों में अंतर किया जाता है। ये हैं – समस्या को आँकना, समस्या को हल करने की योजना, योजना को लागू करना; और परिणामों का मूल्यांकन। दोषी और आपराधिक व्यवहार, जैसे समस्या को आँकते समय लगातार तर्कसंगत किन्तु व्यवहारिक, विभिन्न मूल्यांकन पूरक चरण अपेक्षित होते हैं। उस मूल्यांकन के आधार पर कार्य–योजना बनाई जानी चाहिए। योजना को लागू करते समय, मूल्यांकन और योजना के परिप्रेक्ष्य में समस्या–विशेष की स्थिति के लिए विशिष्ट और अंर्तसंबंधित सेवाएँ शामिल हैं। जहाँ तक मूल्यांकन का संबंध है, यह योजना कार्यकलाप के रूप में निर्धारित अपेक्षित परिणाम के संदर्भ में सेवा की प्रभाविता को निर्धारित करती है।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) सुधार के संदर्भ में समाज कार्य के मूल्य क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.4 सुधारक स्थापन और समाज कार्यकर्त्ता का कार्य

औपचारिक रूप से पहचाने गए दोषियों और अपराधियों से निपटने के लिए प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज ने सुधारक एजेंसियों की प्रणाली स्थापित की है। इन एजेंसियों को दोषियों और अपराधियों को दी गई सज़ा का प्रबंध करने का काम सौंपा हुआ है। इन एजेंसियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सज़ा की अवधि के दौरान अपराधी के व्यवहार पर नियंत्रण करके समाज की रक्षा करे। इसके अलावा, उनसे अपराधी की मदद की भी अपेक्षा की जाती है ताकि वह सामान्य स्थिति में लौट सके और समाज का रचनात्मक सदस्य बनने योग्य हो सके। सुधारक प्रणाली में प्रोबोशन और पैराल दो प्रमुख एजेंसियाँ हैं। विभिन्न प्रकार के सुधारक संस्थान इस प्रकार हैं:

- जेल
- किशोर सुधारक विद्यालय (Borstal Schools)
- बाल और किशोर दोषियों के लिए सुधार गृह (Schools for Juvenile Delinquents),
- प्रतिप्रेषण/प्रेक्षण गृह (Remand/Observation Homes)
- भिखारी गृह (Beggar Homes)
- स्वागत केन्द्र, बचाव गृह (Reception Centres, Protective Homes)
- राज्य गृह, प्रोबेशन होस्टल (State Homes, Probation Hostels)

इन एजेंसियों द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाले दंड की प्रकृति को विकलांग व्यक्ति और सामाजिक स्थिति के अनुसार अवश्य ध्यान में रखा जाता है। निम्न परिस्थिति की इस अवधि को सुधारक कार्यकर्त्ता के मार्गदर्शन में संस्था अथवा समाज की देख–रेख में बिताया जाता है।

इस परिस्थिति में वंचित रहने वाले पक्ष हैं:

- मतदान देने, कुछ समझौते करने का अधिकार आदि जैसे कुछ नागरिक अधिकारों की हानि।
- स्वतंत्रता छिन जाना
- इधर–उधर आने जाने पर प्रतिबंध
- एकांतता पर प्रतिबंधः अर्थात् अपराधी को अपने पर्यवेक्षक अधिकारी के संपर्क में रहना होता है और अपने मूलभूत सामाजिक समायोजन के अधिकांश पहलुओं पर चर्चा अवश्य करनी होती है।

सुधारक एजेंसियों में समाज कार्यकर्त्ता वर्गीकरण अधिकारी (classification officer), उपचार कार्यकर्त्ता (treatment worker), केस समाज कार्य (case worker), समूह समाज कार्य (group worker), नैदानिक चिकित्सा समाज कार्य (clinic worker), हाउस मास्टर आदि नामों से जाना जाता है। इनमें से सामाजिक उपचार की दृष्टि से केस कार्यकर्त्ता और समूह कार्यकर्त्ता का अधिक महत्त्व होता है। सुधारक स्थापन में समाज कार्य की यह विशेषता है कि कार्यकर्त्ता को आवश्यक सेवाओं को पहचानने की व्यवस्था करने और कार्य विवरण को दोबारा प्रतिपादित करना पड़े ताकि सुधारक व्यवस्था को समाज कार्य कौशलों के अधिकतम इस्तेमाल से लाभ हो।

समाज कार्यकर्त्ता का सुधार में प्रमुख कार्य इस प्रकार हैः

1) न्यायालय अथवा अन्य अर्ध–न्यायिक निकाय के अधिकारी के रूप में काम करते हुए दोषी और उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में छानबीन करना और रिपोर्ट देना, सही फैसले सुनाने के लिए समुचित और अर्थपूर्ण तरीके से ऐसे सामाजिक प्रेक्षणों के परिणामें में योगदान देना।

2) संबंधित व्यक्ति के समाज कार्यकर्त्ताओं की इस तरह से देख–रेख करना कि उसकी प्रस्थिति की स्थिति का हनन और स्थितियों को प्राप्त करने में उसकी सफलता का अंदाजा लगा कर उसके बारे में रिपोर्ट दी जा सके।

   प्रस्थिति में दी गई नियंत्रण योजना रचनात्मक सामाजिक नियंत्रण के लिए सेवार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट व्यक्तिनिष्ठ (individualised) होती है। लेकिन समाज कार्यकर्त्ता इस प्रकार नियंत्रण करता है कि संबंधित व्यक्ति के जीवन–श्रम रचनात्मक व्यवहार और आत्म–नियंत्रण की ओर उन्मुख आंतरिक संवृद्धि के लिए प्रेरित करके मदद की जा सके।

3) कानून लागू करने और सुधार प्रक्रिया के द्वारा निर्मित दबाव से रचनात्मक तरीके से निपटने के लिए संबंधित अनिच्छुक व्यक्ति की मदद करना।

   दोषी और आपराधिक व्यवहार में सुधार के लिए मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना।

   सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप उसके व्यवहारिक अनुपालन की दिशा में उसके व्यवहार को सुधारना।

4) दोषी अथवा अपराधी के जीवन में औपचारिक प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में सेवार्थी से संबंधित व्यक्तियों – संस्थाओं (माता–पिता, अध्यापक, कर्मचारी, सामाजिक एजेंसियाँ,

संस्थागत व्यक्ति) के साथ इस तरह काम करना होता है कि दोषी अथवा अपराधी के साथ इन व्यक्तियों–संस्थाओं की समस्याएँ दूर हो जाएँ।

प्राधिकारियों के कार्यकलाप, दोषी अथवा अपराधी के प्रयासों को संतोषजनक व्यवहार की दिशा में अग्रसर करने में मदद करते हैं। दोषी अथवा अपराधी, अपने समूहों अथवा अपने समाज के संसाधनों से भली प्रकार से जुड़ा होता है।

5) केस भार अथवा समूह भार को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि:

- समाज कार्यकर्त्ता के निर्णय समुचित और उत्तरदायी हों। आपराधिक न्याय की व्यवस्था में अन्य व्यक्तियों के निर्णय, समाज कार्यकर्त्ता के ज्ञान से सम्मानित, लागू और समुचित तरीके से प्रभावित होते हैं।
- विधि और प्रशासन संबंधी समय–सीमा की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।

6) निम्नलिखित के साथ सहयोग करते हुए साझे निर्णय और टीम कार्य दायित्व में शामिल करते हुए बहु–विषयक एजेंसी में भूमिका को अधिनियमित करना:

- अन्य व्यवसायों से कार्मिक
- अन्य शैक्षणिक पृष्ठभूमि के कार्मिक में वहीं भूमिका जैसी उसकी है।
- उप–व्यवसायिक कार्यों और पृष्ठभूमि के साथ कार्मिक
- आपराधिक न्याय को व्यवस्थित करने में अन्य एजेंसियों से कार्मिक
- दोषी/अपराधी की सेवा करने वाले अथवा भविष्य में सेवा की इच्छा रखने वाले अन्य एजेंसियों में कार्मिक

7) सुधार संस्था के सामाजिक परिवर्तन और सुधार संस्था की सेवा के स्थापन में विकास में उत्तरदायित्वपूर्ण भाग लेना, उसके व्यवसायिक ज्ञान और अनुभव की नीति निर्धारण में योगदान देना।

8) सुधार में समाज कार्य के व्यवसायिक ज्ञान को विकसित करने में योगदान देना।

समाज कार्यकर्त्ता अपराधी को उसके आपराधिक व्यवहार में परिवर्तन लाने में मदद करता है। इसलिए वह अन्यों के साथ रचनात्मक सम्बद्धता और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बन सकता है। यह व्यक्ति के साथ काम करके, उसे अपने बारे में बेहतर ढंग से समझने और उसकी अपनी शक्तियों एवं संसाधनों का उपयोग और उसके परिवेश को बेहतर सामाजिक परिवेश आकार जिसमें उसे रहना है के लिए परिवर्तित करने में मदद करके किया जाता है। समाज कार्यकर्त्ता अपराधी को अपनी समस्याओं के बारे में बात करने, उन्हें अनुभूत करने और

सामाजिक दृष्टि से रचनात्मक व्यवहार के साथ अपने बारे में समझने में अंर्तदृष्टि के लिए प्रोत्साहित करता है।

सुधार में समाज कार्यकर्त्ता के कामों में निम्नलिखित चार पक्ष शामिल हैं

- सेवार्थी की असफलता अथवा उसकी वैधानिक प्रस्थिति के दायित्वों को पूरा करने में सफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से छानबीन करना।
- सेवार्थी के व्यवहार को सुधारने के लिए नियंत्रणों का इस्तेमाल।
- मूल्य परिवर्तन के उत्तरदायित्व के साथ सेवार्थी के जीवन में वैधानिक प्राधिकरण के रूप में काम करना।
- सुधारक निर्णयन।

अपराधियों के साथ काम करने में ये सभी महत्त्वपूर्ण हैं। विशेष तौर पर समाज में बेहतर तरीके से उन्हें स्वयं को व्यवस्थित करने में महत्त्वपूर्ण हैं। सुधारक समाज कार्यकर्त्ता का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य अपराधियों के मूल्यों और व्यवहारों में परिवर्तन करना है ताकि वे समाज – विशेष के मूल्यों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हो सकें। इसलिए समाज कार्यकर्त्ता का लक्ष्य अपराधी को सज़ा न देकर उसकी मदद करना है। अपराधी का पुनर्वास, अपनी सहायता स्वयं करने में उसकी मदद करने में व्यवसाय के ज्ञान और कौशल का सुधार कार्य में इस्तेमाल करना लक्ष्य है ताकि वह समाज में वापस जाकर उसका हिस्सा बन सके और निर्माणात्मक जीवन बिता सके।

दोषियों और अपराधियों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पेशेवर कार्यकर्त्ता के लिए निम्नलिखित अपेक्षित हैं:

ज्ञान

- दोषियों और अपराधियों के व्यवहार में हुए विचलन;
- वे विभिन्न मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव जिनसे आतंकित होकर अपराधी ऐसा व्यवहार अपनाने के लिए मजबूर हों;
- अपराध करने और समाज में व्यवहार करते हुए स्वयं को बचाने के लिए अपराधी द्वारा अपनाई गई तकनीकें;
- अब इस्तेमाल किए जा रहे उपचारात्मक दृष्टिकोण और इन्हें सुधार प्रयास में लागू करते हुए होने वाली कठिनाइयाँ।

कौशल

- कार्य–कारण संबंध में लागू होने वाले आपराधिक व्यवहार के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबावों को पहचानना
- अपराधी के परिवेश को सुधारना ताकि आपराधिक कार्य करने की दिशा में अग्रसर करने वाले उन दबावों को घटाया जा सके।

अभिवृत्ति

- दोषी और अपराधी पदभ्रष्टों को उसके समाज–विरोधी व्यवहार की आलोचना किए बिना स्वीकार करना;
- समाज संरचना में कार्य कारण संबंध और उपचार में योगदान के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक निर्धारकों में वैज्ञानिक रुचि;
- उन स्थापनों में प्रयोगात्मक रूप से बिना किसी हतोत्साह के काम करने के लिए रहना, जिनमें वर्तमान ज्ञान सीमित हैं, पूर्वानुमान अनिश्चित हैं और लगातार असफल हो रहे हैं।

इन ज्ञान, कौशलों और अभिवृत्तियों से पेशेवर समाज कार्यकर्त्ता अपराधी के साथ प्रभावी ढंग से उसके सुधार और पुनर्वास के लिए काम कर सकता है।

अगला है–सुधार समाज कार्यकर्त्ता के विशिष्ट कार्य। वह दोषियों और अपराधियों की अभिप्रेरणा को मजबूत करता है। समाज कार्यकर्त्ता इस कार्य को उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक और आपसी समझ बनाते हुए करता है। सुधार समाज कार्यकर्त्ता, अपराधियों को उनकी भावनाओं को खुले आम विचार–विमर्श करने का मौका देता है। अधिकांश अपराधी अपनी आंतरिक अनुभूतियों, अपने डर और कुंठा तथा अपनी आशाओं और प्रेरणाओं (aspirations) को इस विश्वास के साथ किसी न किसी से व्यक्त करना चाहते हैं कि वह व्यक्ति किसी और को कुछ नहीं बताए। सुधार कार्य में समाज कार्यकर्त्ता वह सुरक्षित भावात्मक माहौल बनाता है ताकि अपराधी अपने मन की बात करने की स्थिति में आ सके।

सुधार कार्य में समाज कार्यकर्त्ता अपराधियों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराता है। सूचना देकर प्रोबेशन और पैरोल अधिकारी, अपराधी को निर्णय लेने में मदद करता है। अधिकारी प्रोबेशनरों के लिए निर्णय नहीं लेता बल्कि उसकी समस्याओं और उसके द्वारा महसूस किए जाने वाले विकल्पों पर तार्किक दृष्टि से विचार करने में उसकी सहायता करता है।

स्थितियों और समस्याओं को परिभाषित करके समाज कार्यकर्त्ता, अपराधी की मदद करता है। वह अपराधी को न केवल समस्या के बारे में सोचने में बल्कि स्थिति के बारे में महसूस करने में भी सहायता करता है। समाज कार्यकर्त्ता, अपराधी को उसके परिवेश सुधारने में मदद

करता है। समाज संसाधनों के अपने अपने ज्ञान के आधार पर समाज कार्यकर्त्ता, अपराधी और उसके परिवार को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय और सामाजिक संसाधनों से संपर्क स्थापित करने में मदद करता है।

अपराधी के व्यवहार प्रतिरूपों को दोबारा व्यवस्थित करना, सुधार समाज कार्यकर्त्ता का महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसमें लैंगिक पथभ्रष्ट, शराबियों और नशेड़ियों तथा गहरी व्यक्तित्व समस्या वालों की मदद करना भी शामिल है।

रैफरल की सहायता करना भी सुधार समाज कार्यकर्त्ता का अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य है। रैफरल नैदानिक मनोवैज्ञानिक, मनोविचार विज्ञानी, विद्यालय अध्यापक, चिकित्सक, वकील अथवा अन्य पेशेवर हो सकता है, जो अपराधी की विशिष्ट समस्या में मदद कर सके। रैफरल बनाने में सुविधा के लिए समाज कार्यकर्त्ता का सामाजिक संसाधनों के विस्तृत ज्ञान का उपयोग किया जाता है।

6.5 सुधारक स्थापन में सामाजिक केस कार्य

सुधारक स्थापन में समाज कार्य शैली के अपराधी की क्षमताओं को सक्रिय (गतिशील) करके सुधार किया जा सकता है। केस कार्यकर्त्ता और अपराधी के बीच संबंध स्थापित करके आंतरिक क्षमताओं और पर्यावरणीय संसाधनों का संगठन किया जाता है। उपचार प्रक्रिया के दौरान जो संबंध स्थापित हो जाता है वह अपराधी को उसकी समस्याओं के रचनात्मक हल की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

सामाजिक केस अध्ययन एक कला है, जिसमें मानव संबंधों के विज्ञान और संबंध में कौशल को व्यक्ति की उन क्षमताओं और समुदाय के उन संसाधनों को जुटाने का प्रयोग किया जाता है, जो अपराधी और उसके समग्र पर्यावरण के सभी या किसी हिस्से के बीच बेहतर समायोजक के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार केस अध्ययन व्यक्तिगत केसों से निपटने की किया है। व्यक्ति के सामाजिक परिवेश के संदर्भ में यह प्रक्रिया व्यक्ति से संबद्ध होती है और इसका लक्ष्य व्यक्ति द्वारा सफल सामंजस्य स्थापित कर पाना होता है।

व्यवसायिक केस अध्ययन संबंध वह संबंध है, जो व्यक्ति को इस सुनिश्चितता के साथ अपने तथ्यों, अभिवृत्तियों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने योग्य बनाता है कि कार्यकर्त्ता की अनुक्रिया व्यक्ति की ज़रूरत के अनुरूप होगी न कि कार्यकर्त्ता की ज़रूरत के अनुरूप। कार्यकर्त्ता पर मौखिक और अमौखिक दोनों प्रकार के संचार को सुगम बनाने का दायित्व होता है क्योंकि संचार के बिना कोई भी संबंध स्थापित और विकसित नहीं हो सकता। यह संबंध उपचार प्रक्रिया से जुड़ा है।

आजकल सुधारक व्यवस्था के अंतर्गत् दो प्रकार के केस अध्ययन उपचार का प्रयोग हो रहा है। यह हैं: सहायक उपचार विधि और निवारक उपचार। सहायक उपचार विधि में ऐसी कई तकनीकों का प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ती है, जो व्यक्ति (अपराधी) द्वारा रक्षा के स्थापित अंह क्रियाविधि के ढाँचें में ही अपराधी को उसकी कार्यशैली सुधारने में मदद करती है। निवारक उपचार विधि में उन विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें व्यक्ति रक्षा के लिए चुनी गई अहं क्रियाविधियों में संशोधनी परिवर्तन करके अपनी कार्य शैली में सुधार ला सके। अपराधी के व्यवहार का बहिर्मुखी और चुनी गई आंतरिक प्रक्रिया संशोधित होती हैं।

सुधारक संस्थाओं में अपराधी को उसकी समस्याओं के उपयोगी हल की दिशा में प्रेरित व प्रभावित करने के लिए केस/अध्ययन कार्यकर्त्ता संबंध में संभावित तत्वों को प्रयोग करते हुए, संबंध के वास्तविक (यथार्थ) रखता है। इस प्रकार सुधारक स्थापन में अभिप्रेरण के संदर्भ में केस कार्यकर्त्ता की गतिविधि उन कारकों की शक्ति को कम करने की दिशा में होती है, जो अपराधी को सहायता लेने/माँगने में बाधा डालते हैं। कार्यकर्त्ता उन रचनात्मक अभिप्रेरक शक्तियों का पता लगाता व उपयोग करता है, जिन्हें अपराधी पहले ही विकसित कर चुका है। यह अनुकूलन और दक्षता ऐसे अवसरों को प्रदान करने के लिए होती है, जो वहाँ रचनात्मक अभिप्रेरण को प्रवृत्ति करने का संकेत है जहाँ वह विद्यमान नहीं होता।

सुधारक स्थापन में समाज कार्यकर्त्ता ऐसा संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें एक समय के बाद व्यक्ति अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से अभिव्यक्त कर सके, अपनी अहंशक्ति को जुटा सके, अपने ग़ैर–सामाजिक मूल्यों को बदल सके और कानून का पालन करने वाला नागरिक बन सके। इस तरह संबंध सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करने के साथ–साथ समाज कार्यकर्त्ता के योगदान का मूल है। इसका अभिप्राय है कि केस कार्यकर्त्ता अपराधी को स्वीकार कर लेता है, उसे समझने लगता है और उसका सम्मान करता है। धीरे धीरे अपराधी में कार्यकर्त्ता के प्रति एक भावना विकसित होने लगती है, वह अपने विचारों. भावनाओं और चिंताओं को केस अध्ययनकर्त्ता को बताने की ओर प्रवृत्त होता है। इसके बाद हालाँकि स्नेह और समर्थन (सहायता) के जरिए परिवर्तन प्रभावित होते हैं। केस कार्यकर्त्ता अपराधी की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील अनिर्णयात्मक होता है और उसको आपराधिक आचारण के बावजूद वह अपराधी की अखंडता और वैयक्तिकता के लिए सम्मान की भावना व्यक्त करता है।

यह सहायक प्रक्रिया कार्यकर्त्ता और अपराधी के बीच संबंध पर निर्भर करती है। इस संबंध के अंतर्गत् यदि अपराधी योग्य व इच्छुक है तो उसे सहायता के लिए पूछने, सहायता प्राप्त

करने और सहायता का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ताकि वह अपने उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट कर सके और चुने गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शक्तियों का प्रदर्शन कर सके। कई मामलों में अपराधी ठोस स्थितियों जैसे वह घर या नौकरी छोड़कर क्यों आया था संस्थागत जीवन के ब्यौरे जैसे कार्य दायित्वों का बदलना, या मुहल्ले में रहना या विशेषाधिकारों में उसके विरुद्ध आशंकित भेदभाव के बारे में अपनी ज़रूरतों को व्यक्त कर सकता है। अपराधी की शिकायतों का आधार यथार्थ हो सकता है और वह कोई विशिष्ट मुद्दा बना सकता है, जिस पर कार्यकर्त्ता और सुधारक संस्था का गृह सदस्य (सहवासी) एक साथ मिल कर कार्य कर सकते हैं। लेकिन अपराधियों के साथ अध्ययन कार्य में उसके परिवेश के अलावा पृथक सत्ता के रूप में व्यक्ति विशेष अपराधी के साथ मुख्य रूप से संबद्ध नहीं होता। न ही केस अध्ययन मुख्य रूप से उसके सामाजिक परिवेश और उसके सुधार से जुड़ा होता है। फिर भी केस अध्ययन में अपराधी और उसके परिवेश का सामान्य हित निहित होता है क्योंकि इसका लक्ष्य दोनों के बीच समायोजन और संतुलन के साधनों का पता लगाना होता है। इस कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए केस अध्ययनकर्त्ता को अपराधी, उसकी क्षमताओं व आवश्यकताओं को समझना ज़रूरी है और उसे सामाजिक स्थिति, उसके संसाधनों व खतरों की जानकारी होना ज़रूरी है। इसके अलावा, उसकी जानकारी इतनी व्यापक होनी चाहिए कि उसमें अपराधी के अपराध की जानकारी के अलावा अन्य पृष्ठभूमि की सूचना भी होनी चाहिए और जिससे व्यक्तित्व विकास, व्यवहार जिससे परिवार व समुदाय को नियंत्रित करने वाले सामाजिक शक्तियों के पीछे निहित वैज्ञानिक सिद्धान्तों को वह सम्मिलित कर सके।

केस अध्ययन के मूल में पाँच आधारभूत मान्यताएँ हैं, जिन्हें अपराधी की मदद करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये हैं: कि

1) प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानीय व योग्य व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए।
2) व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला व्यवहार सामाजिक रूप से स्वीकृत हो या अस्वीकृत, वह व्यवहार व्यक्ति को ज़रूरतों को व्यक्त करता है।
3) सही व्यक्ति को सही समय पर, सही रूप से सही सहायता प्रदान की जाए तो व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है और वह अपना व्यवहार बदलेगा।
4) यदि समस्या के गंभीर रूप धारण कर लेने से पूर्व व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाए तो बेहतर अनुक्रिया की संभावना होती है,
5) व्यक्ति के जीवन के महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक वर्षों में उसके व्यक्तित्व के विकास में परिवार सर्वाधिक प्रभावात्मक शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए किए जाने वाले अध्ययन कार्य

में किस तथ्य पर बल दिया जाएगा, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न–भिन्न होगा क्योंकि कुसमायोजन का कारण प्राथमिक रूप से व्यक्ति में निहित हो सकता है, या पर्यावरण में हो सकता है या कुछ में इन व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों का मिला–जुला रूप कुसमायोजन का कारण हो सकता है। यह अध्ययन कार्य व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाने और अपराधी को समझने के लिए, व्यक्तित्व को सुदृढ़ करने की दिशा में हो सकता है। उदाहरण के लिए, स्नायु संबंधी या भावात्मक विसंगतियों से ग्रस्त व्यक्तियों, कुंठा व अवसाद से ग्रस्त व्यक्तियों के मामले में यह सत्य है क्योंकि से सभी विसंगतियाँ किसी भी स्थिति में अच्छा तालमेल स्थापित करने अर्थात् समायोजन करने में बाधा डालती हैं (रोकती है)। कुछ मामलों में पर्यावरण को बदलने या उसे सम्पन्न बनाने, या हानिप्रद स्थितियों को दूर करने और सहायक संसाधनों का प्रयोग करने की दिशा में हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह उन बच्चों के मामले में सत्य है, जो ऐसी स्थितियों (स्थापन) में जीवन यापन करते हैं, जो अपराध क्षेत्र हैं, और जहाँ पर सामान्य व्यक्ति के लिए समायोजन कर पाना कठिन होता है।

तात्कालिक और अंतिम दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक बिन्दु पर तीन मूलभूत प्रक्रिया बार प्रभाव डालती है, जैसे संसाधनों का प्रयोग, अपराधी को उसकी ज़रूरतों और भावनाओं को जानने में मदद करना; और उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से अपना सामाजिक कार्यक्रम तैयार करने की योग्यता विकसित करने में उसकी मदद करना। अतः अध्ययन कार्य एक संयुक्त कार्यवाही है, जिसमें अध्ययनकर्त्ता और अपराधी दोनों सहभागी होते हैं और जिसमें वे एक निश्चित संबंध विकसित करते हैं।

सुधारक स्थापन में, अध्ययन कार्य का प्रयोग विशेष रूप से परिवीक्षा (परख अवधि) के संदर्भ में काफी समय से हो रहा है। अन्य सुधारक स्थापन में विशेष रूप से संस्थाओं में, अध्ययन कार्य न केवल उत्तर–विकास है, बल्कि इसे लागू करना भी कठिन है। जेल या बोर्स्टल (Borstal) स्कूल कार्यक्रम व्यापक उपायों में एक उपचार है और अध्ययन कार्य को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है।

6.6 सुधारक स्थापन में समाज समूह कार्य

अपराधियों और अपराधियों के व्यवहार व अभिवृत्तियों को सुधारने के लिए सामूहिक कार्य को अक्सर एक सशक्त तकनीक के रूप में देखा जाता है। हालाँकि कठिन और कभी–कभी जटिल होने के बावजूद व्यक्ति कैसे बड़ा होता है और अंतःक्रिया करता है संबंधी समूह कार्य अपेक्षाकृत सरल व सुसमर्थित अवलोकनों पर आधारित होता है। सामाजिक समूह कार्य,

व्यक्तियों के समूहों में अनुभव प्रदान करके उन्हें सेवा करने की एक विधि है। व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमताओं के प्रति व्यक्ति का विकास करना, संबंध और सामाजिक प्रक्रिया की क्षमताओं को सुधारना तथा सामाजिक कार्यवाही, समाज समूह कार्य के स्वीकृत लक्ष्य हैं। कार्यकर्त्ता नैतिक और सामाजिक मूल्यों के ढाँचे में रह कर काम करता है। सामूहिक कार्य में कार्यकर्त्ता सदस्यों और समूह को अपनी–अपनी योग्यताओं और शक्तियों का प्रयोग करने में मदद करता है। विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर कार्यकर्त्ता अलग–अलग तरीकों का प्रयोग करता है। समूह के सदस्य और समूह परस्पर एक दूसरे से संबद्ध होते हैं और प्रत्येक की स्थिति दूसरों को प्रभावित करती है।

अपचारी और अपराधी के उपचार के लिए समूह का प्रयोग करने के तीन मुख्य कारण हो सकते हैं:

- पहला, अपराधी की स्वयं की गतिकी;
- दूसरे विशिष्ट सुधारक व्यवस्था, जिसमे वह अपने को पाता है; और
- तीसरे वह विशिष्ट लक्ष्य जिसके लिए समाज ने उसे सुधारक व्यवस्था में भेजा है।

अपचारी में जो एक तथ्य उभर रहा है वह दर्शाता है कि समूह उसकी एक उत्कृष्ट पहचान व सहायता है। यह तथ्य निश्चित रूप से अधिकांश अपचारियों की उम्र के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध है क्योंकि सभी किशोर, वयस्कों के साथ घनिष्ठता के जरिए समवयस्कों के समूह में काफी हद तक अपनी प्रतिष्ठा खोजते हैं। अतः सामूहिक कार्य विधि का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है अन्यथा अपचारियों तक अक्सर नहीं पहुँच जा सकता। इस समझ से संबद्ध समूह के कई लक्ष्य व उद्देश्य हैं जो इस प्रकार हैं:

1) समूह के ढाँचे में अपराधी की सुरक्षा को मजबूत करना ताकि उसे अकेलेपन और असहायता का एहसास न हो, लेकिन वह पूरी तरह से इसके पर निर्भर होने की ओर भी क्रियाशील होता है।

2) समूह परिचर्चाओं में स्वतंत्र रूप से भाग लेने से लेकर अपराधी की स्वाधीनता को सशक्त करना। किसी गिरोह के नेता या शक्तिशाली उप–समूह की अधीनता न करना।

3) किसी ऐसे वयस्क व्यक्ति से परिचय कराना जो समाज के उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनको वे प्रायः नकारते हैं, लेकिन वह व्यक्ति अपने स्वीकारात्मक व्यवहार से वयस्क सुरक्षा और स्नेह का आभास कराता है। अपचारी ऐसे वयस्क व्यक्ति से समूह में मिल सकता है और इसके साथ ही अपने समकालीन व्यक्तियों के समर्थन का भी अनुभव कर सकता है और प्रगाढ़ता की विभिन्न कोटियों में सम्बद्ध हो सकता

है। इससे साहसिक प्रयास और प्रयोग की आवश्यकता में ऐसे विभिन्न रूपों में संतुष्टि प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है, जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं।

4) समाज द्वारा स्वीकृत गतिविधियों में दक्षता प्राप्त करने से आंतरिक समुत्थान शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

सुधारक व्यवस्था में समाज कार्य में कार्यक्रम मीडिया विविध प्रकार का होना चाहिए। समूह सदस्यों को विद्वेष व्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए और समूह में अस्वीकृत निम्न स्तर का व्यवहार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कभी–कभी, समूह के किसी सदस्य को अपने लिए भी कुछ करने देना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यह आवश्यकता होती है कि वह कभी–कभार सबसे अलग–थलग रह कर अपने लिए कुछ करे और इसके लिए उसे यह अपराध भाव नहीं महसूस करना चाहिए कि वह समूह क्रिया में भाग नहीं ले रहा बल्कि समूह में उपस्थिति द्वारा उसे यह महससू कराने में मदद करनी चाहिए कि सब उसे स्वीकारते हैं।

कार्यक्रम में भावनाओं की अभिव्यक्ति में सहायता करने के अतिरिक्त, वास्तविक उपलब्धि के लिए भी समूह सदस्यों की तत्परता के अनुसार अधिक व्यक्तिगत और अधिक सहकारी परियोजनाओं के बीच संतुलन उत्पन्न करना चाहिए। इसमें विशुद्ध मनोरंजन और सुरुचिपूर्ण संतुष्टि के अवसर भी मिलने चाहिए। आजकल सुधारक कार्य में एक साधन के रूप में समूह के प्रयोग को ज्यादा से ज्यादा मान्यता प्राप्त हो रही है। मार्गदर्शी समूह अंतःक्रिया तकनीक किसी व्यक्ति के आंतरिक जीवन की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में एक अग्रणी के रूप में कार्य कर सकती है, जिसके चारों ओर अनेक गतिविधियाँ होती रहती हैं।

बोध प्रश्न III

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) सुधार में समूह कार्य के क्या मुख्य लक्ष्य हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

कुछ यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता पुलिस के साथ विशेष रूप से उनके युवा ब्यूरो के साथ काम करते हैं। समाज कार्यकर्त्ता उन अपराधियों को ठीक तरह से समझने में पुलिस की मदद करते हैं, जिन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया है। वे दंडात्मक रवैया अपनाने की बजाय पुनर्वास संबंधी रवैया विकसित करने में भी पुलिस की मदद करते हैं।

समाज कार्यकर्त्ता अपचार और अपराध की रोकथाम की कोशिश करने में पुलिस के साथ एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता सामान्यतः अपराध और अपचार के निरोधक पहलू में विश्वास रखते हैं। इसके पीछे उनका तर्काधार यह है कि यदि पहले ही समाज विरोधी व्यवहार की रोकथाम में अधिक समय और निपुणता का प्रयोग किया जाए तो समाज, व्यक्ति एवं परिवार सभी काफी बेहतर स्थिति में हो पाएँगे। समाज कार्यकर्त्ता की सहायता से अपराध और अपचार को रोकने के लिए पुलिस मनोरंजनात्मक गतिविधियों और क्लबों में अपराधियों के साथ काम करती है।

भारत में व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता किशोर अदालतों से सबंद्ध होकर परिवीक्षा अधिकारियों की भूमिका निभाते हैं। किशोर अदालतों में वे विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कानून के उल्लंघन में विभिन्न कारणों और तथ्यों का पता लगाने के लिए जाँच पड़ताल करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। समाज कार्यकर्त्ता सामान्य रूप से निष्पक्ष रह सकता है और संपूर्ण स्थिति की सही तस्वीर प्राप्त कर सकता है, जो अदालत के लिए सहायक होती है।

किशोर अदालतों में मजिस्ट्रेट परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेता है। जाँच पड़ताले सामान्य तौर से अपचारियों से संबंधित होती हैं लेकिन अक्सर इनमें अपराधी के परिवार, नजदीकी रिश्तेदारों और अन्य मुख्य व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया जाता है।

समाज कार्यकर्त्ता का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय करने के पश्चात् अदालत का प्रतिनिधित्व करना। परिवीक्षा में, परिवीक्षा अधिकारी, जो समाज कार्यकर्त्ता है, और अपराधी के बीच नियमित साक्षात्कार और संपर्क शामिल है। समाज कार्यकर्त्ता अपराधी के, जो परिवीक्षा में है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायता करने के लिए अपने ज्ञान और कौशलों का प्रयोग करने की कोशिश करता है।

बोध प्रश्न IV

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) किशोर अदालत में सुधारात्मक समाज कार्यकर्त्ता की क्या भूमिका है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.8 सारांश

किशोर अपचारिता और अपराध समाज की प्रमुख समस्याएँ हैं। इस अपचार और अपराध के नियंत्रण, सुधार और रोकथाम में समाज कार्य को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। समाज, व्यक्ति, परिवार और समुदाय संसाधनों के उपयोग द्वारा व्यक्ति की, उसके परिवार की और समुदाय की, अपचार और अपराध का सामना करने और उनका समाधान करने में सहायता करने का प्रयास करता है।

समाज कार्यकर्त्ता सुधारक व्यवस्था में जिन मूलभूत प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है वे हैं: केस अध्ययन, समूह कार्य और समुदाय संगठन। अपराध करने वाले व्यक्ति (सेवार्थी/ सहायता प्राप्त करने वाले) अपने कार्य सहायता में जिन मूल्यों को अभिव्यक्त करते हैं उसके तरीके में परिवर्तन लाने हेतु सुधारात्मक समाज कार्यकर्त्ता को अधिकार दिया जाता है। सभी समाज कार्यकर्त्ता अपराधी के साथ मूल्यों के संदर्भ में काम करते हैं। सुधारक समाज कार्यकर्त्ता के कार्य में किसी भी अन्य कार्य से ज्यादा इस कार्य को महत्त्व दिया जाता है कि वह अपराधी या अपचारी के मूल्यों में परिवर्तन लाए ताकि वे लोग समाज के मूल्यों के अनुकूल कार्य करने में समर्थ हो सकें।

समाज कार्यकर्त्ता विशेष रूप से पुलिस विभाग, अदालतों, परिवीक्षा, संस्थानों, पैरोल और रोकथाम से संबंधित कार्यों में सहायता करता है। इसलिए सुधारात्मक व्यवस्था के व्यवसायिक समाज कार्य एक व्यापक रचनात्मक सामाजिक रवैया है, जो कुछ मामलों में उपचारात्मक है, कुछ में नियंत्रक हैं लेकिन अपने संपूर्ण सामाजिक प्रभाव में इसका स्वरूप निरोधक है।

6.9 शब्दावली

गिरफ्तारी : किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना, जिसका चरम उद्देश्य है उसके अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाना।

जमानत : जमानत दिए जाने पर अपराधी घोषित किए गए गिरफ्तार व्यक्ति को मुकदमा चलने या गिरफ्तारी की कार्यवाहियों के दौरान या इनकी प्रतीक्षा करते समय, छोड़ा जा सकता है।

व्यवहार परिवर्तन : व्यवहार परिवर्तन तकनीकें इस धारणा पर आधारित होती हैं कि किसी भी व्यवहार के होने की संभावना इसके परिणाम पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यवहार के लिए इनाम मिलता है तो यह संभावना अधिक रहती है कि भविष्य में भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा परन्तु जब किसी व्यवहार के लिए सज़ा मिलती है तो इसी व्यवहार को पुनः करने की संभावना कम हो जाती है।

दोष सिद्धि : अपराध के जाँच परिणाम या अपराध की स्वीकृति के पश्चात् मामले का औपचारिक न्यायिक निर्णय। यद्यपि इस शब्द का प्रयोग कभी–कभी केवल अपराध के जाँच परिणाम के संदर्भ में भी किया जाता है।

सुधारक प्रशिक्षण : यह उन अपराधियों के लिए किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से आपराधिक कृत्यों में तो लीन होते हैं लेकिन अभी तक अपराध की दुनिया में बहुत आगे नहीं बढ़े होते हैं और गहन तथा रचनात्मक प्रशिक्षण की अवधि के दौरान संभव हैं कि उन्हें पुनर्वासित करने में सफलता मिल जाए।

अपराध : सामान्य अर्थ में कानून का उल्लंघन करना।

अपराधी : कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति।

अपचारी : कानून का उल्लंघन करने वाला बालक।

कारावास : वयस्क दोषी सिद्ध किए गए अपराधी को प्राप्त न्यायिक सज़ा

अक्षम कर देना : **दंड रूप में अक्षम कर देने का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि अपराधी दुबारा अपराध नहीं करेगा।**

किशोर अदालत : वयस्क अदालत की प्रतीयमान आपराधिक लांछित करने वाली प्रक्रियाओं के विकल्प के रूप में स्थापित, किशोर अदालत सबसे पहले उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुई।

जेल : बंदी बनाकर रखने की जगह।

सुधार में समाज कार्य : अपराध वैज्ञानिक दृष्टि से, समाज कार्य का महत्त्व अपराधी न्याय प्रणाली द्वारा विकसित तर्काधार के अनुसार किशोर और वयस्क अपराधियों से निपटने के लिए एक वैकल्पिक संरचना उपलब्ध कराने में निहित है।

आस्थगित सज़ा : यह अनेक देशों में प्रयुक्त किए जाने वाली दंड विधि है। यह अनिवार्य रूप से कारावास की सज़ा है, जो सज़ा लागू करते समय अदालत द्वारा निर्धारित क्रियात्मक अवधि के दौरान प्रास्थगित रखी जाती है। आस्थगित सज़ा प्राप्त करने वाले अपराधी को शुरू से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यदि वह क्रियात्मक अवधि के दौरान कोई अपराध नहीं करता तो उसे जेल नहीं जाना पड़ता।

आवारागर्दी : बिना किसी कारण के माता–पिता की जानकारी या सहमति से या उसके बिना ही बालक का स्कूल से अनुपस्थित रहना। शैक्षिक मुद्दों के अलावा भी आवारा बच्चे किशोर अपचारिता से काफी जुड़े रहते हैं।

6.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

बाल गोपाल, पाल्लास्साना आर. (1980), ''सोशल ग्रुप वर्कः फ्रॉम हेयर इनटू द 1980 ज़ व्हेयर इट इज एंड व्हेयर इट इज गोइंग'', द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, XL, 2, जुलाई, पृष्ठ संख्या 361–368।

बनर्जी, गौरी रानी (1972), ''सोशल केस वर्क सर्विसेज एंड द जुविनायल डेलीनक्वेंट', पेपर्स ऑन सोशल वर्कः एन इंडियन पर्सपेक्टिव, बॉम्बे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज।

बोहम, वर्नर डब्ल्यू. (1959), ऑब्जेक्टिस ऑफ सोशल क्यूरीकुलम ऑफ द फ्यूचर सोशल वर्क क्यूरीकुलम स्टडी, न्यूयार्कः कांउसिल ऑफ सोशल वर्क एजूकेशन।

देसाई. अर्मती एस. (1978), रिव्यू ऑफ सोशल वर्क एजूकेशन इन इंडिया, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट ऑफ द सैकंड रिव्यू कमेटी, नई दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन।

देवासिया, वी.वी. (1988), द फेनोमेनन ऑफ मर्डर नागपुरः दत्तसंस।

देवासिया, लीलाम्मा एंड देवासिया, वी. वी. (1989), फीमेल क्रिमिनल्स एंड फीमेल विक्टिम्स, नागपुरः दत्तसंस।

देवासिया, लीलाम्मा एंड देवासिया, वी. वी. (1990), विमेन इन इंडियाः ईक्वेलिटी, सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट नई दिल्लीः भारतीय समाज संस्थान।

डियाज एस. एम. (1984), ''यूनीवर्सिटी स्टूडेंट्स'' परसेप्शन ऑफ सीरियस क्राइम एंड रिलेटिड पुलिस रिस्पॉन्सेज'', इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, 12, 2. जुलाई, पृष्ठ संख्या 79–86।

ऍफोरोस, पॉल एच. (1974), ''पोटेंशिय कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप वर्क इन करेक्शंस', करैक्शनल ट्रीटमेंट ऑफ द ऑफेंडर इलिनोइसः सी.सी. थॉमस पब्लिशर्स।

फिंक, ए. ई. (1949), द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, नॉर्थ केरोलिनाः चेपल हिल।

गोखले, एस. डी. (1986), ''कॉन्टेम्पररी क्रिमिनोलॉजी''. इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी 14, 2, जुलाई, पृष्ठ संख्या 104–113।

गॉर्डन, विलियम ई. (1962), ''ए क्रिटिक ऑफ द वर्किंग डेफिनिशन''. सोशल वर्क, अक्टूबर, पृष्ठ संख्या 3–13.

खान एम. जेड, (1988). ''जवाहरलाल नेहरू एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम''. इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, 16. 1. जनवरी, पृष्ठ संख्या 3–9।

मेनन, माधव एन. आर. (1982). ''द औरंगाबाद ऍक्सपेरीमेंट इन प्रिवेंटिव ऍक्शनः प्रोस्पेक्टस फॉर ए नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन क्राइम प्रीदेंशन'' इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. 10 1 जनवरी, पृष्ठ संख्या 12–15।

मर्फी. ई. (1959), सोशल ग्रुप वर्क, सोशल ग्रुप वर्क क्यूरीकुलम स्टडी, काउसिल ऑफ सोशल वर्क एजूकेशन न्यू यॉर्क।

नेशनल ऐसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स (1958), ''वर्किग डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस सोशल वर्कसं ३ अप्रैल, पृष्ठ संख्या 5–9।

पंकज जे. जे. (1973), एन एजेंडा फोर क्रिमोनोलोजी इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी 1, जुलाई, पृष्ठ संख्या 14–18।

''पिटचंडी नो. (1985), ''क्रिमिनोलोजिकल रिसर्च, ट्रेनिंग एंड सर्विसेज'' इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, 13, 2, जुलाई, पृष्ठ संख्या 77–78।

प्रे. केनेथ. एल. एम. (1945), ''द प्लेस ऑफ सोशल केसवर्क इन द ट्रीटमेंट ऑफ
डेलींक्सा '', सोशल सर्विस रिव्यू, अंक 19, जून, पृष्ठ संख्या 236–240।

शनमुगम, टी. ई. (1980), "डेलींक्वेंसी एंड क्राइम इन इंडिया'', इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, 8, 1, जनवरी, पृष्ठ संख्या 1–2।

शेखर, सनोबर (1982), "एनअदर लुक ऍट द सोशल वर्क अप्रोच टू करेक्शंस'', इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, 10, 1, जनवरी, पृष्ठ संख्या 56–58।

सिक, के. डी. (1980), ''प्रोफेशनल सोशल वर्क इन करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस'' इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, 8, 1, जनवरी, पृष्ठ संख्या 55–61।

स्किडमोर, रेक्स ए. एंड ठाकरे, मिल्टन जी. (1964), इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, न्यूयॉर्क : ऍप्पलटन।

स्टुड, इलियोर (1959), एजूकेशन फॉर सोशल वर्कर्स इन करेक्शनल फील्ड, न्यूयॉर्क : कांउसिल फॉर सोशल वर्क एजूकेशन।

चेलाया, शंकर ए. (1979), ''सम रीसेंट स्टडीज ऑन सोशल वर्क प्रैक्टिसः इम्पलीकेशन फॉर सोशल वर्क एजूकेशन'' इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, XL, 2, जुलाई, पृष्ठ संख्या 153–164।

यंगहजबैंड, ऍलीन (1978ए), "सोशल वर्क इन ब्रिटेन : 1950–1975'', ए फॉलो अप स्टडी, अंक 1, लंदनः जॉर्ज एलिन एंड अनविन।

यंगहजबैंड, ऍलीन (1978ब), "सोशल वर्क इन ब्रिटेनः 1950–1975'', ए फॉलो अप स्टडी, अंक 2, लंदनः जॉर्ज एलिन एंड अनविन।

6.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) समाज कार्यकर्त्ता व्यक्तियों की सामाजिक क्रिया की समूहों में और एक एक करके भी, वृद्धि करने का काम करता है। समाज कार्य के तीन प्रकार्य हैं, विकृत क्षमता का पुनरुद्धार वैयक्तिक और सामाजिक संसाधनों को उपलब्ध कराना और सामाजिक दुष्क्रिया की रोकथाम।

बोध प्रश्न II

1) समाज कार्य मूल्य, मूलतः लोकतांत्रिक समाजों के मूल्य हैं, जिनमें मुख्यतः व्यक्ति की महता को उसकी स्वाभाविक प्रतिष्ठा को और सामान्य हित के कार्य में योगदान देने के समान के उत्तरदायित्व को महत्त्व दिया जाता है। अतः व्यक्ति समाज के लिए अत्यधिक महत्त्वूपर्ण है। समाज का यह दायित्व होता है कि वह ऐसे उपाय उपलब्ध कराए जिनसे बाधाओं काबू पाया जा सके या उनकी रोकथाम की जा सके।

बोध प्रश्न III

1) अपराधियों और अपचारियों के उपचार में समूह के प्रयोग के लिए तीन प्रमुख कारण हैं। पहला; अपराधी की खुद की गतिकी, दूसरा, वह विशिष्ट सुधारक व्यवस्था

जिसमे वह खुद को पाता है और तीसरा वह विशिष्ट उद्देश्य जिसके लिए समाज ने उसे सुधारक व्यवस्था में रखा है। इसके अलावा यह अपराधी के समाजीकरण, सुधार और पूनर्वास में भी सहायता करता है।

बोध प्रश्न IV

1) सुधारक समाज कार्यकर्त्ता, जो किशोर अदालत से संबद्ध होते हैं, परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। विभिन्न कारणों और तथ्यों का पता लगाने के लिए जाँच पड़ताल करना उनका एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। अदालत द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद समाज कार्यकर्त्ता अदालत का प्रतिनिधित्व करता है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY